[2022] 10 एस. सी. आर 903

हरियाणा राज्य

हरियाणा सरकार का सचिव

वी.

जय सिंह और ओआरएस।

(2014 की सिविल अपील संख्या 6990)

अप्रैल 07,2022

[हेमंत गुप्ता और वी।

रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

भूमि कानून-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम,

1961 , हरियाणा अधिनियम सं. 9/1992 (संशोधन अधिनियम) द्वारा संशोधित

- हरियाणा अधिनियम सं. 9/1992 (संशोधन अधिनियम)-संवैधानिक

की वैधता-आयोजितः संशोधन अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद अधिनियमित और प्रकाशित किया गया था, इस प्रकार ऐसा अधिनियम कृषि सुधार का हिस्सा है-इसलिए, संशोधन अधिनियम है

कला के संदर्भ में संरक्षित। 31 संविधान का ए-संशोधन अधिनियम वैध है और संवैधानिक दुर्बलता के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 31 ए.

भूमि कानून-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम,

1961 , हरियाणा अधिनियम सं. 9/1992 (संशोधन अधिनियम) द्वारा संशोधित

-शमिलात देह (आम भूमि)-एस में पड़ने वाली आम भूमि। 2 (छ) अधिनियम, 1961 के (1) और (6), जैसा कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है-तीन श्रेणियों में वर्गीकरण-पहली श्रेणी को समेकन से पहले ग्राम पंचायत के स्वामित्व में दर्ज किया गया है जो पंजाब और पेप्सू अधिनियम के प्रारंभ के साथ स्पष्ट रूप से निहित है-पहली श्रेणी में आने वाली भूमि के बारे में कोई विवाद नहीं है।

जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा हुकुम सिंह में अभिनिर्धारित किया गया था और बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मालविंदर सिंह में कृषि सुधारों का हिस्सा होने की पुष्टि की गई थी।

भूमि कानून-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम,

1961 , हरियाणा अधिनियम सं. 9/1992 (संशोधन अधिनियम) द्वारा संशोधित

-शमिलात देह (आम भूमि)-एस में पड़ने वाली आम भूमि। 2 (जी) (1)

और पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 का (6), जैसा कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है-तीन में वर्गीकरण श्रेणियाँ-दूसरी श्रेणी, भूमि की सीमा कानूनों के तहत अनुमेय सीमा के भीतर नहीं आने वाली, मालिकों की जोतों से आनुपातिक कटौती लागू करके समेकन की प्रक्रिया के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि होना-आयोजितः

दूसरी श्रेणी में आने वाली भूमि को कला द्वारा संरक्षित कृषि सुधारों का एक हिस्सा माना गया था। 31 संविधान के ए द्वारा किशन सिंह और जगत सिंह के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने जगत सिंह के फैसले को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया-दूसरी श्रेणी में आने वाली भूमि यानी सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि, जो मालिक की अधिकतम सीमा के भीतर नहीं आती है, पंचायत के पास निहित होगी-संशोधन अधिनियम भूमि का अधिग्रहण नहीं करता है या मालिकों को उनके स्वामित्व से वंचित नहीं करता है क्योंकि इस तरह का स्वामित्व पहले से ही सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि आरक्षित करने की समेकन योजना के मद्देनजर विभाजित था।

संशोधन अधिनियम केवल एक स्पष्टीकरणात्मक या घोषणात्मक संशोधन है क्योंकि रंजीत के बल पर भूमि पंचायत में निहित थी।

सिंह-इसलिए, एस 2 (जी) (6) आर/डब्ल्यू एस। 4 अधिनियम, 1961 की धारा ग्राम पंचायत में आनुपातिक कटौती लागू करके सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि को निहित करती है।

भूमि कानून-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961, हरियाणा अधिनियम सं. 9/1992 (संशोधन अधिनियम) द्वारा संशोधित।

-शमिलात देह (आम भूमि) एस में पड़ने वाली आम भूमि। 2 (जी) (1) और पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 का (6), जैसा कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है-तीन में वर्गीकरण

श्रेणियाँ-तीसरी श्रेणी भूमि सीमा कानूनों के अनुसार अनुमेय सीमाओं के भीतर काटा गया अनुपात द्वारा आरक्षित सामान्य उद्देश्य वाली भूमि है, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण पंचायत के पास निहित है-आयोजितः तीसरी श्रेणी के संबंध में, मालिक की अधिकतम सीमा के भीतर की भूमि को सामान्य उद्देश्यों के लिए एकत्र किया गया था और इसे डिवीजन बेंच द्वारा कृषि सुधारों का हिस्सा पाया गया था।

अजीत सिंह के मामले में पंजाब उच्च न्यायालय-अपील में, अजीत सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि मालिक मुआवजे का हकदार नहीं है क्योंकि मालिक का खिताब नहीं दिया जा रहा है।

मालिकों से उनकी अनुमेय सीमा से ली गई भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण अकेले पंचायत के पास निहित होगा-हालांकि प्रबंधन और नियंत्रण का ऐसा निहित होना अपरिवर्तनीय है और भूमि मालिकों को वापस नहीं की जाएगी। जिन सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि को तराशा गया है, उनके पुनर्वितरण में न केवल वर्तमान आवश्यकताएं शामिल हैं, बल्कि भविष्य की आवश्यकताएं भी शामिल हैं-पंचायत का हरियाणा राज्य पर सरकार के सचिव के माध्यम से अधिकार नहीं होगा।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस।

भूमि लेकिन प्रबंधन और नियंत्रण के हिस्से के रूप में, पंचायत को भूमि को सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की स्वतंत्रता है-जैसे कि एस के तहत परिभाषित सामान्य उद्देश्य। 2 (bb) पूर्वी पंजाब का

होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 विनिमेय है और इसका उपयोग किसी अन्य सामान्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है-हालांकि भूमि पंचायत के पास निहित है, लेकिन ऐसी भूमि का उपयोग केवल सामान्य उद्देश्यों के लिए लाभ के लिए किया जाना चाहिए।

ग्राम समुदाय की-भले ही कोई भी भूमि आम लोगों के लिए आरक्षित हो

वास्तव में उद्देश्यों को किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं रखा जा रहा है, इसे मालिकों के बीच पुनर्वितरण के उद्देश्य से खोली गई अप्रयुक्त भूमि (यानी बचत भूमि) नहीं कहा जा सकता है-सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि को केवल मालिकों के बीच फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता है।

क्योंकि किसी विशेष समय पर, इस तरह से आरक्षित भूमि का सामान्य उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि 'सामान्य उद्देश्य' एक गतिशील उद्देश्य है।

अभिव्यक्ति, क्योंकि यह समाज की आवश्यकता में परिवर्तन और बीतते समय के कारण बदलती रहती है, इसलिए एक बार भूमि को सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित कर दिए जाने के बाद, इसे पुनर्वितरण के लिए मालिकों को वापस नहीं किया जा सकता है-ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948।

भूमि कानून-नगरपालिका-हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994-हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973-यदि पंचायत क्षेत्र का पूरा या कुछ हिस्सा नगरपालिका सीमा के भीतर आता है, और पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो भूमि नगरपालिका के पास निहित होगी। और मालिकों को वापस नहीं करेंगे-आयोजित, नहीं - हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7 (4) को 1973 के नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना है-हालाँकि, दोनों कानूनों में

लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को सशक्त बनाने के लिए संविधान में भाग IX और IX A को शामिल करने के बाद व्यापक परिवर्तन हुए-पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत की संपत्ति को नगरपालिका के साथ निहित करने पर विचार करता है, जबकि नगरपालिका अधिनियम उन संपत्तियों को अपने दायरे में लेता है जो पंचायत के साथ निहित थीं।

- 1973 के नगरपालिका अधिनियम में विचार किया गया है कि भले ही ग्राम पंचायत की संपत्ति का एक हिस्सा नगरपालिका सीमा में शामिल हो, लेकिन यह नगरपालिका के पास निहित होगा-इस प्रकार, 'संपूर्ण' शब्द एस में दिखाई देता है। 7 (4) पंचायती राज अधिनियम में नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र का हिस्सा शामिल है-इस प्रकार, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र का पूरा या हिस्सा नगरपालिका सीमा में शामिल है, तो भूमि कृषि [2022] 10 एस. सी. आर. के हिस्से के रूप में सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित है।

सुधार नगरपालिका के पास निहित होंगे-इस तरह के निहित कृषि सुधारों का हिस्सा नहीं है, बल्कि नगरपालिका सीमाओं के विस्तार के कारण होगा-जब नगरपालिका सीमाएं बढ़ाई जाती हैं, तो पंचायत के निवासी भी नगरपालिका के निवासी बन जाते हैं-नगरपालिका सीमा के विस्तार से पहले ग्राम समुदाय के सामान्य उद्देश्यों को इसके लिए सामान्य उद्देश्य माना जाएगा।

नगरपालिका द्वारा किस भूमि का उपयोग किया जा सकता है-इसलिए, सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि का इस तरह से निहित होना पहली बार अधिग्रहण नहीं है, बल्कि बदले हुए परिदृश्य में सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि का हस्तांतरण है, जब भूमि का स्वामित्व नगरपालिका के पास है।

नगरपालिका-मालिकों का यह तर्क कि यदि पूरा सभा क्षेत्र नगरपालिका के साथ मिल जाता है, तो ही नगरपालिका के साथ सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि को निहित किया जा सकता है, असमर्थनीय है-इस तरह के तर्क से विसंगत परिणाम मिलेंगे।

संपत्ति के स्वामित्व, अधिकार और हित को स्थगित नहीं किया जा सकता-निरंतर नियंत्रण और प्रबंधन होना चाहिए।

1948 के अधिनियम के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि पर

-

इसलिए, भले ही सभा क्षेत्र के एक हिस्से को नगरपालिका में मिला दिया जाता है, नगरपालिका का पूर्ववर्ती ग्राम समुदाय के लिए आरक्षित भूमि पर नियंत्रण होगा जो अब शहरी क्षेत्र-पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 का हिस्सा बन जाएगा।

भूमि कानून-हरियाणा का सामान्य उद्देश्य भूमि बेदखल करना और

किराया वसूली अधिनियम, 1985-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि

(विनियमन) अधिनियम, 1961-आयोजितः 1985 के अधिनियम और 1961 के अधिनियम के तहत प्रावधानों का दायरा अलग और विशिष्ट है।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. पिछले निर्णयों को पढ़ना और

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 (जी) (1) और (6) में आने वाली वर्तमान अपीलों के उद्देश्यों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः (i) एकीकरण से पहले ग्राम पंचायत के स्वामित्व में दर्ज शमिलात देह जो स्पष्ट रूप से निहित है - पंजाब और पी. ई. पी. एस. यू. अधिनियम की शुरुआत। ((ii) समेकन की प्रक्रिया के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि।

सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य को नहीं, बल्कि मालिकों की जोतों से काटा गया अनुपात लागू करके।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस।

अनिवार्य रूप से भूमि सीमा कानूनों के तहत अनुमेय सीमा सीमा के भीतर आता है। (iii) भूमि सीमा कानूनों के अनुसार अनुमेय सीमाओं के भीतर काटा गया सामान्य प्रयोजन भूमि, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण पंचायत के पास निहित है। [पैरा 43] [941-डी-एफ]

2. प्रथम श्रेणी में आने वाली भूमि के बारे में कोई विवाद नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय ने हुकुम सिंह और

बाद में इस अदालत ने मालविंदर सिंह को कृषि सुधारों का हिस्सा होने की पुष्टि की। [पैरा 44] [941-जी]

3.1 . दूसरी श्रेणी में आने वाली भूमि को संविधान के अनुच्छेद 31ए द्वारा संरक्षित कृषि सुधारों का हिस्सा माना गया था।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा संविधान

किशन सिंह और जगत सिंह में अदालत, जगत सिंह में निर्णय के साथ बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। [पैरा 46] [942-बी-सी]

3.2 . दूसरी श्रेणी में आने वाली भूमि अर्थात सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि, जो अधिकतम सीमा के भीतर नहीं आती है।

मालिक पंचायत के साथ निहित होगा। संशोधन अधिनियम भूमि का अधिग्रहण नहीं करता है या मालिकों को उनके स्वामित्व से वंचित नहीं करता है क्योंकि समेकन को देखते हुए इस तरह का स्वामित्व पहले से ही विभाजित था। साझा उद्देश्यों के लिए भूमि आरक्षित करने की योजना। संशोधन अधिनियम केवल एक स्पष्टीकरणात्मक या घोषणात्मक संशोधन है क्योंकि रंजीत सिंह के बल पर भूमि पंचायत में निहित थी। इसलिए, पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 4 के साथ पठित धारा 2 (जी) (6) आरक्षित भूमि को निहित करती है।

सामान्य प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत में प्रो-रेटा कट लागू करके। [पैरा 48] [945-डी-एफ] 4.1 . तीसरी श्रेणी के संबंध में, मालिक की अधिकतम सीमा के भीतर की भूमि को सामान्य उद्देश्यों के लिए एकत्र किया गया था।

और अजीत सिंह में पंजाब उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा कृषि सुधारों का हिस्सा पाया गया। अपील में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि मालिक मुआवजे का हकदार नहीं है क्योंकि मालिक का खिताब नहीं दिया जा रहा है और केवल प्रबंधन और नियंत्रण पंचायत के पास निहित है। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह भूमि अधिग्रहण का मामला नहीं था। [पैरा 59 और 61] [950-बी-सी; 952-जी-एच] [2022] 10 एस. सी. आर.

4.2 . मालिकों से उनकी अनुमेय सीमा से ली गई भूमि के संबंध में, यह प्रबंधन और नियंत्रण है।

केवल जो पंचायत के पास निहित होगा। प्रबंधन और

नियंत्रण में भूमि का पट्टा देना और गैर-मालिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि द्वारा भूमि का उपयोग करना शामिल है।

यह गाँव के समुदाय के लाभ के लिए है। इसलिए, धारा 4 के तहत निहित होना प्रबंधन और नियंत्रण तक सीमित होगा। मालिकों से ली गई भूमि के लिए, मालिकों की अनुमेय अधिकतम सीमा से आनुपातिक कटौती लागू करके, केवल प्रबंधन और नियंत्रण पंचायत के पास निहित है, लेकिन प्रबंधन और नियंत्रण का ऐसा निहित होना अपरिवर्तनीय है और भूमि वापस नहीं ली जाएगी। पुनर्वितरण के लिए मालिकों को वापस भेजें क्योंकि जिन सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि को तराशा गया है, उनमें न केवल वर्तमान आवश्यकताएं बल्कि भविष्य की आवश्यकताएं भी शामिल हैं। ऐसी भूमि बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगी ताकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पंचायत भूमि की पूर्ण स्वामी नहीं है, लेकिन नियंत्रण और प्रबंधन का प्रयोग करते हुए खरीदार को अधिकार प्रदान किया जा सके।

ग्राम समुदाय के लाभ के लिए भूमि की रक्षा करना कर्तव्य है। [पैरा 63] [955-ई-एच; 956-ए]

4.3 . पंचायत का भूमि पर अधिकार नहीं होगा, लेकिन प्रबंधन और नियंत्रण के हिस्से के रूप में, पंचायत को सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने की स्वतंत्रता है। इस तरह के सामान्य ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 2 (बी. बी.) के तहत परिभाषित उद्देश्य विनिमेय हैं और इनका उपयोग किसी अन्य सामान्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। सामान्य उद्देश्य हमेशा विकसित होते रहते हैं, वे समय पर निर्धारित नहीं होते हैं। समय में बदलाव और ग्रामीण समुदाय की अपेक्षाओं के साथ, भूमि के इस तरह के आरक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामान्य उद्देश्यों को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। इसलिए, हालांकि अधिकतम सीमा के भीतर आने वाली भूमि से बनाई गई भूमि के संबंध में पंचायत का प्रबंधन और नियंत्रण है, लेकिन भूमि के उक्त हिस्से पर पंचायत का पूरा नियंत्रण होगा। धारा 4 में आने वाले 'निहित' शब्द का अर्थ यह है कि ऐसी भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण केवल पंचायत में निहित होगा। [पैरा

64] [956 - बी-डी]

4.4 . हालाँकि भूमि पंचायत के पास निहित है, लेकिन ऐसी भूमि का उपयोग केवल हरियाणा राज्य के लाभ के लिए सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस।

गाँव का समुदाय। ग्राम समुदाय के लिए इस तरह के लाभ ग्राम समुदाय के पारंपरिक लाभों तक सीमित नहीं हैं।

गाँव की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए, जो अंततः गाँव के समुदाय के लाभ के लिए होगा, मवेशियों को चराने, मृत जानवरों, स्कूलों और अस्पतालों को फेंकने के लिए भूमि, साथ ही भविष्य में आवश्यक गतिविधियों के लिए भी। [पैरा 66] [956-एच; 957-ए-बी]

4.5 . यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस भूमि की खेती मालिकों द्वारा आनुपातिक कटाई पर की गई है और जिसकी खेती नहीं की गई है।

वास्तव में किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं रखा जा रहा है, इसे मालिकों के बीच पुनर्वितरण के उद्देश्य से खुली बचत भूमि नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 68] [957-सी-एफ] 4.6 . सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि को मालिकों के बीच केवल इसलिए विभाजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि

समय दिए जाने पर, इस तरह से आरक्षित भूमि का आम उपयोग नहीं किया गया है। चूंकि 'सामान्य उद्देश्य' एक गतिशील अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह समाज की आवश्यकता में बदलाव और बीतते समय के कारण बदलती रहती है, इसलिए एक बार भूमि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित हो जाने के बाद, इसे पुनर्वितरण के लिए मालिकों को वापस नहीं किया जा सकता है। [पैरा 84] [967-एच; 968-ए-बी]

5.1 . पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7 (4) को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना है।

हालाँकि, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को सशक्त बनाने वाले संविधान में भाग IX और IX A को शामिल करने के बाद दोनों कानूनों में व्यापक बदलाव हुए थे। पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत की संपत्ति को नगर पालिका को सौंपने पर विचार करता है। , जबकि नगरपालिका अधिनियम उन संपत्तियों को अपने दायरे में लेता है जो पंचायत के पास निहित थीं।

नगरपालिका अधिनियम में विचार किया गया है कि भले ही ग्राम पंचायत की संपत्ति का हिस्सा नगरपालिका सीमा में शामिल हो, लेकिन यह नगरपालिका के पास निहित होगा। इस प्रकार, पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 (4) में आने वाले 'संपूर्ण' शब्द में नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र का हिस्सा शामिल है। [पैरा 103] [980-जी; 981 ए-बी;] 5.2 . यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र का पूरा या हिस्सा नगरपालिका सीमा में शामिल है, तो भूमि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित है।

कृषि सुधारों के हिस्से के रूप में निहित होगा

परिवर्तित परिदृश्य जब भूमि नगरपालिका के पास निहित होती है। [पैरा 104] [981-बी-डी] 5.3 . मालिकों का तर्क है कि यदि पूरा सभा क्षेत्र नगर पालिका के साथ मिल जाता है, तो ही आम उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि को नगर पालिका के साथ निहित किया जा सकता है।

नगरपालिका असमर्थनीय है। इस तरह के तर्क से विसंगत परिणाम मिलेंगे। संपत्ति का स्वामित्व, अधिकार और ब्याज

स्थगित नहीं किया जा सकता है। ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि पर निरंतर नियंत्रण और प्रबंधन होना चाहिए। इसलिए, भले ही सभा क्षेत्र के एक हिस्से को नगर पालिका में मिला दिया जाए, लेकिन पूर्ववर्ती गांव के लिए आरक्षित भूमि पर नगर पालिका का नियंत्रण होगा। समुदाय जो अब शहरी क्षेत्र का हिस्सा बन जाएगा। [पैरा 105] [981-ई-एफ]

5.4 . भूमि सीमा कानूनों के तहत मालिक की अनुमेय सीमा का हिस्सा बनने वाली भूमि के संबंध में, प्रबंधन

और पंचायत के साथ नियंत्रण निहित। न तो पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 और न ही 1948 अधिनियम मालिकों को भूमि के पुनर्वितरण पर विचार करता है।

यह सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा का एक राज्य है। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस।

अपरिवर्तनीय कार्य जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। इसलिए, एक बार पंचायत के साथ भूमि निहित होने के बाद, इसका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है -

समुदाय और कभी भी मालिकों के पास वापस नहीं जाएगा। [पैरा 106] [982-ए-सी]

6. हरियाणा सामान्य प्रयोजन भूमि बेदखली और किराया वसूली अधिनियम, 1985 और 1961 अधिनियम के तहत दो प्रावधानों का दायरा अलग और अलग है। 1985 के अधिनियम के तहत, ग्राम पंचायत अनधिकृत लोगों से बेदखली की मांग कर सकती थी अधिभोगियों, सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण, जो ग्राम पंचायत में एक संक्षिप्त तरीके से निहित था, जहां अधिभोगियों का कब्जा था।

अनाधिकृत। लेकिन यदि अधिभोगकर्ता या पंचायत द्वारा कब्जे की प्रकृति के संबंध में विवाद है, तो अकेले 1961 के अधिनियम के तहत प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है क्योंकि 1961 के अधिनियम की धारा 13 ए कलेक्टर को किसी भी भूमि या अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित के सवाल पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से किसी भी भूमि में अधिकार, स्वामित्व या हित के बारे में विवाद के मामले में, केवल 1961 के अधिनियम के तहत उपचार।

व्यायाम किया जा सकता है। इसमें सभी में अधिकार, शीर्षक या ब्याज शामिल होगा।

और वह भूमि, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण पंचायत के पास निहित है, भूमि का स्वामी की अनुमेय सीमाओं के भीतर होना, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण पंचायत के पास निहित है। पंचायत। [पैरा 107] [982-सी-एफ]

7. 1992 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9, संशोधन अधिनियम वैध है और संवैधानिक दुर्बलता के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है। द.

अनुपात लागू करके सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित पूरी भूमि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम समुदाय की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए कटौती का उपयोग किया जाना था और भूमि के किसी भी हिस्से को मालिकों के बीच फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता था। [पैरा 108] [982-एफ-जी]

रणजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 632:

[1965] 1 एस. सी. आर. 82; अजीत सिंह बनाम पंजाब और अन्न राज्य। आकाशवाणी 1967 एससी 856: [1967] 2 एस. सी. आर. 143; आत्मा राम बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर 1959 एस. सी. 519: [1959] 1 पूरक।

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3 एससीआर 887; भगत राम और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। ए. आई. आर 1967 एस. सी. 927: [1967] 2 एस. सी. आर. 165; हरियाणा राज्य बनाम। करनाल को-ऑप। फार्मर्स सोसाइटी लिमिटेड (1993) 2 एस. सी. सी. 363 [1993] 2 एस. सी. आर. 193; ग्राम जमालपुर की ग्राम पंचायत बनाम। मालविंदर सिंह, (1985) 3 एससीसी 661: [1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. 28; सुखदेव सिंह बनाम। ग्राम सभा बारी खाद (1977) 2 एस. सी. सी. 518

: [1977] 2 एससीआर 862; महांत शंकर रामानुज दास गोस्वामी, आदि। उड़ीसा राज्य और एक अन्य आकाशवाणी 1967 एससी 59: [1962] 3 एस. सी. आर. 250; शिश राम और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। (2000) 6 एससीसी 84: [2000] 3 एस. सी. आर. 1122; कुन्हयमद बनाम। केरल राज्य (2000) 6 एस. सी. सी. 359: [2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 538; वी. एम. सलगांवकर एंड ब्रदर्स। प्रा. लिमिटेड वी. आयकर आयुक्त (2000) 5 एस. सी. सी. 373 [2000] 2 एस. सी. आर. 1169; एस. शनमुगवेल

नादर बनाम। टी. एन. राज्य (2002) 8 एस. सी. सी. 361: [2002] 2 पूरक। एस. सी. आर. 498; कैखोस्रो (चिक) कवासजी फ्रामजी बनाम। भारत संघ और दूसरा (2019) 20 एस. सी. सी. 705

: [2019] 4 एस. सी. आर. 222; आय-कर आयुक्त, बॉम्बे बनाम। एम/एस। अमृतलाल भोगीलाल एंड कंपनी ए. आई. आर. 1958

ए. आई. आर. 1960 पी. एंड एच. 317 (एफ. बी.); किशन सिंह और अन्र। वी. पंजाब राज्य और अन्य। आकाशवाणी 1961 पी एंड एच 1; जगत सिंह और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1962 पी एंड एच 221 (एफ. बी.); जीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1964 पी एंड एच 419 (एफ. बी.); सूरज भान और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्र (2017) 2 पंजाब लॉ रिपोर्टर 605; हुकुम सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1955 पी एंड एच 220; प्रकाश सिंह और अन्य। वी. संयुक्त विकास आयुक्त, पंजाब और अन्य। 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 26809; प्रकाश सिंह और अन्य। वी.

सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य का संयुक्त विकास। हरियाणा वी. जय सिंह और ओआरएस।

आयुक्त, पंजाब और अन्य। 2013 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच

26809 ; गुरदियाल सिंह बनाम। हरियाणा राज्य 1979 पी. एल. जे. 350 ; बग्गा सिंह बनाम। आयुक्त, फिरोजपुर

डिवीजन, फिरोजपुर (1984) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 384;

ग्राम पंचायत, गुनिया माजरी बनाम। . निदेशक,

होल्डिंग्स एंड ओआरएस का समेकन (1990) एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 823; बाज सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1992) 1 पीएलआर

10 ; ग्राम पंचायत, ग्राम भेडपुरा बनाम। अतिरिक्त

निदेशक, समेकन, पंजाब (1997) 1 पीएलआर 391;

गुरजंत सिंह बनाम आयुक्त, फिरोजपुर प्रभाग

(2000) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 56; बलवंत सिंह बनाम। राज्य

पंजाब सरकार (1992) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 570; राजेंद्र

प्रसाद और ओआरएस। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। आकाशवाणी 1980

पी एंड एच 37; पंजाब राज्य बनाम। एस. केहर सिंह आकाशवाणी 1959 पी एंड एच 8; 1958 एस. सी. सी. ऑनलाइन पुंज 89; मेसर्स. हरि राम

पारस राम बनाम। हरियाणा राज्य आई. एल. आर. (1982) 1 पंजाब

और हरियाणा 317-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1960] 3 एससीआर 887

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

[1965] 1 एससीआर 82

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

[1967] 2 एससीआर 143

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[1967] 2 एससीआर 165

पैरा

11

संदर्भित किया गया है

[1959] 1 पूरक। एससीआर 748

संदर्भित किया गया है

पैरा

12

[1993] 2 एससीआर 193

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[1985] 2 पूरक। एससीआर 28

पैरा

23

संदर्भित किया गया है

[1977] 2 एससीआर 862

संदर्भित किया गया है

पैरा

35

[1962] 3 एससीआर 250

संदर्भित किया गया है

पैरा

57

[2000] 3 एससीआर 1122

संदर्भित किया गया है

पैरा

65

[2000] 1 पूरक। एससीआर 538

संदर्भित किया गया है

पैरा

75

[2000] 2 एससीआर 1169

संदर्भित किया गया है

पैरा

75

[2002] 2 पूरक। एससीआर 498

संदर्भित किया गया है

पैरा

75

[2019] 4 एससीआर 222

संदर्भित किया गया है

पैरा 80

[2022] 10 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1959] एससीआर 713

संदर्भित किया गया है

पै

रा 81

[1995] 2 पूरक। एससीआर 567

संदर्भित किया गया है

पै

रा 89

[1996] 2 एससीआर 678

संदर्भित किया गया है

पै

रा 89

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6990

2014 से।

उच्च न्यायालय के 13.03.2003 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1992 के सी. डब्ल्यू. पी. No.5877 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का शासन।

के साथ 2016

की सिविल अपील Nos.6610-6612, सिविल अपील Nos.6992,6991,

6997 और 2014 का 7001,2015 का सिविल अपील No.4435, सिविल अपील सं। 1679 , 1678 , 1675 , 1677 और 2022 का 1680।

अनिल ग्रोवर, बी. के. सतीजा, अजय बंसल, एएजी, प्रदीप कांत,

मनोज स्वरूप, नीरज कुमार जैन, देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजेश कुमार सिंह, गौतम शर्मा, गगन गुप्ता, सतीश कुमार, संजय कुमार विसेन, सुश्री आदिरा ए. नायर, सुश्री बबीता मिश्रा, डॉ. मोनिका गुसैन, नूपुर सिंघल, सिमरजीत सिंह रेखी, अंकित स्वरूप, नीलमणि पी., सुश्री विदिशा स्वरूप, राघव भाटिया, संजय सिंह, सिद्धार्थ जैन, सुश्री अनिकेत जैन, उमंग शंकर, जावेदुर रहमान, गुरिंदर सिंह गिल पी. पी.

नायक, कुलदिप सिंह कुचालिया, सुश्री आशना गिल, प्रताप सिंह, सुश्री भूपिंदर, सुमन लोहचब, अजय पाल, शीश पाल लालेर, एस. डी. शर्मा, हितेश कुमार, अतुल। उपस्थित दलों के लिए।

हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

सिविल अपील सं। 6990 2014 का; नागरिक आवेदन संख्या।

6610-6612 2016 का; नागरिक आवेदन सं। 6992 2014 का; नागरिक आवेदन सं। 6991 2014 का; नागरिक आवेदन सं। 6997 2014 का; नागरिक आवेदन सं। 7001 2014 का; नागरिक आवेदन सं। 4435 2015 का; नागरिक आवेदन सं। 1675 2022 का और नागरिक आवेदन संख्या। 1677 2022 का

1. वर्तमान अपीलों में चुनौती का विषय है -

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन 1, जैसा कि हरियाणा अधिनियम सं. 9/19922 द्वारा जोड़ा गया है, जिसे भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद 11.2.1992 पर प्रकाशित किया गया है।

2. संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन सामने आए

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए

अदालत ने एक फैसले में जय सिंह और ओआरएस के रूप में रिपोर्ट किया। वी. हरियाणा राज्य 3. उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किए गए संशोधनों को निरस्त कर दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) (4) और 2 (जी) (6) में होल्डिंग्स अधिनियम, 1948 के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि का वर्णन किया गया है।

या उनके भीतर भूमि मालिकों की जोत में कटौती

1961 के अधिनियम के तहत शामलत देह के रूप में अधिकतम सीमाएँ और तब से

इन भूमि को पंचायत में निहित किया गया है जिसमें कार्रवाई की गई है

अनुच्छेद 31-ए का उल्लंघन। चूंकि धारा 2 (जी) (4) और 2 (जी) (6) की परिभाषाएँ इतनी मिश्रित हैं कि किसी भी भाग को अलग नहीं किया जा सकता है और

आयोजित अल्ट्रावायर और इन वर्गों को स्पष्ट रूप से

बिना भूमि अधिग्रहण के राज्य की शक्तियों का उल्लंघन किया

क्षतिपूर्ति, इन प्रावधानों की परीक्षा नहीं हो सकती है

संवैधानिकता। यह मायने नहीं रखता कि उल्लंघन खुला है,

प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष। यह एक टुकड़ा है

रंगीन कानून। अनुच्छेद 31-ए का उल्लंघन इतना स्पष्ट है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा विचार है कि धारा 2 (जी) (4) और 2 (जी) (6) भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 ए का उल्लंघन करने के कारण अमान्य हैं। अतः मैंडमस का लेखन है,

1 संक्षेप में, '1961 अधिनियम'

2 संशोधन अधिनियम 3 ए. आई. आर. 1995 पी. एंड एच. 243 (जय सिंह I)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हरियाणा राज्य को लागू करने से रोकने का आदेश जारी किया

1992 के अधिनियम की धारा 2 (छ) (4) और 2 (छ) (6) के प्रावधान।

3. 1995 की सिविल अपील सं. 5480 जिसका शीर्षक हरियाणा राज्य बनाम।

उक्त निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया था

998 और निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

न्यायालय ने कहा कि भूमि विधायी उपाय से प्रभावित होने की मांग करती है चुनौती के तहत प्रत्येक की सेलिंग सीमा के भीतर था

संबंधित मालिक और प्रत्येक की व्यक्तिगत खेती में थे, यह तथ्यात्मक या कानूनी रूप से है। यह स्वीकार किया जाता है कि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है

पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा। जब तक कि इस तरह की खोज नहीं थी

अभिलिखित, स्पष्ट शब्दों में, विधायी उपाय नहीं हो सकता था

संविधान के अनुच्छेद 31 ए को निरस्त कर दिया गया।

मामले के इस दृष्टिकोण में, हम एक पूर्ण होगा

इस विषय पर उच्च न्यायालय का निर्णय और इसलिए,

अनिवार्य रूप से, इसे रिमांड पर लेना होगा; अन्य सवाल नहीं

नतीजतन, हम इस अपील की अनुमति देते हैं, विवादित फैसले को दरकिनार कर देते हैं उच्च न्यायालय से और मामले को पुनः निर्णय के लिए उसे वापस भेजें

केंद्रित प्रश्न के साथ-साथ ऊपर बताए गए अन्य प्रश्न भी।

4. इसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ बनी।

ख-1961 के अधिनियम की धारा 2 (छ) की धारा 6। उपर्युक्त आदेश इस तरह के आदेश और 08.11.2013 दिनांकित आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं।पूर्ण पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम के मामले में आदेश के खिलाफ समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया। वीर सिंह & Ors.5।

5. संशोधन अधिनियम के विवादित प्रावधान इस प्रकार हैंः

" 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो

XXX

XXX

XXX

(छ) शमिलात देह में शामिल हैं

XXX

XXX

XXX

एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 409 (संक्षेप में, 'जय सिंह द्वितीय')

1999 के सी. डब्ल्यू. सं. 350 ने सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य को 8.11.2013 ई. बनाने का निर्णय लिया। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

(6) गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि

ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स की धारा 18 (समेकन और

विखंडन निवारण) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50), जिसका प्रबंधन और नियंत्रण ग्राम में निहित है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 23-ए के तहत पंचायत।

स्पष्टीकरण-अधिकारों के अभिलेख के स्वामित्व के कॉलम में 'जुमला मलकान वा डिगर हक़्क़दारन अराज़ी हसब' के रूप में दर्ज की गई भूमि

रसद, जुमला मलकान या मुश्तरक मलकान शमिलात होंगे।

इस खंड के अर्थ के भीतर देह "।

6. प्रस्तुत किए गए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण (आई. डी. 1) जिसमें उपरोक्त विवादित प्रावधान हैं, इस प्रकार हैः

" पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 के प्रावधानों को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक, निवारक और ग्राम पंचायतों के हितों के लिए फायदेमंद बनाना आवश्यक है। पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करना,

1961. "

7. सर डब्ल्यू. एच. रैटिगन द्वारा प्रथागत कानून (सोलहवां संस्करण संशोधित आर। हरि देव कोहली) पहली बार 1880 में प्रकाशित हुआ था। यह एक मूल्यांकन की गई संदर्भ पुस्तक है, जिसमें पुस्तक के अध्याय X में शमिलात कानून की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि भूमि सदस्यों में एकता का वास्तविक आधार है, जो सदस्यों के बीच मिलन के अंतिम वास्तविक बंधन की आपूर्ति करती है।कुल स्वामित्व निकाय का गठन करता है जिसे आम तौर पर "गाँव" कहा जाता है

एकता "। इसका विस्तार इस प्रकार किया गया हैः

" वह भूमि गाँव के समूहों में एकता का वास्तविक आधार है,

" ग्राम समुदाय ", एक तथ्य है जिसे संगठन के सबसे सतही पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित किया जा सकता है जो इन तथ्यों का आधार है। पंजाब में समुदाय। इस प्रकार, चाहे कोई विशेष गाँव किसी भी प्रकार का हो, और संपत्ति की व्यक्तिगत धारणाओं ने संयुक्तता और सामान्य स्वामित्व के पहले के विचारों को किसी भी हद तक हटा दिया हो, इस तथ्य के बहुत स्पष्ट प्रमाण अभी भी जीवित पाए जाएंगे कि इसकी उत्पत्ति में ग्राम संघ भूमि के एक निश्चित स्थान के अधिग्रहण से एक साथ बंधा हुआ था, जिसे सर हेनरी मेन ने इतनी प्रचुर मात्रा में प्रदर्शित किया है, जो तुरंत ही संबंध के बजाय इसकी क्षमता का आधार बनने लगा, जिसकी कल्पना अधिक से अधिक अस्पष्ट रूप से की गई थी।

साक्ष्य प्रत्येक गाँव की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर असिंचित कचरे के कुछ हिस्सों को आम चरागाह के उद्देश्यों के लिए, लोगों की सभाओं के लिए आरक्षण में पाया जाना है,

गाँव के मवेशियों के निर्माण और गाँव के आवासों के संभावित विस्तार के लिए। इस तरह से आरक्षित भूमि को गाँव की स्थापना करने वाले बसने वालों या उनके वंशजों के मूल निकाय की सामान्य संपत्ति के रूप में ईर्ष्या से संरक्षित किया जाता है, और कभी-कभी वे भी जो कचरे को साफ करने और लाने में बसने वालों की सहायता करते थे।

खेती के तहत इन आरक्षित भूखंडों में हिस्सेदारी के रूप में मान्यता प्राप्त है। XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX यह केवल स्वामित्व है जो इसके प्रबंधन के साथ ग्राम पंचायतों में निहित है।

और अलगाव की शक्ति और इस प्रकार गाँव के स्वामित्व को हटा देना

शरीर "।

8. ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 19486 को अनिवार्य प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

कृषि भूमि का समेकन और उनके विखंडन को रोकने के लिए। धारा के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति "सामान्य उद्देश्य" 2 (ख) "किसी भी सामान्य आवश्यकता, सुविधा के संबंध में कोई भी उद्देश्य"

या गाँव का लाभ 1954 के पंजाब अधिनियम संख्या 22 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जोड़ा गया था। इस तरह की अभिव्यक्ति का दायरा सामने आया

मुंशा सिंह और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार। वी. पंजाब राज्य और अन्य। ' . यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भूमि के व्यक्तिगत मालिकों के पास एक भी अधिकार नहीं बचा था जिसे स्वामित्व की विशेषताओं में शामिल किया जा सकता है और यह अधिकार धारकों के पूर्ण अधिग्रहण का मामला था। पूर्ण पीठ ने कहा कि न तो प्रस्तावना की भाषा का विस्तार किया जा सकता है और न ही धारा 18 (सी) की भाषा का विस्तार किया जा सकता है ताकि व्यक्तिगत मालिकों से उनकी भूमि छीनकर और उन्हें गैर-मालिकों को देकर सामाजिक समानता लाई जा सके या किसी भी 'सामान्य उद्देश्य' के लिए प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए उन्हें पंचायत को सौंप दिया जा सके। किया गया संशोधन

इस प्रकार अलग कर दिया गया। इसके बाद, 1960 के पंजाब अधिनियम संख्या 27 द्वारा "सामान्य उद्देश्य" अभिव्यक्ति में संशोधन किया गया। इस तरह का संशोधन था 6 " संक्षेप में, '1948

अधिनियम' ए. आई. आर. 1960 पी. एंड एच. 317 (एफ. बी.) 8 ए. आई. आर. 1961 पी. एंड एच. 1 सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

पंजाब उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने किशन सिंह और अन्न के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में इसे बरकरार रखा। वी. पंजाब राज्य और Ors.[3]।

9. कवालप्पारा के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले को देखते हुए किशन सिंह में पूर्ण पीठ के फैसले की शुद्धता पर संदेह था।

10. अजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य 1, डिवीजन बेंच के समक्ष एक तर्क दिया गया था कि मालिक (भूमि मालिक) भूमि कार्यकाल की पंजाब प्रतिभूति के अर्थ में एक छोटा भू-स्वामी था। अधिनियम, 1953 और इसलिए, बाजार मूल्य पर मुआवजे के भुगतान के बिना उसकी हिस्सेदारी का कोई भी हिस्सा अर्जित नहीं किया जा सकता था। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अजीत सिंह के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में इस तरह का फैसला इस अदालत की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था।

वी. पंजाब राज्य और Anr.[13]। अदालत ने पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) नियम, 1949 1 4 के नियम 16 (ii) पर विचार करते हुए कहा कि स्वामित्व निकाय में स्वामित्व निहित है, भूमि का प्रबंधन स्वामित्व निकाय की ओर से पंचायत द्वारा किया जाता है। सामान्य आवश्यकताओं और उद्देश्यों के लिए और संबंधित संपदा या संपदा के लाभ के लिए। इसलिए, अधिकारों के संशोधन का लाभार्थी राज्य नहीं था।

11. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि पंजाब की एक पूर्ण पीठ ने एक फैसले में जीत सिंह बनाम के रूप में रिपोर्ट किया। पंजाब राज्य और अन्य। 1 5

1948 के अधिनियम में संशोधन करते हुए 1963 के पंजाब अधिनियम संख्या 39 पर विचार किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय के लिए भूमि का आरक्षण

9 ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1080 10° ए. आई. आर. 1962 पी. एंड एच. 221 (एफ. बी.) 11 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 632

12 आई. एल. आर. (1966) 1 पंजाब 828 13 ए. आई. आर 1967 एस. सी. 856

14 1949 नियम

15 ए. आई. आर. 1964 पी एंड एच 419 (एफ. बी.)

1948 के अधिनियम के तहत और हरिजनों सहित गैर-मालिकों की आबादी के विस्तार के लिए, पंचायत घर और खाद गड्ढों के लिए वैध था,

जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 31 ए (1) (ए) के अंतर्गत आता है। भगत राम और ओआरएस में। वी. पंजाब राज्य और अन्य "। , इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि पंचायत की आय के लिए भूमि का आरक्षण नहीं है। अनुज्ञेय, संविधान के अनुच्छेद 31 ए के दूसरे प्रावधान द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। धारा 2 (बी. बी.) के उक्त खंड (2) के संदर्भ में विचार किया गया प्रश्न यह था कि क्या पंचायत की आय के लिए भूमि का आरक्षण दूसरे खंड के भीतर राज्य द्वारा भूमि का अधिग्रहण था।

संविधान के अनुच्छेद 31 ए का प्रावधान। बहुमत के फैसले से यह माना गया कि उक्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 31 ए के दूसरे प्रावधान से प्रभावित था। तदनुसार राज्य को समेकन योजना में संशोधन करने और इसे बहुमत के निर्णय के अनुसार लाने का निर्देश दिया गया था। वर्तमान अपीलों में उक्त प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है।

12. आत्मा राम बनाम। पंजाब राज्य ", पंजाब अधिनियम द्वारा संशोधित पंजाब भूमि अधिकारिता सुरक्षा अधिनियम, 1953 की संवैधानिकता

1955 का 11 नंबर विचाराधीन था। संविधान पीठ ने अनुच्छेद 31 ए की जांच की। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 3 (1) में परिभाषित पंजाब में बहुत कम संपदाएँ हैं, इस अर्थ में कि एक एकल भूमि मालिक को जब्त कर लिया जाता है और उसके पास एक पूरी संपत्ति होती है जो एक पूरे गाँव के बराबर होती है। पंजाब में, एक एस्टेट और एक गाँव अंतर-परिवर्तनीय शब्द हैं, और लगभग सभी गाँवों का स्वामित्व पार्सल में है, जो कि सह-भागीदारों द्वारा स्वामित्व के रूप में, सबसे अधिक संभावना है, एक पूरे के धारक के वंशज हैं। गाँव जो ब्याज के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप सह-भागीदारों के बीच विभाजित हो गया। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि पंजाब में स्वामित्व एक संपत्ति के ऊर्ध्वाधर विभाजन हैं जबकि पूर्वी भारत में, वे एक क्षैतिज विभाजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अनुच्छेद 31 ए के प्रावधान अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 31 के प्रावधानों के आधार पर किसी भी हमले से बचाते हैं।

13. सूरज भान और अन्य में पाँच न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ। वी. हरियाणा राज्य और अन्र। 1 8 18 ने वर्तमान हरियाणा राज्य सहित पंजाब राज्य में शमिलात देह भूमि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी है। वर्तमान में विषय की बेहतर समझ के लिए उक्त निर्णय में वर्णित शमिलात कानून का इतिहास नीचे उद्धृत किया गया है।

17 ए. आई. आर 1959 एस. सी. 519 18 एम. ए. एन. यू./पी. एच./3354/2016; (2017) 2 पंजाब लॉ रिपोर्टर 605 द स्टेट ऑफ हरियाणा सरकार के सचिव के माध्यम से।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

अपीलें करें। इस निर्णय में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले शब्द उपयोग में आम नहीं हैं, इसलिए, उनके अर्थ के साथ शब्दों की शब्दावली इस निर्णय के आधार पर जोड़ी गई है। 14. पंजाब और हरियाणा में शमिलात देह भूमि गाँवों में सामान्य भूमि है जो सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित और उपयोग की जाती है।

गाँवों के निवासी। इन्हें उस समय के रूप में रखा गया था जब गाँवों का गठन या समेकन किया गया था और भूमि का उपनिवेश किया गया था। कई मामलों में, भूमि मालिकों या गाँव द्वारा भूमि का योगदान दिया जाता था। सामान्य प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि से स्वामित्व निकाय।

गाँवों का निर्माण बंजर, बिना खेती वाली, बेकार या परती भूमि पर खेती करके किया जाता था, जिन्हें 'बंजर कादिम' या 'बंजर जादिद' के रूप में जाना जाता है।

(लंबे समय से या हाल ही में बंजर भूमि)। जिन कृषि जनजातियों ने ऐसी भूमि पर खेती की और इसे खेती योग्य बनाया, वे मूल जमींदार थे। एक मालिक के स्वामित्व वाली कृषि भूमि उस भूमि का 'स्वामित्व' था और इसे राजस्व अभिलेखों में 'खेवात' के रूप में दर्ज किया गया था और मालिकों को 'खेवातदार' के रूप में जाना और दर्ज किया गया था। एक खेवटदार या जमींदार के पास पूरी खेवट हो सकती है या उसमें उसका हिस्सा हो सकता है। खेवतदारों को सामूहिक रूप से एक गाँव ('मलकान देह') में भूमि के मालिक के रूप में माना जाता था। जमीना जमीना जमीना

और विभिन्न उपरोक्त नामकरणों के साथ वर्णित निहित होगा

तदनुसार 'तर्राफ', 'पट्टी', 'पन्ना' या 'तोला' आदि में जो गाँव में एक इकाई या वर्ग के रूप में होता है। गाँव का स्वामित्व निकाय गाँव के निवासियों के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करता था और आम उपयोग के लिए आय भी उत्पन्न करता था और अपने निवासियों के लिए आम उपयोग के लिए भूमि रखता था। 17. भारत में ब्रिटिश सरकार ने भूमि बस्तियों का कार्य शुरू किया था। भूमि निपटान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक 'अधिकारों का अभिलेख' तैयार करना था जिसे आमतौर पर 'फरद' के रूप में जाना जाता है, जो उस रूप में भूमि का एक विस्तृत रजिस्टर है जिसमें माना जाता था कि वे 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब के विलय के समय अस्तित्व में थे। ये बस्तियाँ निपटान अधिकारियों द्वारा की जाती थीं जिनका कर्तव्य 'अधिकारों का अभिलेख' तैयार करना था। अभिलेख मुख्य रूप से राजकोषीय उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए थे; हालाँकि, ये एक न्यायिक चरित्र मानते हैं, विशेष रूप से स्वामित्व या स्वामित्व के संदर्भ में। द.

बस्तियों के दौरान अतीत में तैयार किए गए अभिलेख मालिकों और किसानों के अधिकारों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 18. सर जेम्स एम. डूई, के. सी. एस. आई., आई. सी. एस., चौथा संस्करण, (तीसरा पुनर्मुद्रण 2013) की पंजाब निपटान नियमावली 1 9 ने पंजाब के विकास को चित्रित किया।

पंजाब में निपटान नीति, जिसमें तब हरियाणा राज्य भी शामिल था। इन बस्तियों में राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों का सीमांकन किया गया था। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 अधिनियमित किया गया था और अब संबंधित राज्यों द्वारा संशोधनों के साथ पंजाब और हरियाणा राज्यों में लागू है। सर डूई की सेटलमेंट मैनुअल में 'ग्राम समुदाय' का उल्लेख मालिकों के एक निकाय के रूप में किया गया है। जिनके पास तब या पहले गाँव की सामान्य भूमि का कुछ हिस्सा था, और जो राजस्व के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। 20 जैसे-जैसे समय बीतता गया, यह उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, लेकिन वास्तव में ऐसा गाँव मिलना दुर्लभ था जो सांप्रदायिक प्रकारों में से एक था जिसमें कोई सामान्य संपत्ति नहीं बची थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा संयुक्त जिम्मेदारी को गाँव के कार्यकाल की एक स्थायी विशेषता बना दिया गया था। देशी शासन के तहत, यह तब अस्तित्व में नहीं था जब राज्य ने फसलों के विभाजन या द्वारा अपने बकाया का भुगतान किया था।

मूल्यांकन। यहां तक कि जब एक नकद मूल्यांकन किया गया था, तब भी समुदाय के केवल कुछ प्रमुख सदस्य जिम्मेदार बन गए और वे आम तौर पर उनके लेन-देन में राजस्व किसानों की स्थिति पर कब्जा कर लिया

1 9 19 संक्षेप में, मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, 2013 के नियंत्रक द्वारा मुद्रित 'निपटान नियमावली'।

20 सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य के निपटान नियमावली का पैरा 126। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

बाकी भाईचारा। लेकिन संयुक्त जिम्मेदारी ने व्यवहार की तुलना में संहिताओं में कहीं अधिक प्रमुख स्थान हासिल किया। गाँव के स्वामित्व वाले निकाय की अजनबियों को प्रवेश देने में अनिच्छा थी। भाईचारे में अजनबियों का प्रवेश हमेशा सिद्धांत रूप में कम से कम एक ऐसी चीज थी जिससे बचा जाना चाहिए, और विरासत और मुक्ति के मामले में गाँव के रीति-रिवाज इसी भावना पर आधारित थे। 2 1 लेकिन देशी शासन के तहत, अजनबियों को स्वीकार करने की अस्वीकृति अक्सर लोगों के दबाव में आ जाती थी।

सरकारी मांग और बाहरी लोगों को उन अधिकारों में भाग लेने की अनुमति दी गई जो बोझ बन गए थे। ब्रिटिश शासन के तहत लंबे समय तक व्यवहार में प्राप्त स्थानांतरण की लगभग पूर्ण स्वतंत्रता का ग्रामीण समुदायों पर और भी अधिक विघटनकारी प्रभाव पड़ा।

19. निपटान नियमावली में गाँवों के उपखंडों को 'पट्टियों' आदि में विभाजित करने का भी उल्लेख है। 22 यह कहा गया है कि गाँवों में अक्सर कई प्रभाग होते हैं जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे 'तर्रफ', 'पट्टी' (जहाँ 'तर्रफ' शब्द का उपयोग मुख्य प्रभागों के लिए किया जाता है, उप-प्रभागों को कभी-कभी 'पट्टी' कहा जाता है) या 'पन्ना' और ये फिर कभी-कभी छोटे वर्गों जैसे 'थोक', 'थुलस' आदि में विभाजित होते हैं। दो 'पट्टियों' की भूमि को अलग किया जा सकता है ('चकबत' यानी, एक 'पट्टी' या किसी संपत्ति के उप-विभाजन पर लागू होता है, जिसकी सारी भूमि एक ब्लॉक में होती है) या एक दूसरे के साथ मिलाया जा सकता है ('खेतबा' यानी, किसी संपत्ति के 'पट्टी' या उपखंड पर लागू होता है, जिसकी भूमि एक ही ब्लॉक में नहीं होती है) और 'पट्टी' के मालिकों की अपनी साझा भूमि हो सकती है और सामान्य गांव की सामान्य भूमि में भी उनका हिस्सा हो सकता है।

साम्प्रदायिक प्रकार काफी हद तक आत्मनिर्भर था। भूमि मालिकों में "व्यवसायों और व्यापारों की लगभग पूरी स्थापना शामिल थी ताकि वे किसी भी व्यक्ति या निकाय की सहायता के बिना अपने सामूहिक जीवन को जारी रख सकें।" 9924 21. पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1953-25 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता सामने आई।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक फैसले पर विचार

हुकुम सिंह बनाम के रूप में सूचित। पंजाब राज्य "। उच्च न्यायालय ने 21 निपटान नियमावली का पैरा 127, निपटान नियमावली का पैरा 22, निपटान नियमावली का पैरा 128, निपटान नियमावली का पैरा 23, निपटान नियमावली का पैरा 129

24 पूर्व और पश्चिम में मेन के ग्रामीण समुदाय, 5 वां संस्करण, पृष्ठ 125। 25 पंजाब अधिनियम

26 AIR 1955 P & H 220 [2022] 10 S. C. R.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब अधिनियम राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित था, अनुच्छेद 31 (2) और अनुच्छेद 31ए की जांच की गई और उनकी सहमति प्राप्त हुई, यह माना गया कि "अग्रिशामक" शब्द दिखाई दे रहा है

संविधान के अनुच्छेद 31 का अर्थ कानून द्वारा ज्ञात अधिकारों का पूर्ण उन्मूलन नहीं है। आगे तर्क यह था कि अधिनियम किसी भी संपत्ति में किसी भी अधिकार को समाप्त करने या संशोधित करने का प्रावधान नहीं करता है, इसलिए, एक गाँव में शमिलात देह एक संपत्ति नहीं होगी और संपत्ति के ऐसे हिस्से में किसी भी अधिकार का उन्मूलन या संशोधन संविधान के अनुच्छेद 31ए के अंतर्गत नहीं आएगा। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

व्यक्तियों का अधिकार केवल उन व्यक्तियों से समाप्त हो जाता है और वही अधिकार किसी अन्य व्यक्ति में निहित है जो अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है। मुझे इस बात से सहमत होना असंभव लगता है कि अभिव्यक्ति " संविधान के अनुच्छेद 31-ए में विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए विशेष अर्थों में "अग्रिशामक" का उपयोग किया गया है। यह है।

यह महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 31-ए राज्य द्वारा किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण या किसी संपत्ति में किसी भी अधिकार की बात करता है और फिर

किसी संपत्ति में किसी भी अधिकार का उन्मूलन या संशोधन और मुझे यह सोचने का कोई आधार नहीं मिल सकता है कि यदि किसी संपत्ति में किसी व्यक्ति के अधिकार उससे छीन लिए गए हैं और किसी अन्य व्यक्ति को दिए गए हैं तो यह उन अधिकारों को समाप्त नहीं करेगा। इसलिए, मेरी राय में, विवादित अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 31-ए के अर्थ में आता है क्योंकि यह गाँव के मालिकों से संबंधित कुछ संपत्तियों में कुछ अधिकारों को समाप्त करने और उन अधिकारों के संशोधन के लिए भी प्रावधान करता है। ..... एक बार फिर, मैं सहमत होने में असमर्थ हूँ। एक संपत्ति में विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व में कई प्रकार के अधिकार होते हैं और ऐसे अधिकारों में से एक गाँव के स्वामित्व में स्वामित्व का अधिकार है और इसलिए, जब विवादित अधिनियम ऐसे स्वामित्व अधिकारों को समाप्त करने का प्रावधान करता है तो यह स्पष्ट रूप से एक संपत्ति में कुछ अधिकारों को समाप्त करने या संशोधित करने का प्रावधान करता है। श्री टेक चंद का यह तर्क कि किसी संपत्ति का एक हिस्सा संपत्ति नहीं है, एक अन्य क़ानून की वैधता के संबंध में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष उठाया गया प्रतीत होता है और उस अवसर पर इसे हरियाणा राज्य को सरकार के सचिव के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

पूर्ण बेंच द्वारा। खोसला, जे. जिन्होंने उस मामले में मुख्य निर्णय दिया, भागीरथ राम चंद बनाम। पंजाब राज्य और अन्य [

ए. आई. आर. 1954 पुंज। 167] , इस संबंध में देखा गया तर्क

" यह स्पष्ट है कि संपूर्ण में वह भाग शामिल है और जहां एक अधिनियम किसी संपत्ति में अधिकारों का प्रावधान करता है, वह कुछ हिस्सों में अधिकारों का प्रावधान करता है -

एक संपत्ति "।

हम, मेरी राय में, पूर्ण पीठ के दृष्टिकोण से बाध्य हैं। इस संबंध में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है।

22. हरियाणा राज्य में बनाम। करनाल को-ऑप। फार्मर्स सोसाइटी 2 7 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पंजाब अधिनियम और पेप्सू विलेज कॉमन (विनियमन) अधिनियम, 1954 2 8 पंजाब और पेप्सू के संबंधित राज्यों द्वारा अधिनियमित दो विधायी उपाय हैं, ताकि किसानों की आम भूमि को उनके पंचायतों में निहित किया जा सके।

गाँव का छेद समुदाय। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 3. स्वतंत्र होने से पहले के ग्रामीण भारत के गाँवों में, जिनके पास गाँव की आम या सांप्रदायिक भूमि थी, जो पूरे गाँव समुदाय द्वारा उपयोग के लिए थी, उनकी सामान्य मोचन विशेषता थी, जिसमें, गाँव के निवासी थे।

गाँव जिनका व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि था

अपनी भूमि को खाद देने के लिए, अपनी भूमि को खाद देने के लिए, अपनी भूमि को जोतने के लिए, कई अन्य आनुषंगिक कृषि कार्यों को करने के लिए, उनके जीवित पशुओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी।

चरागाहों, तालाबों, तालाबों, थ्रेशिंग-फर्श, गोबर के गड्ढों, घास के ढेर वाले क्षेत्रों, टिथरिंग क्षेत्रों आदि के रूप में उपयोग करने के लिए भूमि। पंजाब और पेप्सू राज्यों के गाँव कोई अपवाद नहीं थे। स्वतंत्रता की शुरुआत और गाँवों में भी भूमि के मूल्य में वृद्धि के साथ, गाँवों में शक्तिशाली और लालची निवासी गाँव की आम भूमि के हड़पने वाले बन गए, जिससे गाँव के समुदाय को उनका उपयोग करने से वंचित कर दिया गया। कुछ राज्य जो भारत के संविधान द्वारा ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने और उपयुक्त विधायी उपायों द्वारा गाँवों में कृषि और पशुपालन के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम थे, उन्होंने गाँव की आम भूमि पर कानून बनाने के लिए त्वरित कदम उठाए, ताकि ऐसी भूमि को सांप्रदायिक उपयोग के लिए बहाल किया जा सके और गाँव के सभी निवासियों को उनकी संबंधित पंचायतों में निहित करके सामान्य लाभ दिया जा सके।

3) 2 एससीसी 363।

यू अधिनियम (पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ)।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंधित गाँव के पूरे समुदाय का सामान्य लाभ और लाभ। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत पेप्सू राज्य का पंजाब राज्य में विलय हुआ, तो उक्त पेप्सू अधिनियम पूर्ववर्ती पेप्सू के क्षेत्र में काम करता रहा। जब नए पंजाब राज्य में दो विधायी उपायों का संचालन, जो कुछ मामलों में आम नहीं थे, पाए गए

अवांछनीय, पंजाब राज्य ने ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 को अधिनियमित किया, जिसे हम पहले से ही 'प्रमुख अधिनियम' के रूप में संदर्भित करते हैं और इसे 4 मई, 1961 से पंजाब राज्य के पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया। मूल अधिनियम द्वारा पहले के दो अधिनियम जो तब तक इस क्षेत्र को कवर करते थे, उन्हें भी निरस्त कर दिया गया था। मूल अधिनियम, जैसा कि इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, इसके प्रावधानों द्वारा अधिकारों को विनियमित करने वाले कानून को समेकित और संशोधित करने की मांग की गई है।

' शमिलात देह और अबादी देह। जैसा कि 'शमिलात देह' को निरस्त किए गए अधिनियमों में परिभाषित नहीं किया गया था और वहां अनिश्चितता व्याप्त थी इसकी प्रकृति के बारे में, मुख्य अधिनियम ने धारा में 'शमिलात देह' को परिभाषित किया है।

2 (छ) निश्चितता प्राप्त करने के प्रयास में।

23. गाँव की ग्राम पंचायत में एक संविधान पीठ द्वारा शमिलात देह भूमि या गाँव की आम भूमि की प्रकृति की जांच की गई थी।

जमालपुर बनाम। मालविंदर सिंह, 29 9. यह देखा गया कि भारत के विभाजन से पहले, पंजाब में शमिलात देह भूमि गाँव में अन्य भूमि के मालिकों के स्वामित्व में थी, "हसब रसद खेवत", अर्थात, उसी अनुपात में जिसमें वे अन्य भूमि के मालिक थे। इसलिए, जिस व्यक्ति के पास गाँव में कोई भूमि नहीं थी, उसका शमिलात देह भूमि में कोई स्वामित्व अधिकार या हित नहीं हो सकता था। लेकिन चूंकि शमिलात देह भूमि में अन्य भूमि के मालिकों का हित उन अन्य भूमि में उनके स्वामित्व हितों के लिए आकस्मिक था, इसलिए शमिलात में ऐसा हित अन्य भूमि में उनके हित के लिए केवल एक उपांग नहीं था। रैटिगन डाइजेस्ट के अध्याय X (विलेज कॉमन लैंड) का एक संदर्भ दिया गया था, जिसका प्रभाव यह है कि प्रत्येक गांव की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर,

असिंचित बंजर भूमि का कुछ हिस्सा 'आम चरागाह, लोगों की सभाओं, गाँव के मवेशियों के निर्माण और गाँव के आवासों के संभावित विस्तार' के उद्देश्यों के लिए आरक्षित था। ऐसी हैं जमीनें

29 (1985) 3 एस. सी. सी. 661 सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

गाँव या उनके वंशजों की स्थापना करने वाले बसने वालों के मूल निकाय की आम संपत्ति के रूप में आरक्षित भूमि को उत्साहपूर्वक संरक्षित किया जाता था, और कभी-कभी उन लोगों को भी जो कचरे को साफ करने और इसे खेती के तहत लाने में बसने वालों की सहायता करते थे, इन आरक्षित भूखंडों में एक हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती थी। यह आगे देखा गया कि 'उन गाँवों में भी जिन्होंने खेती वाले क्षेत्र के रूप में अलग स्वामित्व अपनाया है, ऐसे कुछ भूखंड आमतौर पर गाँव के सामान्य के रूप में आरक्षित होते हैं, और पट्टीदार गाँवों में, कचरे के कुछ हिस्सों को प्रत्येक पट्टी के मालिकों के सामान्य उपयोग के लिए और अन्य हिस्सों को आम गाँव के उद्देश्यों के लिए आरक्षित करना असामान्य नहीं है। पहले को शामलात-पट्टी और दूसरे को शामलात देह कहा जाता है। यह कहा गया था, 'एक सामान्य नियम के रूप में, केवल गाँव के मालिक (मलिकन-देह) जो अपनी संपत्ति (मलिकन मकबूजा खुद) के मालिकों से अलग हैं, "शमिलात देह" में हिस्सेदारी के हकदार हैं। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पंजाब अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 31 ए द्वारा संरक्षित कृषि सुधारों का एक उपाय था, जो निम्नानुसार हैः

" 12. 1953 के पंजाब अधिनियम को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया था और 26 दिसंबर, 1953 को उनकी सहमति प्राप्त हुई। प्रथम दृष्टया, राष्ट्रपति की सहमति के कारण पंजाब अधिनियम संसद के अधिनियम पर पंजाब राज्य में प्रबल होगा और पंचायतें इस मामले को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों या उपनियमों के अनुसार शामल-देह भूमि से निपटने के लिए स्वतंत्र होंगी, जिसमें निकासी हित भी शामिल है। लेकिन, इस तथ्य से कुछ जटिलता पैदा होती है कि पंजाब अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया था, हालांकि संविधान के अनुच्छेद 31 और 31 ए के विशिष्ट और सीमित उद्देश्य के लिए। अनुच्छेद 31, जिसे हटा दिया गया था संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 में संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान किया गया था। उस अनुच्छेद के खंड (3) में प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई खंड (2) में निर्दिष्ट कोई भी विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी विधि, जिसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है, को उसकी सहमति प्राप्त नहीं हो गई हो। अनुच्छेद 31-ए उस अनुच्छेद के खंड (ए) से (ई) के भीतर आने वाले कानूनों को संरक्षण प्रदान करता है, बशर्ते कि ऐसे कानून, यदि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई हो।

अनुच्छेद 31 का खंड (ए)-ए कृषि सुधार के कानूनों को समझता है। 1953 के पंजाब अधिनियम ने सभी निजी हितों को समाप्त कर दिया। शामलात-देह भूमि और उन भूमि को गाँव [2022] 10 एस. सी. आर. में निहित किया।

पंचायतें और चूंकि यह अधिनियम कृषि सुधार का एक उपाय था, इसलिए इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था।

24. 1961 के अधिनियम की धारा 4 के अनुसार शमिलात भूमि

गाँव की ग्राम पंचायत में निहित। शमिलात की बनियान ग्राम पंचायत में भूमि ने 'शमिलात देह' में अधिकारों के स्वामित्व में एक आदर्श बदलाव लाया। शमिलात भूमि में गाँव के स्वामित्व निकाय के स्वामित्व अधिकारों को एक वैधानिक घोषणा द्वारा समाप्त कर दिया गया था। शमिलात देह में मालिकों और गैर-मालिकों के स्वामित्व और स्वामित्व अधिकार अब से एक ग्राम में निहित होने थे।

पंचायत और ग्राम पंचायत के तत्वावधान में पूरे ग्राम समुदाय के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत परिभाषित शमिलात देह भूमि अब पूरी तरह से, यानी स्वामित्व और शीर्षक के साथ, संबंधित गाँव की पंचायत में निहित है। पंचायत में शमिलात देह भूमि या गाँव की आम भूमि का निहित होना कृषि सुधारों के लिए रहा है और इस तरह का निहित होना संविधान के अनुच्छेद 31 ए द्वारा संरक्षित है।

25. गाँव में आम भूमि का दूसरा रूप भूमि है।

'जुमला मस्टरका मलकान वा दिगर हक्दरन अर्जी हसब रसद रक्बा' के रूप में वर्णित, स्वामित्व निकाय और अन्य अधिकार धारकों की संयुक्त स्वामित्व का उल्लेख उनकी स्वामित्व के अनुसार भूमि में हिस्सेदारी के अनुसार किया जाता है। ये 1948 के अधिनियम के अधिनियमन के साथ लागू हुए थे, जो कृषि जोतों के अनिवार्य समेकन, कृषि जोतों के विखंडन को रोकने और गाँवों में सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि के आवंटन या आरक्षण के लिए एक अधिनियम था।

26. 'सामान्य उद्देश्य' को 1948 के अधिनियम की धारा 2 (बी. बी.), धारा 18 और धारा 23 ए में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" (ख) "सामान्य प्रयोजन" से गाँव की किसी भी सामान्य आवश्यकता, सुविधा या लाभ के संबंध में कोई भी उद्देश्य अभिप्रेत है] और इसमें शामिल हैं -

निम्नलिखित उद्देश्यः -

गाँव अबादी का विस्तार; 30 [-]

(1) [

((ii) संबंधित गाँव की पंचायत के लिए आय प्रदान करना।

गाँव समुदाय के लाभ के लिए]।

3 1 [(iii) गाँव की सड़कें और रास्ते; गाँव की नालियाँ, गाँव के कुएँ; तालाब या तालाब; गाँव के जलमार्ग या जल चैनल; गाँव

30 1963 के पंजाब अधिनियम 39 द्वारा "और" शब्द को हटा दिया गया है और इसे हमेशा हटा दिया गया माना जाएगा।

31 1963 के पंजाब अधिनियम 39 द्वारा सम्मिलित किया गया।

हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

बस स्टैंड और प्रतीक्षा स्थल; खाद के गड्ढे; हदा रोरी; सार्वजनिक शौचालय; दाह संस्कार और कब्रिस्तान, पंचायत घर;

जंज घर; चराई के मैदान; चराई के स्थान; मेला मैदान;

धार्मिक या धर्मार्थ प्रकृति के सार्वजनिक स्थान; और

((iv) विद्यालय और खेल के मैदान, औषधालय, अस्पताल और

प्रकृति, जल-कार्य या नलकूप जैसे संस्थान, चाहे वे स्कूल, खेल के मैदान, औषधालय, अस्पताल संस्थान, जल-कार्य या नलकूप हों, का प्रबंधन और नियंत्रण किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा या नहीं।]

18. साझा उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि। - इसके बावजूद

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित कुछ भी, वह

समेकन अधिकारी के लिए निर्देश देना वैध होगा -

(अ)

कि कोई भी भूमि विशेष रूप से किसी आम के लिए आवंटित की गई है

उद्देश्य इस प्रकार सौंपा जाना बंद हो जाएगा और किसी को भी निर्दिष्ट किया जाएगा

उसके स्थान पर अन्य भूमि;

(ख)

कि किसी धारा या धारा के तल के नीचे कोई भी भूमि बह रही हो

[राज्य] के भीतर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के माध्यम से या उससे किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए सौंपा जाएगा;

कि यदि समेकन के तहत किसी भी क्षेत्र में कोई भूमि आरक्षित नहीं है

((ग)

के विस्तार सहित किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए

ग्राम आबादी, या यदि इस तरह से आरक्षित भूमि अपर्याप्त है, तो ऐसे उद्देश्य के लिए अन्य भूमि आवंटित करें।

32 [23 साझा उद्देश्यों के लिए भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण

जैसे ही कोई योजना लागू होती है, प्रबंधन और सामान्य प्रयोजनों के लिए सौंपी गई या आरक्षित सभी भूमि का नियंत्रण

धारा 18 के तहत गाँव, -

(क) उपखंड में निर्दिष्ट सामान्य प्रयोजनों के मामले में

((iv) धारा 2 के खंड (ख. ख.) की, जिसके संबंध में - प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग राज्य द्वारा किया जाना है

सरकार राज्य सरकार में निहित होगी; और

(ख) किसी अन्य सामान्य प्रयोजन के मामले में, उस गाँव की पंचायत में निहित होगा;

और राज्य सरकार या पंचायत, जैसा भी मामला हो, उससे उपार्जित आय को उपयुक्त बनाने का हकदार होगा।

ग्राम समुदाय का लाभ, और अधिकार और हित

1963 के पंजाब अधिनियम 39 द्वारा शीर्षक दिया गया।

बशर्ते कि गाँव की आबादी या खाद गड्ढों के विस्तार के लिए आवंटित या आरक्षित भूमि के मामले में मालिकों के लिए और गाँव के गैर-मालिक, ऐसी भूमि उन मालिकों और गैर-मालिकों में निहित होगी जिन्हें यह योजना के तहत दी जाती है -

समेकन।] "

27. समेकन कार्य नियमों के अनुसार किए जाते हैं। नियम 4 के तहत एक समेकन योजना तैयार की जाती है और नियम 16 (ii) के तहत सामान्य उद्देश्य के लिए क्षेत्र का प्रावधान किया जाता है।

नियम, जो निम्नानुसार हैं: -

" नियम 16 (i) XX XX

16 ((ii) किसी संपत्ति या संपदा में जहां समेकन के दौरान

कार्यवाही में कोई शामलात देह भूमि नहीं है या ऐसी भूमि पर विचार किया जाता है अपर्याप्त, अधिनियम की धारा 18 (सी) के तहत, गाँव 3 के सामान्य पूल से [इन नियमों की अनुसूची में दिए गए पैमाने पर] "गाँव पंचायत के लिए और अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि आरक्षित की जाएगी"। इस प्रकार आरक्षित भूमि के संबंध में स्वामित्व अधिकार (आबादी के विस्तार के लिए आरक्षित क्षेत्र को छोड़कर)

स्वामी और गैर-स्वामी) संबंधित संपदा या संपदा के स्वामित्व निकाय में निहित होंगे और इसे

अभिलेख अधिकारों के स्वामित्व का स्तंभ (जुमला मलकान वा दिगर हक़्क़दाराना अराज़ी हसब रसद रक्बा)। ऐसी भूमि का प्रबंधन संपदा या संपदा की पंचायत द्वारा किया जाएगा।

गाँव के स्वामित्व निकाय की ओर से संबंधित और

पंचायत को आम जरूरतों और उनके लाभ के लिए इस प्रकार आरक्षित भूमि से प्राप्त आय का उपयोग करने का अधिकार होगा।

संबंधित संपत्ति या संपत्ति।] ”

28. दो अधिनियम-पंजाब अधिनियम और पेप्सू अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति से अधिनियमित किया गया था ताकि समेकन कार्यों के दौरान तत्काल आवश्यकता को पूरा किया जा सके। मालिकों के एनजी को उनके हिस्से की सीमा तक मालिकों के एनजी में जोड़ा जा रहा था। इसके बाद, शमिलात को समावेशी परिभाषा देने के लिए भारत के राष्ट्रपति के साथ 1961 का अधिनियम अधिनियमित किया गया था, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, वह इस प्रकार है:

" 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा सरकार को सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य की आवश्यकता न हो।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

XXX

XXX

XXX

(छ) 'शमिलात देह' में शामिल हैं (1) आबदी देह को छोड़कर राजस्व अभिलेखों में शमिलात देह के रूप में वर्णित भूमि;

(2) शमिलात टिक्का;

(3) राजस्व अभिलेखों में शमिलात, तराफ, पट्टी, पन्ना और थोला के रूप में वर्णित भूमि और ग्राम समुदाय या उसके एक हिस्से के लाभ के लिए या गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए राजस्व अभिलेखों के अनुसार उपयोग की जाती है। (4) आबदी देह या गोराह देह के भीतर सड़कों, गलियों, खेल के मैदानों, स्कूलों, पीने के कुओं या तालाबों सहित ग्राम समुदाय के लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली या आरक्षित भूमि; और

(5) किसी भी गाँव की भूमि जिसे बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया है और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है;

बशर्ते कि गाँव के कुल क्षेत्रफल का कम से कम पच्चीस प्रतिशत हिस्सा गाँव में न हो।

लेकिन इसमें भूमि शामिल नहीं है जो ((i) XXX

XXX

XXX

3. (1) यह अधिनियम लागू होगा, और इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले, शमिलात कानून को हमेशा लागू माना जाएगा,

सभी भूमि जो धारा 2 के खंड (छ) में परिभाषित शमिलात देह हैं। (2) उप-धारा (1) या धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई भूमि शमिलात के तहत पंचायत में निहित है।

लेकिन ऐसी भूमि को धारा 2 के खंड (छ) में परिभाषित शमिलात देह से बाहर रखा गया है, ऐसी भूमि में पंचायत के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित इस अधिनियम के प्रारंभ से समाप्त हो जाएंगे और ऐसे अधिकार, स्वामित्व और ब्याज उस व्यक्ति या व्यक्तियों में संशोधित किए जाएंगे जिसमें वे तुरंत पहले निहित थे।

शमिलात कानून का प्रारंभ और पंचायत ऐसी भूमि का कब्जा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंप देगीः

बशर्ते कि जहां कोई पंचायत कार्य पूरा करने में असमर्थ हो

ऐसी किसी भी भूमि का कब्जा उसके बेचे जाने के कारण या [2022] 10 एस. सी. आर.

अपने किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली ऐसी भूमि में पंचायत के अधिकार, अधिकार और हित इस प्रकार समाप्त नहीं होंगे, लेकिन पंचायत, धारा 10 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसे भूमि मुआवजे के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसे सिद्धांतों और ऐसी तरीके से भुगतान करेगी जो निर्धारित की जाए। निर्धारित किया गया।

4. (1) तत्काल लागू किसी अन्य कानून या किसी समझौते में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद,

लिखत, रीति-रिवाज या उपयोग या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी का कोई डिक्री या आदेश, देश में जो कुछ भी हो, सभी अधिकार, अधिकार और हित,

(क) जो किसी गाँव के शमिलात देह में शामिल है और जो शमिलात कानून के तहत किसी पंचायत में निहित नहीं है, इस अधिनियम के प्रारंभ में, ऐसे गाँव के लिए गठित पंचायत में निहित होगी, और जहाँ ऐसे गाँव के लिए ऐसी कोई पंचायत का गठन नहीं किया गया है, वहाँ पंचायत को ऐसी तारीख पर निहित करेगी जो अधिकार क्षेत्र वाली पंचायत हो।

उस गाँव का गठन किया जाता है;

(ख) जो किसी गाँव के आबादी देह के भीतर या बाहर स्थित है और जो किसी गैर-निवासी के स्वामित्व वाले घर के नीचे है। स्वामी, शमिलात कानून के प्रारंभ पर, ऐसे गैर-स्वामी में निहित माना जाएगा।

(2) शमिलात कानून के तहत पंचायत में निहित कोई भी भूमि इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित मानी जाएगी। (3) उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-धारा (2) में निहित कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा या इसे कभी भी प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा।

(i) उन व्यक्तियों के मौजूदा अधिकार, शीर्षक या हित जो हालांकि राजस्व रिकॉर्ड में अधिभोग किरायेदारों के रूप में दर्ज नहीं किए गए हैं -

प्रथा द्वारा या अन्यथा समान दर्जा दिया गया, जैसे कि ढोलिदार, भोंडे दार, बुटीमार, बसिखुओपाहस,

सौंजीदार, मुकारीदार;

((ii) शमिलात की खेती में व्यक्तियों के अधिकार। किराए के भुगतान के बिना या भूमि राजस्व से अधिक शुल्क के भुगतान के बिना बारह वर्षों से अधिक समय तक और

उस पर देय उपकर; सरकार को सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

((ग) ऐसी भूमि जिसके लिए ऐसी भूमि गिरवी रखी गई है, उसके अधिकार।

26 जनवरी, 1950 से पहले के कब्जे के साथ।

5. (1) सभी निहित या मानी गई भूमि एक में निहित की गई है

संबंधित गाँव के निवासियों के लाभ के लिए पंचायत निर्धारित तरीके से;

बशर्ते कि जहां दो या दो से अधिक गाँवों में एक आम है

शमिलात देह या प्रत्येक गाँव में पंचायत का उपयोग किया जाएगा और पंचायत द्वारा निवासियों के लाभ के लिए निपटाया गया

वह गाँवः

बशर्ते कि जहां दो या दो से अधिक शमिलात टिक्का हों

गाँव में शमिलात टिक्का का उपयोग और निपटान किया जाएगा

उस टिक्का के निवासियों के लाभ के लिए पंचायतः

बशर्ते कि जहां का जमीना जमीना जमीना

पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम, 1953 और पेप्सू किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1955, जैसा भी मामला हो,

कलेक्टर पंचायत के साथ इस तरह से परामर्श करते हुए कि - निर्धारित किया जा सकता है।

XXX

XXX

XXX

11. पंजाब प्री-एम्प्शन में कुछ भी शामिल होने के बावजूद

अधिनियम, 1913, पंचायत द्वारा शमिलात देह में भूमि की कोई बिक्री नहीं पूर्व-खाली होगा और इसके संबंध में पूर्व-प्रवर्तन का कोई आदेश नहीं होगा

ऐसी कोई भी बिक्री इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद निष्पादित की जाएगी।

अधिनियम "।

29. 1961 के अधिनियम में दोनों राज्यों में कई बदलाव किए गए हैं।

बी और हरियाणा। वर्तमान अपीलों में, 1961 का अधिनियम जो लागू है [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्यों के पुनर्गठन के बाद हरियाणा राज्य में डब्ल्यू. ई. एफ. 1.11.1966 विचाराधीन है। 1961 के अधिनियम में किए गए उल्लेखनीय संशोधन 1971 के हरियाणा अधिनियम संख्या 18 और 1981 के हरियाणा अधिनियम संख्या 2 द्वारा किए गए हैं, जो भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिनियमित किए गए थे। धारा 13 सी और 13 डी को ऐसे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जो इस प्रकार हैः

" 5 XXX

XXX

33 [(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि

राज्य सरकार की राय, इसे संभालना आवश्यक है,

के लाभ के लिए बेहतर उपयोग के लिए उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना

गाँव के निवासी किसी भी शमिलात देह से संबंधित थे

सरकार अधिसूचना द्वारा प्रबंधन को संभाल सकती है ऐसी शमिलात देह, बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं।]

34 [13 सी. आदेशों की अंतिमता। – अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए रूप में सहेजें

प्रथम श्रेणी, कलेक्टर या आयुक्त अंतिम होंगे और किसी भी न्यायालय में किसी भी तरह से प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।

13 डी. इस अधिनियम के प्रावधानों को अतिरंजित किया जाएगा। – के प्रावधान

इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद इस अधिनियम का प्रभाव होगा।

किसी भी कानून, समझौते, साधन, प्रथा, उपयोग में निहित, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की डिक्री या आदेश "।

30. इस दौरान कुछ अन्य संशोधन किए गए हैं।

इन कार्यवाहियों की विचाराधीनता। इस तरह के संशोधनों के आधार पर भी कुछ तर्कों को संबोधित किया गया है। उक्त संशोधन इस प्रकार हैं:

** 3 5 [5 ए (1) (1) एक पंचायत, उपहार, बिक्री, विनिमय या पट्टे पर दे सकती है।

शमिलात देह में इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को निहित भूमि

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों सहित

ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो निर्धारित किए जाएं।

5 बी (1) भूमि का कोई हस्तांतरण, उपहार में बेचा गया, आदान-प्रदान किया गया या पट्टे पर दिया गया

या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद, के उल्लंघन में किया गया

निर्धारित नियम और शर्तें, शून्य और उपहारित होंगी,

इस प्रकार हस्तांतरित की गई बेची गई, अदला-बदली की गई या पट्टे पर दी गई भूमि को वापस कर दिया जाएगा, और

पंचायत को सभी बाधाओं से मुक्त करें।

33 1971 के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा जोड़ी गई, 1981 के हरियाणा अधिनियम संख्या 2 द्वारा जोड़ी गई धारा 2 34 35 2007 के अधिनियम 8 द्वारा धारा 5 ए और 5 बी का प्रतिस्थापन और उसके बाद 2013 के अधिनियम 23 द्वारा हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

(2) सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, या तो

स्वतः या किसी पंचायत या निकाय द्वारा उसे किए गए आवेदन पर

गाँव या प्रखंड विकास और पंचायत का निवासी

अधिकारी, स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से अभिलेख की जांच करें

इस अधिनियम की, यदि ऐसी बिक्री, पट्टा, उपहार, विनिमय, अनुबंध या समझौता गाँव वालों के हितों के लिए हानिकारक पाया जाता है और अब नहीं है

पंचायत के हित में आवश्यक, सरकार,

ऐसी पूछताछ करने के बाद, जो उसे उचित लगे, उसे रद्द कर दें।

और किसी भी कानून के तहत कोई अलग कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी

बिक्री, पट्टा, उपहार या विनिमय को रद्द करें। पंचायत होगी सहित ऐसे परिसरों का कब्जा लेने के लिए सक्षम

उस पर निर्माण। यदि कोई है, जिसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। देय होगा।] "

31. इसके बाद, संबंधित तर्कों पर विचार करते हुए

जय सिंह द्वितीय में पूर्ण पीठ ने पक्षकारों के लिए एड वकील के रूप में अभिनिर्धारित किया:

" 22. याचिकाकर्ता, राज्य द्वारा अब लिए गए रुख को देखते हुए

केवल अप्रयुक्त भूमि के संबंध में मुद्दों में शामिल हों, जैसा कि

उक्त भूमि भी शामलात के दायरे में नहीं आएगी।

1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) (1) के तहत परिभाषित देह और न ही

जिसका प्रबंधन और नियंत्रण ग्राम के पास निहित हो सकता है

धारा 18,23-ए और नियम के प्रावधानों के तहत पंचायत

16 (2) 1948 के अधिनियम के अनुसार। वे आगे स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से निवेदन करते हैं

और इसलिए न्यायालय में आग्रह करें कि याचिकाकर्ता दावा नहीं कर रहे हैं धारा 2 (बी. बी.) के तहत आरक्षित भूमि

1948 के अधिनियम की धारा 18,23-ए और नियम 16 (2) और नियम

पक्षकार, जैसा कि अब मौजूद है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी जो भी हो, धारा के खंड (6) की संवैधानिकता का परीक्षण करने के लिए

2 (छ) 1961 के अधिनियम और उस पर संलग्न स्पष्टीकरण संविधान के अनुच्छेद 31-ए या अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन

भारत से। हालाँकि, हम पक्षों की दलीलों को संक्षेप में बता सकते हैं। भूमि तक सीमित मुद्दे पर, विधायी उपाय की विषय वस्तु,

याचिकाकर्ता-मालिकों की अधिकतम सीमा के भीतर या अन्यथा होना।

XXX

XXX

जो सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित क्षेत्रों के लिए धारा 14 के तहत बनाई गई योजना का अभिन्न हिस्सा बन सकता है, सरकार या ग्राम पंचायत के पास निहित है, और मालिकों के पास ऐसी भूमि में कोई अधिकार या हित नहीं बचा है। योजना के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए। अधिनियम या नियम या योजना, जो बनाई गई थी, उसमें ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है कि मालिक केवल उस भूमि के संबंध में अधिकार खो देंगे जिसका वास्तव में कोई उपयोग किया गया था, न कि उस भूमि के संबंध में जिसका बाद में सामान्य उपयोग किया जा सकता है। जिन धाराओं या नियमों का हमने निर्णय के पूर्व भाग में उल्लेख किया है, उनमें से किसी में भी इस बात का जरा भी संकेत नहीं है कि इस योजना में केवल ऐसी भूमि की परिकल्पना की गई है जिनका उपयोग किया गया है। इसके अलावा, सभी प्रासंगिक धाराओं और नियमों में, उल्लिखित शब्द आरक्षित या 'निर्दिष्ट' हैं। इस संबंध में धारा 18 की उप-धारा (3) और धारा 23-ए का उल्लेख किया जा सकता है। कानून के प्रावधान, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, इस प्रकार उस संदर्भ को और मजबूत करेंगे जो सामान्य उपयोग के लिए आरक्षित या आवंटित भूमि के लिए है, चाहे वह उपयोग की गई हो या नहीं।

XXX

XXX

XXX

49. हालाँकि, वे भूमि जिनका मालिकों द्वारा अनुपात के आधार पर योगदान दिया गया हो सकता है, लेकिन आरक्षित नहीं की गई हैं या

बचत भूमि के रूप में जानी जाने वाली योजना में सामान्य उद्देश्यों के लिए निर्धारित, यह समान रूप से सच है, राज्य या ग्राम पंचायत के साथ निहित नहीं होगा और इसके बजाय राज्य के स्वामित्व में रहेगा।

गाँव के मालिकों ने उसी अनुपात में योगदान दिया जिसमें उन्होंने अपने स्वामित्व वाली भूमि का योगदान दिया। 1948 के अधिनियम की धारा 22 में निहित प्रावधानों को देखते हुए, बचत भूमि, जिसका उपयोग योजना के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है, को जुमला मस्टरका मलकान वा दिगर हक्कदारन हसब रसद के रूप में दर्ज किया गया है। अराज़ी खेवट लेकिन महत्वपूर्ण अंतर यह है कि स्वामित्व के स्तंभ में मालिकों को उस भूमि के विपरीत कब्जे में दिखाया गया है जो ग्राम पंचायत के पास निहित है जिसका उपयोग किसी न किसी सामान्य व्यक्ति के लिए किया जाता है।

योजना।

XXX

XXX

XXX

62. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं किः

हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स में निहित प्रावधानों के साथ पढ़ें (समेकन और विखंडन निवारण) अधिनियम, 1948;

((ख) 1961 के अधिनियम के असंशोधित प्रावधान और, विशेष रूप से,

अधिनियम की धारा 18 और 23-ए के साथ पठित धारा 2 (जी) (1) 1948 और 1949 के नियमों के नियम 16 (ii) में ऐसी सभी भूमि शामिल हैं।

जिन्हें विशेष रूप से एक समेकन योजना में निर्धारित किया गया है

नियम 5 और 7 के साथ पठित धारा 14 के तहत तैयार किया गया और पुष्टि की गई धारा 20 के तहत, जिसे प्रावधानों के तहत लागू किया गया है

धारा 24 और कोई अन्य भूमि नहीं;

((ग) वे भूमि जिनका स्वामी द्वारा योगदान किया गया है।

के दौरान उनकी होल्डिंग्स पर लगाए गए प्रो-रेटा कटौती का आधार

समेकन कार्यवाहियाँ और जिन्हें निर्धारित नहीं किया गया है तैयार की गई समेकन योजना में किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए

धारा 14 के तहत नियम 5 और 7 के साथ पढ़ा और कॉलम में दर्ज किया गया

जुमला मस्टरका मलकान वा दिगर हक्कदरन के रूप में स्वामित्व

हसब रसद अराज़ी खेवात और कब्जे के स्तंभ में

स्वामी, ग्राम पंचायत या के साथ निहित नहीं होगा

राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, उप-धारा के तहत (6) धारा 2 (छ) और उसमें संलग्न स्पष्टीकरण या कोई

1961 के अधिनियम या 1948 के अधिनियम के अन्य प्रावधान;

((iv) ऐसी सभी भूमि, जो समेकन के अनुसार थीं।

सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित योजना, चाहे वह उपयोग की गई हो या नहीं,

राज्य सरकार या ग्राम पंचायत के पास निहित होगा, जैसे -

मामला हो सकता है, भले ही स्वामित्व के स्तंभ में

प्रविष्टियाँ जुमला मस्टरका मलकान वा दिगर हक्कदारन हो सकती हैं।

हसब रसद अराज़ी खेवात आदि "।

32. सूरज भान में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि टिप्पणियाँ

सिंह द्वितीय और वीर सिंह द्वारा ग्राम पंचायत को जुमला मस्टरक मलकान की भूमि का अधिकार, स्वामित्व और स्वामित्व प्रदान किया जाएगा।उचित और अमान्य। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 218. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, कानूनी स्थिति कि

यह निम्न प्रकार से प्रकट होता हैः

XXX

(के) जय सिंह के मामले (ऊपर) और वीर सिंह के मामले (ऊपर) में कोई भी अवलोकन जिस हद तक इसे 'जुमला मुश्तारका मलकान' भूमि के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और स्वामित्व प्रदान करने के रूप में लिया जाता है

वी. सी. एल. अधिनियम 1961 की धारा 2 (बी. बी.) को देखते हुए ग्राम पंचायत अनुचित और अमान्य होगी।

समेकन अधिनियम 1948 की धारा 23 ए; इसके अलावा, समेकन नियम 1949 का नियम 16 (ii) और अजीत सिंह के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय।

33. उपरोक्त निष्कर्ष राज्य के साथ-साथ मालिकों द्वारा चुनौती का विषय हैं। राज्य नहीं पाए जाने से व्यथित है। (iii) जय सिंह द्वितीय का और सूरज भान के पैरा 218 (के) में निष्कर्ष, जबकि मालिक संख्या खोजने के खिलाफ व्यथित हैं। ((i) और (ii) जय सिंह द्वितीय का।

34. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत ने तर्क दिया कि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि

1949 के नियमों की धारा 23-ए और नियम 16 (ii) के साथ पठित धारा 18 (सी) के तहत योजना वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए है। यदि सामान्य उद्देश्यों के लिए इस तरह से आरक्षित भूमि के किसी विशेष टुकड़े का उपयोग योजना में परिकल्पित रूप से नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भूमि संरक्षकों के साथ पुनर्स्थापित होगी। ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जिसके भीतर भूमि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित हो।

समय का बिंदु। यह तर्क दिया गया था कि यदि भूमि का सामान्य उपयोग नहीं किया जाता है, पंचायत ऐसी भूमि पट्टे पर दे सकती है, ऐसी पट्टे पर देना पंचायत की आय के लिए नहीं होगा, बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि के इष्टतम उपयोग के लिए होगा। यह भी तर्क दिया गया कि यदि भूमि आरक्षित है

किसी विशेष सामान्य उद्देश्य के लिए, इसका उपयोग किसी अन्य सामान्य उद्देश्य के साथ-साथ ग्रामीण समुदाय के लाभ के लिए किया जा सकता है, जिसमें मालिक और गैर-मालिक शामिल हैं।

35. यह भी तर्क दिया गया कि 1961 के अधिनियम की धारा 2 (छ) (6) कोई नया प्रावधान नहीं है, बल्कि यह केवल एक स्पष्टीकरणात्मक और घोषणात्मक संशोधन है

मौजूदा कानून। शमिलात देह ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि है जिसका उपयोग समेकन से पहले 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) (1) के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाना है। इस न्यायालय ने एक निर्णय में सुखदेव सिंह बनाम के रूप में रिपोर्ट किया। ग्राम सभा बारी खाद 3,6 ने अभिनिर्धारित किया कि वर्ष 1914-15 में राजस्व अभिलेख में शमिलात देह के रूप में अभिलिखित भूमि भूमि की प्रकृति से अलग नहीं हो सकती क्योंकि इसे केवल भूमि के कब्जे में दर्ज किया गया था।

36 (1977) 2 एस. सी. सी. 518 हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

एक पूर्व-समेकन शमिलात भूमि में खेवट में संबंधित शेयरों के अनुसार मालिक। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

सबसे पहले, 1914-15 की 'जमाबंदी' में प्रविष्टि जो

'जामबंधु' में 'शामलात देह' के रूप में यह दर्शाता है कि इस भूमि के चरित्र को 1914 में भी पहचाना गया था।

15 , और यह केवल भूमि की उस प्रकृति से अलग नहीं हो सकता था

क्योंकि यह आगे 'जामबंदी' में कहा गया था कि यह था "खेवट में संबंधित शेयरों के अनुसार" मालिकों का कब्जा।

36. दूसरी ओर, जुमला मस्टरका मलकान भूमि समेकन के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित है। समेकन के बाद सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि का आरक्षण इससे अलग नहीं है

समिलात देह भूमि जो समेकन से पहले मौजूद थी क्योंकि दोनों समान उद्देश्यों के लिए आरक्षित हैं। इन दोनों नामों के कारण समय का अंतर क्योंकि शमिलात भूमि को शमिलात कानून के शुरू होने से पहले तराशा गया था जबकि जुमला-मुस्तरका मलकान भूमि को शमिलात कानून के शुरू होने के बाद तराशा गया था। इसलिए, एक बार जब भूमि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित हो जाती है, तो 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) (6) में परिभाषित शमिलात देह की परिभाषा में जो निहित था, उसे संशोधन अधिनियम के आधार पर स्पष्ट किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि धारा 2 (जी) (6) के स्पष्टीकरण में 1949 के नियमों के नियम 16 (ii) में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों का फिर से उपयोग किया गया है। इसलिए, संशोधन पहली बार ग्राम समुदाय के लाभ के लिए समेकन के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि को निहित नहीं कर रहा है, बल्कि यह केवल एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन है।

37. वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया था कि भले ही यह भूमि अधिग्रहण के लिए एक नया प्रावधान था, लेकिन यह बिना भूमि अधिग्रहण के अधिग्रहण का मामला नहीं था।

क्षतिपूर्ति लेकिन मालिकों के रूप में "शून्य" मुआवजे के साथ अधिग्रहण को उनके स्वामित्व के शेयरों से अनुपात में कटौती लागू करके काटे गए छोटे हिस्से के बदले में आम भूमि के बड़े हिस्से का उपयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। पंचायत द्वारा भूमि के इस तरह के अंतिम उपयोग से मालिकों और गैर-मालिकों सहित पूरे ग्राम समुदाय को लाभ होता है। इसलिए, धारा 2 (जी) (6) को लागू करते समय, मुआवजे का नकद भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मुआवजे के बदले में लाभ पहले ही समेकन योजना में मालिकों को प्रदान किया जा चुका था।

38. मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मनोज स्वरूप ने तर्क दिया कि संशोधन अधिनियम का प्रभाव यह है कि भूमि यह पंचायत के पास निहित है और इसलिए, इस तरह से निहित भूमि को बेचने या अलग करने के लिए पंचायत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्हें 1961 के अधिनियम की धारा 11 से समर्थन प्राप्त है जो पूर्व-प्रवर्तन के अधिकार को कम करती है।

पंचायत की भूमि की बिक्री के संबंध में। यह तर्क दिया गया था कि पंचायत को भूमि सौंपने से सभी अधिकार प्रदान किए जाते हैं और

इस प्रकार निहित भूमि में हित, इसलिए, पंचायत उस भूमि को बेचने के लिए सक्षम है जो अजीत सिंह में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप नहीं है।

40. मालिकों की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि 1948 का अधिनियम उनके स्वामित्व अधिकारों को विभाजित करने पर विचार नहीं करता है, लेकिन 1961 के अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित संशोधन अधिनियम द्वारा भूमि को निहित करने से बिना मुआवजे के भूमि पर उनके स्वामित्व के मालिकों को विभाजित कर दिया जाता है। इस तरह की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अधिदेश का उल्लंघन करती है क्योंकि भूमि मालिकों को कानून के अधिकार के बिना भूमि से वंचित किया जा रहा है। इस प्रकार अधिग्रहित भूमि के बदले में मुआवजा।

41. कुछ मालिकों के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया

कि सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि का वास्तव में इस तरह के सामान्य उद्देश्य के लिए कभी उपयोग नहीं किया गया था और यह कि यह हमेशा गाँव के मालिकों के कब्जे में रही है। इस प्रकार, स्वामी विचाराधीन भूमि के मालिक हैं। इस प्रकार मालिकों को सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य के बिना किसी भी तरह से उनके स्वामित्व, अधिकार या स्वामित्व अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता था।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना, यानी ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के भुगतान के बाद।

42. यह तर्क दिया गया था कि समेकन के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि विशेष रूप से भूमि से अधिक थी

समेकन योजना में सामान्य उद्देश्यों के लिए दी गई भूमि वास्तव में अधिशेष भूमि या बचत भूमि थी। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि अप्रयुक्त भूमि यानी बचत भूमि को मालिकों के साथ संशोधित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी भूमि शामिलत देह के दायरे में नहीं आती है और न ही प्रबंधन

और इसका नियंत्रण 1948 के अधिनियम की धारा 18,23 ए और नियम 16 (ii) के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत के पास निहित हो सकता है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि हालांकि 1948 के अधिनियम के तहत समेकन योजना में भूमि को सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन ऐसी भूमि जिसका न तो उपयोग किया जाता है और न ही किसी विशिष्ट सामान्य उद्देश्य के लिए आरक्षित किया जाता है। मालिकों के साथ बातचीत करें।

43. उपरोक्त निर्णयों और हरियाणा राज्य सहित पंजाब राज्य में शमिलात देह (आम भूमि) के इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि वर्तमान के उद्देश्यों के लिए आम भूमि

संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित 1961 के अधिनियम की धारा 2 (छ) (1) और (6) में आने वाली अपीलों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

(i) एकीकरण से पहले ग्राम पंचायत के स्वामित्व में दर्ज शमिलेट देह जो पंजाब और पी. ई. पी. एस. यू. अधिनियम के प्रारंभ के साथ स्पष्ट रूप से निहित है।
((ii) समेकित करने की प्रक्रिया के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि के लिए जोतों से आनुपातिक कटौती लागू की जाती है।

मालिक, अनिवार्य रूप से अनुमेय के अंतर्गत नहीं आते हैं

भूमि सीमा कानूनों के तहत सीमाएं।
((ग) सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि, जिसके अंतर्गत अनुपात में कटौती की जाती है।

भूमि सीमा कानूनों के अनुसार अनुमेय सीमाएँ,

जिसका प्रबंधन और नियंत्रण पंचायत के पास निहित है।
44. पहली श्रेणी में आने वाली भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है।

जैसा कि उच्च न्यायालय ने हुकुम सिंह के मामले में अभिनिर्धारित किया और बाद में इस न्यायालय ने मालविंदर सिंह के कृषि सुधारों का हिस्सा होने की पुष्टि की।

45. 1948 का अधिनियम एक पूर्व-संविधान कानून है जिसे 07.12.1948 पर भारत के गवर्नर जनरल की सहमति मिली है और इसे 1948 में प्रकाशित किया गया है।

पूर्वी पंजाब सरकार का राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14.12.1948। (2022) 10 एस. सी. आर. के पंजाब अधिनियम संख्या 27 द्वारा 1948 के अधिनियम में दो बाद के संशोधन।

1960 और 1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 39 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिनियमित और प्रकाशित किया गया था। दोनों संशोधनों को बरकरार रखा गया। उच्च न्यायालय द्वारा 1960 के पंजाब अधिनियम सं. 27 और 1963 के पंजाब अधिनियम सं. 39 से संबंधित जीत सिंह के संबंध में किशन सिंह और जगत सिंह के मामले में।

46. दूसरी श्रेणी में आने वाली भूमि को संविधान के अनुच्छेद 31 ए द्वारा संरक्षित कृषि सुधारों का हिस्सा माना गया था।

किशन सिंह और जगत सिंह में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ। जगत सिंह में उच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि उसमें ग्राम पंचायत की आय के उद्देश्य से 20 एकड़ भूमि को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने भूमि को बरकरार रखा 1948 के अधिनियम के बाद से ग्राम पंचायत की आय के लिए बनाए गए अधिनियम को इसके उद्देश्य के अनुसार कृषि सुधारों का हिस्सा पाया गया। हालांकि पीठ के सदस्यों ने अलग-अलग राय दी, लेकिन निष्कर्ष यह था कि 1948 का अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य कृषि सुधार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 31 ए (1) द्वारा संरक्षित किया गया है। इस तरह के फैसले के खिलाफ रंजीत सिंह में 1963 की दीवानी अपील संख्या 743 को संविधान पीठ ने खारिज कर दिया था।

इस न्यायालय से। इस न्यायालय के समक्ष अपीलों की सुनवाई की गई और 27 अप्रैल, 1964 को निर्णय के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन निर्णय दिए जाने से पहले, संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 को 20 जून, 1964 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। उस संशोधन ने अन्य बातों के साथ-साथ 26 जनवरी, 1950 से पूर्वव्यापी रूप से अनुच्छेद 31 ए के खंड (2) में एक नया उपखंड (ए) प्रतिस्थापित किया और खंड (1) में एक परंतुक जोड़ा। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ए पर विचार करते हुए अपने समक्ष उठाए गए मुद्दों का फैसला किया था क्योंकि यह उस समय मौजूद था। इस न्यायालय द्वारा जिस संक्षिप्त बिंदु की जांच की गई थी, वह सत्रहवें संशोधन का उल्लेख किए बिना था कि क्या

ऊपर वर्णित तरीके से प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए ग्राम पंचायत को मालिकों द्वारा स्वामित्व वाली शमिलात देह और अबादी देह में भूमि के संबंध में गैर-मालिकों को स्वामित्व अधिकारों का प्रदान करना अवैध है और यदि ऐसा करने की अनुमति देने वाले कानून के कई प्रावधान अनुच्छेद 31 के दायरे से बाहर हैं क्योंकि कोई मुआवजा देय नहीं है या क्या कानून और की गई कार्रवाई अनुच्छेद 31 ए द्वारा संरक्षित है? अपीलों को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि जिस प्रश्न की जांच की गई थी, वह अपील के तहत निर्णयों की शुद्धता थी, विशेष रूप से जगत सिंह में पूर्ण पीठ के फैसले पर कोई राय व्यक्त किए बिना।

सत्रहवाँ संशोधन। 47. इस न्यायालय द्वारा देखे गए तथ्यों के अनुसार, ग्राम विर्क कलां में 270 कनाल, 13 मरला भूमि ग्राम पंचायत को दी गई थी।

राजस्व का प्रबंधन और प्राप्ति, कुछ भूमि के अलावा हरियाणा राज्य को सरकार के लिए सचिव के माध्यम से आरक्षित किया गया।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

आबदी, खाद गड्ढों के लिए, हालांकि स्वामित्व को राजस्व रिकॉर्ड में मालिकों के नाम पर शमिलेट देह के रूप में दिखाया गया था। गाँव सेवा में, आबादी के विस्तार और गैर-मालिकों के प्रत्येक परिवार को 8 मरले भूमि देने के लिए ग्राम पंचायत के लिए 400 कनाल और 4 मरले अलग रखे गए थे और एक प्राथमिक विद्यालय के लिए 6 कनाल और एक फिरनी (गाँव के चारों ओर गाँव का मार्ग) के लिए कुछ और भूमि आरक्षित की गई थी। गाँव मेहंद में, भूमि एक स्कूल, चर्मोद्योग स्थल, अस्पताल, श्मशान स्थल और गैर-मालिकों के लिए आरक्षित थी। मालिकों को भूमि के लिए मुआवजा नहीं दिया गया था। इस अदालत ने देखा कि पंजाब अधिनियम को हुकुम सिंह मामले में उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, लेकिन कहा कि संविधान के अनुच्छेद 31 (2) ने अधिनियम को अमान्य कर दिया होगा, लेकिन अनुच्छेद 31 ए के अधिनियमन के लिए। इस न्यायालय ने पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम, 1953 का भी उल्लेख किया, जिसमें स्व-खेती के लिए क्षेत्र निर्धारित करने और किरायेदारों को भूमि धारकों से अपनी खेती के तहत भूमि खरीदने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष, चुनौती जगत सिंह में एक निर्णय की शुद्धता के साथ-साथ 1960 के पंजाब अधिनियम संख्या 27 की वैधता को भी थी, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन कहा गया था। इससे पहले कि निर्णय दिया जा सके, संविधान में 17 वां संशोधन लागू हुआ और निर्णय को शामिल किए बिना दिया गया।

अनुच्छेद 31 ए (1) में दूसरा प्रावधान। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ग्राम पंचायत संविधान के भाग III के उद्देश्य के लिए एक प्राधिकरण है और इसने

अनुच्छेद 31 ए का संरक्षण। इस चरित्र के कारण, भले ही शमिलात देह का अधिग्रहण अधिग्रहण के बराबर हो, उच्च न्यायालय निर्णय लेने में सही था जैसा कि उसने इस मामले में किया था। रंजीत सिंह के फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि गाँव विर्क कलां में पंचायत की आय के लिए आरक्षित भूमि असंवैधानिक नहीं पाई गई थी, और इसके अलावा, शमिलात देह की नक्काशी और इसे ग्राम पंचायत को देना पाया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 31 ए द्वारा संरक्षित कृषि सुधार का एक अधिनियम हो, भले ही यह अधिग्रहण के बराबर हो। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 12. इन अधिकारियों की समीक्षा से यह पता चलता है कि जब पंजाब उच्च न्यायालय ने जगत सिंह के मामले के अधिकार पर इन मामलों का फैसला किया, तो इस अदालत में लिया गया विचार देने के पक्ष में था। अनुच्छेद में 'संपत्ति' अधिकारों और ऐसे अधिकारों के 'उन्मूलन और संशोधन' शब्दों का एक बड़ा और उदार अर्थ

31 - ए. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोचुनी के मामले को कार्यकाल में बदलाव किए बिना और कृषि सुधार के किसी भी ढोंग के बिना तारवाड़ को स्थायी के अधिकारों का एक खुला हस्तांतरण माना जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 31-ए द्वारा विचार नहीं किया गया था, हालांकि इसका उदारतापूर्वक अर्थ लगाया गया था।

यह एक विशेष मामला था और हम इसे उन मामलों में लागू नहीं कर सकते जहां कानून की सामान्य योजना निश्चित रूप से कृषि सुधार है और इसके प्रावधानों के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में कुछ सहायक सुधारों को पूरा प्रभाव देने के लिए किया जाना चाहिए। हमारे फैसले में उच्च न्यायालय कोचुनी के मामले में यहां के तथ्यों पर सख्त नियम लागू नहीं करने में सही था।

आज के विकास में न केवल भूमि के समान वितरण की परिकल्पना की गई है ताकि समाज में अनुचित असंतुलन न हो, जिसके परिणामस्वरूप एक ओर भूमिहीन वर्ग हो और दूसरी ओर कुछ लोगों के हाथों में भूमि केंद्रित हो, बल्कि आर्थिक मानकों को बढ़ाने और ग्रामीण स्वास्थ्य और सामाजिक स्थितियों को बेहतर बनाने की भी परिकल्पना की गई है।

सामान्य समुदाय के उपयोग के लिए ग्राम पंचायत को भूमि के आवंटन के प्रावधान, या ग्रामीण आबादी के लाभ के लिए अस्पतालों, स्कूलों, खाद गड्ढों, चमड़े के मैदानों आदि के लिए और इसे जोतों और खुली भूमि के पुनर्वितरण का आवश्यक हिस्सा माना जाना चाहिए, जिन पर स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं ली जाती है। यदि कृषि सुधारों को सफल होना है, तो भूमिहीनों को केवल भूमि का वितरण ही पर्याप्त नहीं है। एक उचित योजना होनी चाहिए

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और परिस्थितियाँ और ग्राम पंचायत जैसे निकाय को भूमि के छोटे हिस्से के व्यक्तिगत मालिकों की तुलना में ग्रामीण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा बनाया गया है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत भाग III के उद्देश्यों के लिए एक प्राधिकरण है जैसा कि हमारे सामने स्वीकार किया गया था और इस चरित्र के कारण इसे अनुच्छेद 31-ए का संरक्षण प्राप्त है, भले ही शामलात देह का अधिग्रहण अधिग्रहण के बराबर हो। हमारी राय में, उच्च न्यायालय निर्णय लेने में सही था जैसा कि उसने मामले के इस हिस्से पर किया था।

14. अबादी देह के संबंध में वही तर्क लागू होना चाहिए। कृषि कारीगरों के एक समूह (जैसे कि गाँव का बढ़ई, गाँव का लोहार, गाँव का चर्मकार, फेरीयर, पहिये का काम करने वाला, नाई, धोबी आदि) का निपटान। यह ग्रामीण नियोजन का एक हिस्सा है और इसे कृषि योजना में समझा जा सकता है। सुधार। यह एक साधारण कहावत है कि भारत गाँवों में रहता है और गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना को बड़े सुधारों का हिस्सा माना जा सकता है जो स्वामित्व का समेकन, हरियाणा राज्य की छत को सरकार के सचिव के माध्यम से तय करते हैं।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

भूमि पर, अधिशेष भूमि के वितरण और खाली और बंजर भूमि के उपयोग पर विचार किया जाता है। चार अधिनियम, अर्थात् समेकन अधिनियम, ग्राम पंचायत अधिनियम, सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम और कार्यकाल की सुरक्षा अधिनियम सुधारों की एक सामान्य योजना का हिस्सा हैं और वर्तमान जैसे अधिकारों के किसी भी संशोधन को अनुच्छेद 31-ए का संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार उच्च न्यायालय मामले के इस हिस्से पर भी अपने निष्कर्ष में सही था।

48. इस प्रकार, संपत्ति को अनुच्छेद 31 ए के तहत कृषि सुधार के एक हिस्से के रूप में अधिग्रहित किया गया था और कोई मुआवजा देय नहीं था

इस न्यायालय के उक्त निर्णय को देखते हुए योजना के तहत पंचायत। वर्तमान अपीलों में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अनुपात में कटौती करके भूमि को पंचायत की आय के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि दूसरी श्रेणी में आने वाली भूमि, यानी सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि, मालिक की अधिकतम सीमा के भीतर नहीं आती है। पंचायत के साथ निहित होगा। संशोधन अधिनियम भूमि का अधिग्रहण नहीं करता है या मालिकों को उनके स्वामित्व से वंचित नहीं करता है क्योंकि सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि को आरक्षित करने वाली समेकन योजना को देखते हुए इस तरह का स्वामित्व पहले से ही विभाजित था। संशोधन अधिनियम केवल एक स्पष्टीकरण है या

घोषणात्मक संशोधन के रूप में भूमि पंचायत में निहित थी

रंजीत सिंह की ताकत। इसलिए, 1961 के अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 2 (जी) (6) सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि को लागू करके निहित करती है। ग्राम पंचायत में प्रो-राटा कट।

49. संशोधन अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद अधिनियमित और प्रकाशित किया गया था, इस प्रकार ऐसा अधिनियम कृषि अधिनियम का हिस्सा है।

सुधार। वर्ष 1992 में, जब संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था, अनुच्छेद 31 को 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के आधार पर 30.04.1979 से हटा दिया गया था। इसलिए, भुगतान का प्रावधान अनुच्छेद 31 (2) के तहत परिकल्पित मुआवजा उस दिन उपलब्ध नहीं था जब संशोधन अधिनियम प्रकाशित किया गया था। अनुच्छेद 300 ए को उसी संशोधन यानी 44 वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

30.04.1979 . ऐसे अनुच्छेद में विचार किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा

कानून के अधिकार से बचाकर उसकी संपत्ति का। चूंकि जमीन पहले से ही ग्राम पंचायत के पास थी, इसलिए भुगतान का कोई सवाल ही नहीं था वर्ष 1992 में मुआवजे का।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50. जैसा कि ऊपर देखा गया है, रंजीत सिंह के आधार पर भूमि का अधिग्रहण किया गया और पंचायत के पास निहित की गई। इस न्यायालय ने कहा कि नहीं

मुआवजे का भुगतान चार अधिनियमों, अर्थात् 1948 अधिनियम, पंजाब अधिनियम और पेप्सू अधिनियम, 1961 अधिनियम और पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम, 1953 को ध्यान में रखते हुए देय था क्योंकि ऐसे अधिनियम भूमि कार्यकाल अधिनियम, 1953 का एक हिस्सा थे।

सुधारों की सामान्य योजना और वर्तमान जैसे अधिकारों के किसी भी संशोधन को अनुच्छेद 31 ए का संरक्षण प्राप्त था। ऐसी भूमि निहित होगी

पंचायत।

51. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एक फैसले में प्रकाश सिंह और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया। वी. संयुक्त विकास

आयुक्त, पंजाब और Ors.³7 ने पाया है कि "जुमला मुश्तारका मलकान" भूमि पंजाब राज्य में शमिलात देह में शामिल नहीं है, इसलिए, 1961 का अधिनियम कलेक्टर को स्वामित्व के संबंध में विवाद का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा। पूर्ण पीठ ने कहा कि "जुमला मुश्तरक मलकान" में स्वामित्व के संबंध में विवाद उठाने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध एकमात्र मंच नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रमुख न्यायालय है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 61. अब जो सवाल बचा है वह यह है कि मंच की पहचान करने के लिए, एक व्यक्ति जो यह दलील देता है कि भूमि "जुमला मुश्तारका मलकान" नहीं है या यह कि यह एक अवैध अनुपात कटौती लागू करके बनाई गई थी या कि भूमि समेकन के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित नहीं थी, उसे संपर्क करने की आवश्यकता होगी। देय राशि के बाद
पूरे मामले पर विचार करते हुए, हम 1961 के अधिनियम, 1976 के अधिनियम या समेकन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाते हैं जो इस तरह की याचिका उठाने वाले व्यक्ति को एक मंच प्रदान करता है और इसलिए, इस तरह के विवाद पर निर्णय लेने के लिए किसी भी मंच के अभाव में किसी व्यक्ति को दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है, लेकिन समेकन अधिनियम की धारा 44 एक दीवानी अदालत को किसी भी मामले पर विचार करने से रोकती है जो -

राज्य सरकार या किसी भी अधिकारी द्वारा सशक्त हैं

तथापि, धारा 44 के निर्धारण या निपटान के लिए समेकन अधिनियम को सिविल न्यायालयों को "जुमला मुस्तरका मलकान" से संबंधित स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय लेने से प्रतिबंधित करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि जो धारा 44 द्वारा निषिद्ध है वह ऐसे मामले हैं जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं या समेकन अधिनियम द्वारा निर्णय लेने के लिए विधिवत सशक्त किसी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समेकन अधिनियम शक्ति प्रदान नहीं करता है
चाहे राज्य सरकार पर हो या उसके तहत अधिकार के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सशक्त अधिकारियों पर। सिविल का अधिकार क्षेत्र

37 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 26809 ई. हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

इसलिए, "जुमला मुश्तरक मलकान" के संबंध में विवाद पर विचार करने के लिए अदालत को समेकन अधिनियम की धारा 44 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। "जुमला मुश्तारका मलकान" में स्वामित्व के संबंध में विवाद उठाने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध एकमात्र मंच इस मामले में अधिकार क्षेत्र वाला नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रमुख न्यायालय है, जैसा कि धारा द्वारा प्रदान किया गया है।

9 सिविल प्रक्रिया संहिता, अर्थात, एक सिविल न्यायालय।

'जुमला मलकान वा डिगर हक्कदारन अराज़ी हसब' के रूप में भी रिकॉर्ड करेंडी रक्बा ',' जुमलान मलकान 'या' मुश्तारका मलकान 'आदि में निहित

हयात। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

“ 146. हालाँकि, संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जय सिंह के मामले (ऊपर), और वीर सिंह के मामले (ऊपर) में कोई भी टिप्पणी (जिसमें समीक्षा के लिए आवेदन)

जय सिंह के मामले (उपरोक्त) में निर्णय को स्पष्टीकरण देकर खारिज कर दिया गया था), यदि यह लिया जाना है कि गाँव के 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए रखी गई भूमि के संबंध में स्वामित्व या स्वामित्व मालिकों की भूमि पर अनुपात में कटौती करके और दर्ज किया गया है।

राजस्व अभिलेखों में 'जुमला मलकान वा दिगर हक्कदारन अराज़ी हसब रसद रक्का', 'जुमलान मलकान' या 'मुश्तारका मलकान' आदि के रूप में राज्य या ग्राम पंचायत के पास निहित है, जैसा भी मामला हो, मुआवजे के भुगतान के बिना सही कानूनी स्थिति नहीं है, इसके बावजूद कि वी. सी. एल. अधिनियम 1961 की धारा 4 के प्रावधान हैं और वास्तव में, केवल प्रबंधन और नियंत्रण ऐसी भूमि का, यथास्थिति, राज्य या ग्राम पंचायत में निहित होना। इसलिए, केवल प्रबंधन और नियंत्रण

समेकन कार्यों के दौरान बनाई गई भूमि के संबंध में स्वामित्व और स्वामित्व से अलग, मालिकों की भूमि पर अनुपात में कटौती करके और राजस्व अभिलेखों में 'जुमला मलकान वा दिगर हक्कदारन अराज़ी हसब रसद रक्का', 'जुमलान मलकान' या 'मुश्तारका मलकान' आदि के रूप में दर्ज किया जाता है, जो पंचायत में निहित होता है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही देखा गया है, एक समेकन योजना में 'सामान्य उद्देश्यों' के लिए रखी गई भूमि की आय के विनियोग से संबंधित प्रावधान को भगत सिंह के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अमान्य कर दिया गया है।

53. हम पाते हैं कि ऐसा निष्कर्ष प्रकाश सिंह या सूरज में मिलता है।

कि 'जुमलान मलकान' या 'मुश्तारका मलकान' भूमि इस प्रकार [2022] 10 एस. सी. आर. में वर्णित है।

राजस्व अभिलेख पंचायत के पास निहित नहीं होगा जो रंजीत सिंह में इस न्यायालय के निर्णय के सही पढ़ने पर आधारित नहीं है। एक बार भूमि को सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया था, चाहे कोई भी विवरण हो।

राजस्व अभिलेख में ऐसी भूमि पंचायत या राज्य के पास निहित होगी। एकमात्र शर्त यह है कि यह मालिकों की अनुमेय सीमा के भीतर नहीं होना चाहिए।

54. इसके अलावा, प्रकाश सिंह में, यह माना गया है कि मंच एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, जो "जुमला" में शीर्षक के बारे में विवाद उठाता है।

मुश्तारका मलकान "नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रमुख न्यायालय है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 अर्थात सिविल न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए मामले में अधिकारिता। हालाँकि उक्त निर्णय पंजाब राज्य के संदर्भ में है, लेकिन उक्त निष्कर्ष इस कारण से टिकाऊ नहीं है कि "जुमला मुश्तरक मलकान" समेकन के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि है। यद्यपि 1949 के नियमों का नियम 16 (ii)

यह निर्धारित करता है कि अनुपात में कटौती लागू करने के बाद सामान्य उद्देश्य वाली भूमि का वर्णन राजस्व रिकॉर्ड में किया जाएगा, लेकिन "जुमला मुश्तारका मलकान" या "मुश्तारका मलकान" अभिव्यक्ति सामान्य उद्देश्यों के लिए ग्राम समुदाय के लाभ के लिए मालिकों की भूमि है। इसलिए, यदि राजस्व स्वामित्व कॉलम में "जुमला मुश्तारका मलकान" या "मुश्तारका मलकान" के रूप में दर्ज करता है, तो यह 1961 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण और उसके तहत प्रदान की गई मशीनरी है जो इस विवाद को निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगी कि क्या यह सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित है।

या नहीं।

55. हम मालिकों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि स्पष्टीकरण उन सामान्य उद्देश्यों के दायरे को बढ़ाता है जिनके लिए योजना के तहत भूमि आरक्षित की गई थी।

1948 अधिनियम की शर्तें। 1949 के नियमों के नियम 16 (ii) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अभिलेखों के स्वामित्व के कॉलम में प्रविष्टि जुमला मलकान होगी।

जिसका अर्थ है सभी मालिकों का स्वामित्व। इनका उपयोग आम तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में किया जाता है, लेकिन ये जुमला मलकान वा डिगर हक्कदरन अराज़ी हसब रसद के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में विचार की गई प्रविष्टि से बड़े दायरे में नहीं हैं। इसलिए, न तो उप-धारा 6 और न ही स्पष्टीकरण अनुच्छेद 300-ए के विपरीत है क्योंकि भूमि का अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान के बिना किया गया था, जो कृषि सुधारों का हिस्सा था, जब मालिकों की भूमि पर अनुपात में कटौती लागू की गई थी। 56. हम सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य में संशोधन के आधार पर धारा 13 सी और 13 डी को शामिल करने के आधार पर उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

वर्ष 1981 और धारा 5 ए और 5 बी का अंतःस्थापन 2007 में किए गए संशोधन या मूल रूप से अधिनियमित 1961 के अधिनियम की धारा 11 के बल पर, संशोधन अधिनियम की वैधता और वैधता किसी भी तरह से प्रभावित होती है। पंचायत को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार तब दिया गया था जब 1948 के अधिनियम के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि आरक्षित करने के लिए मालिकों की भूमि पर आनुपातिक कटौती लागू की गई थी। द.

इसलिए पंचायत ऐसी संपत्ति की पूर्ण स्वामी है जो शमिलात कानून के प्रारंभ के साथ पंचायत में निहित हो गई। रंजीत सिंह में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए ऊपर उल्लिखित दूसरी श्रेणी का हिस्सा बनने वाली उक्त भूमि का पूरा अधिकार, स्वामित्व या हित पंचायत के पास निहित है। 57. एक निर्णय में जिसे महांत शंकरसन रामानुज दास गोस्वामी आदि के रूप में रिपोर्ट किया गया है। उड़ीसा राज्य और एक अन्य, यह माना गया है कि अनुच्छेद 31-ए का लाभ संशोधन अधिनियम के लिए भी उपलब्ध है।

बशर्ते कि ऐसे संशोधन अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की जाए। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 12. पहला तर्क स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। यह मानता है कि अनुच्छेद 31-ए का लाभ केवल उन कानूनों के लिए उपलब्ध है जो स्वयं सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान करते हैं और न कि ऐसे कानूनों में संशोधन करने वाले कानूनों के लिए, राष्ट्रपति इसके बावजूद। इसका अर्थ है कि संपूर्ण मूल और संशोधनकारी कानून को फिर से पारित किया जाना चाहिए, और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, और उसके द्वारा नए सिरे से सहमति दी जानी चाहिए। यह इस देश में विधायी प्रथा के खिलाफ है। यह माना जाना चाहिए कि राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है

अधिनियम के संबंध में अधिनियम में संशोधन करते हुए उसने संशोधन करने की मांग की, और यह तब अधिक है जब संशोधित कानून द्वारा जनता के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित पूर्व कानून के प्रावधान

उद्देश्यों को नए प्रकार की संपत्तियों तक विस्तारित करने की मांग की गई थी। इस तरह के कानून को मंजूरी देते हुए, राष्ट्रपति ने मौजूदा कानून के संचालन के भीतर लाई जाने वाली संपत्तियों की नई श्रेणियों को मंजूरी दी, और उन्होंने वास्तव में, इन नई श्रेणियों की संपत्ति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक कानून को मंजूरी दी। इस प्रकार संशोधन अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की सहमति से आवश्यक परिणाम के रूप में अनुच्छेद 31-ए का संरक्षण हुआ। संशोधनकारी अधिनियम पर उस पुराने कानून के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिसे उसने विस्तारित करने की मांग की थी और राष्ट्रपति ने इस तरह के विस्तार के लिए सहमति दी थी

या, दूसरे शब्दों में, अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक कानून के लिए

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए संपत्ति।

संविधान। 59. तीसरी श्रेणी के संबंध में, मालिक की अधिकतम सीमा के भीतर की भूमि को सामान्य उद्देश्यों के लिए एकत्र किया गया था और यह पाया गया था कि

अजीत सिंह में पंजाब उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा कृषि सुधारों का हिस्सा। यह तर्क दिया गया कि पंजाब की प्रतिभूति के अर्थ में मालिक (भूमि मालिक) एक छोटा भू-स्वामी था। भूमि कार्यकाल अधिनियम, 1953, इसलिए, बाजार मूल्य पर मुआवजे के भुगतान के बिना उनकी हिस्सेदारी का कोई भी हिस्सा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता था। रिट याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सहकारी समिति अधिनियम के अनुसरण में, स्थानीय पंचायत को सामान्य उद्देश्यों के लिए 100 बीघा भूमि दी गई थी, जबकि 1948 अधिनियम के तहत तैयार की गई इस योजना में इसी उद्देश्य के लिए 100 बीघा भूमि प्रदान की जा रही थी। तर्क

यह उठाया गया था कि रिट याचिकाकर्ता सहित अधिकांश मालिकों के पास पहली सीमा के भीतर भूमि है, इसलिए 17 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ए (1) में दूसरा परंतुक शामिल करने के कारण मुआवजे के भुगतान के बिना अधिकतम सीमा के भीतर आने वाली भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। 17 वाँ संशोधन इस प्रकार हैः

" बशर्ते कि जहां कोई कानून इसके लिए कोई प्रावधान करता है

राज्य द्वारा किसी संपत्ति का अधिग्रहण और जहां उसमें शामिल कोई भूमि किसी व्यक्ति के पास उसकी व्यक्तिगत खेती के तहत है, वहां राज्य के लिए ऐसे किसी भी हिस्से का अधिग्रहण करना वैध नहीं होगा।

भूमि जो उस समय लागू किसी कानून के तहत उस पर लागू होने वाली अधिकतम सीमा के भीतर हो या उस पर खड़ी कोई इमारत या संरचना या उससे जुड़ी कोई वस्तु, जब तक कि ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अधिग्रहण से संबंधित कानून में ऐसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान न हो जो बाजार से कम न हो।

उसका मूल्य "।

60. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ 17 वें संशोधन की जांच की और कहा कि यह पूर्वव्यापी नहीं था।

संविधान के अनुच्छेद 31 (2-ए) के साथ-साथ 17 वें संशोधन की जांच करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया गया था, जो राज्य द्वारा अधिग्रहण से संबंधित है और मांग को अछूता छोड़ दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि जहां भूमि किसी ग्राम पंचायत या राज्य को किसी सामान्य राज्य के लिए आवंटित की जाती है, वहां हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से है।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

उद्देश्य, यह हस्तांतरण के लिए, तकनीकी रूप से बोलने के लिए, प्रदान नहीं करता है

स्वामित्व और राज्य सरकार और पंचायत केवल

आय का प्रबंधन करने और उसे उपयुक्त बनाने के लिए सशक्त

मूल धारक सहित ग्राम समुदाय के लाभ के लिए संचालन, घ किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संस्थान के अनुच्छेद 31 (2-ए) में कहा गया है कि जहां कोई कानून हस्तांतरण स्वामित्व का प्रावधान नहीं करता है, केवल प्रबंधन और नियंत्रण ग्राम पंचायत में निहित होगा। न्यायालय ने (पृष्ठ 857-858) निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" यह मुझे इस सवाल पर लाता है कि क्या सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि का आवंटन अधिग्रहण है। इस मुद्दे पर विवाद संविधान के अनुच्छेद 31 (2-ए) के इर्द-गिर्द केंद्रित प्रतीत होता है, जिसमें कहा गया है कि जहां कोई कानून किसी संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे के अधिकार को राज्य या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम को हस्तांतरित करने का प्रावधान नहीं करता है, तो वह ऐसा नहीं करेगा। अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने के लिए माना जाएगा या

संपत्ति का अधिग्रहण, इसके बावजूद कि यह किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करता है। विद्वान महाधिवक्ता ने

प्रस्तुत किया कि किसी भी संपत्ति के कब्जे के अधिकार के लिए प्रावधान

इसका अर्थ है ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण, और इस उप-अनुच्छेद के अनुसार अनिवार्य अधिग्रहण केवल स्वामित्व के हस्तांतरण तक ही सीमित है। हाथ में होने के मामले में, स्वामित्व को कानूनी रूप से स्थानांतरित नहीं किया गया है और यह केवल प्रबंधन और नियंत्रण है जो संबंधित ग्राम पंचायत या राज्य में निहित है, जैसा भी मामला हो। यह अनिवार्य अधिग्रहण के बराबर हो सकता है, लेकिन 17 वें संशोधन द्वारा पेश किया गया आगे का प्रावधान, जिसके बारे में हम चिंतित हैं, केवल राज्य द्वारा अधिग्रहण को प्रभावित करता है और अधिग्रहण को अछूता छोड़ देता है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मुंशा सिंह के मामले में न्यायमूर्ति टेक चंद की टिप्पणियों और रंजीत सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अपना भरोसा रखा है, जिससे संबंधित अंश ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में, यह याद रखा जा सकता है कि अनुच्छेद 31-ए (1) में पेश किया गया अगला परंतुक केवल भूमि राज्य द्वारा अधिग्रहण के मामले में मुआवजे के भुगतान की बात करता है, जो उसमें उल्लिखित व्यक्तियों पर लागू अधिकतम सीमा के भीतर है। कहाँ?

ऐसी भूमि किसी ग्राम पंचायत या राज्य को सामान्य उद्देश्य के लिए सौंपी जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि यह तकनीकी रूप से स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए प्रदान नहीं करता है, और वास्तव में यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि स्वामित्व वास्तव में पंचायत या राज्य को दिया गया है। तर्क दिया जाता है कि स्वामित्व के सभी तत्व [2022] 10 एस. सी. आर.

उन्हें ले जाया जाता है और मालिक के पास जो बचा होता है वह केवल भूसी या छाया होती है। जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, मुझे इस निवेदन से आसानी से सहमत होने में कुछ कठिनाई होती है क्योंकि संपत्ति, भले ही पंचायत या राज्य सरकार में निहित हो, सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित की गई है जिसमें मूल धारक सहित पूरा ग्राम समुदाय समान हिस्सेदार के रूप में रुचि रखता है, और सभी सह-लाभार्थियों के साथ समान रूप से इसका लाभ प्राप्त करने का हकदार है। राज्य सरकार या पंचायत को केवल मूल धारक सहित ग्राम समुदाय के लाभ के लिए संपत्ति से उपार्जित आय का प्रबंधन और उपयोग करने का अधिकार है, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। यह केवल हस्तांतरण का अधिकार है, या, अनन्य उपयोग के लिए या

विनियोग, जिससे मूल धारक को वंचित कर दिया गया है। सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि के उपयोग के लाभ

मूल धारक को समुदाय के अन्य सभी सदस्यों के साथ समान रूप से आश्वस्त किया जाता है। क्या इसे अधिग्रहण माना जा सकता है जो अधिग्रहण से अलग है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना आसान नहीं लगता है। तथापि, अधिनियम की सामान्य योजना और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मुझे प्रथम दृष्टया लगता है कि पैमाना कुछ हद तक इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि राज्य सरकार या पंचायत में संपत्ति का वैधानिक निहितकरण, जैसा भी मामला हो, अधिनियम के तहत, जब यह सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित है, शायद नहीं है।

17 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31-ए में जोड़े गए दूसरे परंतुक के चिंतन के भीतर अधिग्रहण करने का इरादा। लेकिन मुझे इस पर कोई सुविचारित राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। वर्तमान अवसर पर कुछ कठिन और परेशान करने वाला बिंदु, यदि आवश्यक हो तो इसे अधिक उपयुक्त मामले में निपटाने के लिए छोड़ दिया जाता है।

61. अपील में, अजीत सिंह के मामले में इस अदालत की एक संविधान पीठ ने कहा कि 1948 के अधिनियम के तहत योजना रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थी, लेकिन 89 बीघा, 18 बीघा और 18 बिसवानी पुखता भूमि का स्वामित्व समेकन से पहले ग्राम पंचायत के पास था, जिसका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। पंचायत की आय के लिए नहीं, बल्कि आनुपातिक आधार पर अधिकार धारकों पर कटौती लागू करने के बाद कुछ और क्षेत्र सामान्य उद्देश्यों जैसे नहरों, मार्गों, सामुदायिक केंद्र, स्कूल आदि के लिए आरक्षित किए गए थे। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्वामी मुआवजे का हकदार नहीं है क्योंकि स्वामी की उपाधि का विनिवेश नहीं किया जा रहा है और वह प्रबंधन और

नियंत्रण केवल पंचायत के पास निहित है। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह भूमि अधिग्रहण का मामला नहीं था।

हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

62. इस न्यायालय ने इन प्रश्नों पर विचार किया कि क्या अनुच्छेद 31ए (1) के दूसरे परंतुक में, "अधिग्रहण" अभिव्यक्ति का अर्थ संपत्ति के लाभों को पर्याप्त रूप से लेना और इसे राज्य को प्रदान करना है? और यह कि "क्या अधिग्रहण का अर्थ है व्यक्ति की उपाधि के कब्जे और विलुप्त होने के साथ समाप्त होने वाली पूरी प्रक्रिया?" . इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्वामित्व स्वामित्व निकाय, प्रबंधन में निहित है

भूमि का उपयोग स्वामित्व निकाय की ओर से किया जाता है, भूमि का उपयोग सामान्य जरूरतों और संबंधित संपत्ति या संपदा के लाभों के लिए किया जाता है। पंचायत मालिकों की ओर से ऐसी भूमि का प्रबंधन करेगी और सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करेगी, इसलिए अधिकारों के संशोधन का लाभार्थी राज्य नहीं है। इसलिए, दूसरे परंतुक के अर्थ में राज्य द्वारा कोई अधिग्रहण नहीं है। इस न्यायालय ने संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 की जांच की और स्वामी द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 9. अब अनुच्छेद 31-ए के दूसरे परंतुक पर आते हुए, यह देखा जाएगा कि परंतुक में केवल एक श्रेणी का उल्लेख किया गया है, वह श्रेणी "राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण" है। इसका मतलब है कि कानून को राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए एक प्रावधान करना चाहिए। लेकिन "राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण" अभिव्यक्ति का सही अर्थ क्या है। अनुच्छेद 31-ए के संदर्भ में, अनुच्छेद 31-ए (1) के दूसरे परंतुक में "राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होना चाहिए। जैसा कि अनुच्छेद 31-ए के खंड (1) (ए) में है। हमारे समक्ष उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि "द्वारा अधिग्रहण" अभिव्यक्ति

अनुच्छेद 31-ए (1) (ए) में किसी भी संपत्ति के राज्य का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 31 (2-ए) में है। दूसरे शब्दों में, यह आग्रह किया जाता है कि "किसी भी संपत्ति का राज्य द्वारा अधिग्रहण" अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी संपत्ति के स्वामित्व या अधिकार का राज्य को हस्तांतरण, दूसरी ओर श्री अयंगर आग्रह करते हैं कि "राज्य द्वारा अधिग्रहण" अभिव्यक्ति का बहुत व्यापक अर्थ है और इसका अर्थ होगा -

वही अर्थ जो इस न्यायालय द्वारा पश्चिम राज्य में दिया गया था

बंगाल बनाम. सुबोध गोपाल बोस [(1964) एससीआर 587], बॉम्बे के द्वारकादास श्रीनिवास बनाम। शोलापुर कताई और बुनाई कंपनी लिमिटेड [(1954) एससीआर 674] सागीर अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(1955) 1

एस. सी. आर. 707] और बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।

लिमिटेड वी. बॉम्बे राज्य [(1958) एससीआर 1122]। इन मामलों में इस न्यायालय ने "अधिग्रहण" शब्द का व्यापक अर्थ दिया था।

बम्बई के द्वारकादास श्रीनिवास बनाम। शोलापुर कताई और

वीविंग कंपनी लिमिटेड [(1954) एस. सी. आर. 674] महाजन, जे., पी.

704 इस प्रकार हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 'अधिग्रहण' शब्द की काफी व्यापक अवधारणा है, जिसका अर्थ है संपत्ति की खरीद या इसे स्थायी या अस्थायी रूप से लेना। यह आवश्यक रूप से राज्य द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति में कानूनी अधिकार के अधिग्रहण का संकेत नहीं देता है।

10. आइए अब देखें कि क्या दूसरे परंतुक का दूसरा भाग इस प्रश्न पर कोई प्रकाश डालता है। यह ध्यान दिया जाएगा कि यह छत की सीमा को संदर्भित करता है। यह सर्वविदित है कि भूमि सुधारों से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत, कुछ अपवादों के अलावा कोई भी व्यक्ति कानून के तहत निर्धारित सीमा से परे भूमि नहीं रख सकता है। दूसरा, परंतुक में कहा गया है कि न केवल भूमि को अधिग्रहण से छूट दी जानी चाहिए

अधिकतम सीमा के भीतर लेकिन यह व्यक्तिगत खेती के अंतर्गत भी होना चाहिए। इस परंतुक का अंतर्निहित विचार यह प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती कर रहा है, जो उसकी आजीविका का स्रोत है, उसे अनुच्छेद 31-ए द्वारा संरक्षित किसी भी कानून के तहत उस भूमि से तब तक वंचित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कम से कम बाजार दर पर मुआवजा नहीं दिया जाता है। विभिन्न राज्यों में अधिकांश व्यक्तियों को पहले ही मुआवजे की अधिकतम सीमा से अधिक भूमि से वंचित कर दिया गया है जो बाजार मूल्य से कम थी। हमें ऐसा लगता है कि ऊपर उल्लिखित सभी विचारों के आलोक में "द्वारा अधिग्रहण" शब्द

दूसरे परंतुक में राज्य का कोई तकनीकी अर्थ नहीं है, जैसा कि प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है। यदि राज्य ने अपने उद्देश्यों के लिए भूमि में सभी अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, भले ही स्वामित्व मालिक के पास रहे, तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि यह अनुच्छेद 31-ए के दूसरे परंतुक के भीतर अधिग्रहण नहीं है।

XX

XX

XX

12. ..... यह ध्यान दिया जाएगा कि स्वामित्व अभी भी संपत्ति निकाय में निहित है, भूमि का प्रबंधन उनकी ओर से किया जाता है

स्वामित्व निकाय, और भूमि का उपयोग संबंधित संपदा या संपदा की सामान्य जरूरतों और लाभों के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मालिक की भूमि का एक अंश लिया जाता है और एक सामान्य पूल में बनाया जाता है ताकि पूरे का उपयोग आम लोगों के लिए किया जा सके।

ऊपर उल्लिखित संपत्ति की आवश्यकताएँ और लाभ। स्वाभाविक रूप से मालिक भी दूसरों के साथ लाभों में हिस्सेदारी करेंगे। 13. ..... दूसरे शब्दों में, एक मालिक को ऐसे लाभ मिलते हैं जो उसे योजना से अलग कभी नहीं मिल सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि वह एक खेत, एक खाद का गड्ढा, चरागाह के लिए जमीन, खाल आदि चाहते थे, तो वह हरियाणा राज्य को सचिव के माध्यम से सरकार के हवाले कर देंगे।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

उन्हें अपनी आरक्षित भूमि के अंश पर नहीं रख पाए हैं

सामान्य उद्देश्यों के लिए।

साझा उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग। यह सच है कि गैर-मालिक भी लाभ प्राप्त करते हैं लेकिन उनकी संतुष्टि और उन्नति अंत में अधिक कुशल कृषि समुदाय के रूप में मालिकों के लाभ को सुनिश्चित करती है। द.

इस प्रकार पंचायत को कोई लाभ नहीं मिलता है। इस मामले के तथ्यों पर हमें ऐसा लगता है कि अधिकारों के संशोधन का लाभार्थी राज्य नहीं है, और इसलिए राज्य द्वारा कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है।

दूसरे परंतुक के भीतर राज्य करें।

15. दूसरे परंतुक के संदर्भ में, जो संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है

अपनी व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि रखने वाले व्यक्ति के अधिकार, यह कल्पना करना असंभव है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में अपनी व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि रखने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के इस तरह के समायोजन को क्षतिपूर्ति के रूप में माना जाता था।

नकद में। ”

जो पंचायत के पास निहित होगा। प्रबंधन और नियंत्रण में भूमि का पट्टा देना और गैर-मालिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि द्वारा भूमि का उपयोग करना शामिल है जो ग्राम समुदाय के लाभ के लिए है। इसलिए, धारा 4 के तहत निहित होना प्रबंधन और नियंत्रण तक सीमित होगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भूमि के लिए मालिकों की अनुमेय अधिकतम सीमा से अनुपात में कटौती करके मालिकों से लिया गया, केवल प्रबंधन और नियंत्रण पंचायत के पास निहित है, लेकिन प्रबंधन और नियंत्रण का ऐसा निहित होना अपरिवर्तनीय है और भूमि को पुनर्वितरण के लिए मालिकों को वापस नहीं किया जाएगा क्योंकि सामान्य उद्देश्यों के लिए जिनके लिए भूमि को तराशा गया है, उनमें न केवल वर्तमान आवश्यकताएं बल्कि भविष्य की आवश्यकताएं भी शामिल हैं। ऐसी भूमि बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगी ताकि [2022] 10 एस. सी. आर. को अधिकार प्रदान किया जा सके।

क्रेता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पंचायत भूमि की पूर्ण स्वामी नहीं है, लेकिन नियंत्रण और प्रबंधन का प्रयोग करते हुए, ग्राम समुदाय के लाभ के लिए भूमि की रक्षा करना कर्तव्य है। 64. पंचायत का भूमि पर अधिकार नहीं होगा, लेकिन प्रबंधन और नियंत्रण के हिस्से के रूप में, पंचायत को भूमि रखने की स्वतंत्रता है।

सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग। 1948 अधिनियम की धारा 2 (बी. बी.) के तहत परिभाषित ऐसे सामान्य उद्देश्य विनिमेय हैं और इनका उपयोग किसी अन्य सामान्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य उद्देश्य हमेशा विकसित होते रहते हैं, वे समय पर तय नहीं होते हैं। समय में बदलाव और ग्रामीण समुदाय की अपेक्षाओं के साथ, सामान्य उद्देश्य

भूमि के ऐसे आरक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसे व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। इसलिए, हालांकि अधिकतम सीमा के भीतर आने वाली भूमि से बनाई गई भूमि के संबंध में पंचायत का प्रबंधन और नियंत्रण है, लेकिन भूमि के उक्त हिस्से पर पंचायत का पूरा नियंत्रण होगा। धारा 4 में दिखाई देने वाले 'निहित' शब्द का अर्थ यह है कि केवल ऐसी भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण

पंचायत में निहित होगा। 65. शीश राम और ओरस में। वी. हरियाणा राज्य और Ors.[39], एक तर्क उठाया गया था कि भूमि एक विशेष आम के लिए आरक्षित है

उद्देश्य का उपयोग केवल उक्त उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि ग्राम पंचायत में निहित भूमि का उपयोग किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 6. हम अपीलार्थियों के विद्वान वकील की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि बिशंबर दयाल मामले में [1986 पुंज एलजे 208: ए. आई. आर. 1986 पी. एंड एच. 203 (एफ. बी.)] उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने खुशी में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाया था।

पुरी मामला [1978 पुंज एलजे 78: 1978 रेव एल. आर. 443]। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि भूमि ग्राम में निहित है।

पंचायत का उपयोग किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

नियम 3 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट, खेती के लिए पट्टे पर देना एक उद्देश्य है। हम उच्च न्यायालय से असहमत होने का कोई कारण नहीं पाते हैं और वास्तव में खुशी पुरी मामले [1978 पुंज एलजे 78: 1978 रेव एल. आर. 443] जिसे बिशंबर दयाल मामले में पूर्ण पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था [1986 पुंज एल. जे. 208:

ए. आई. आर. 1986 पी एंड एच 203 (एफ. बी.)]। "

66. ऐसा कहने के बाद, हालांकि भूमि पंचायत के पास निहित है, लेकिन ऐसी भूमि का उपयोग केवल सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।

39 (2000) 6 एस. सी. सी. 84 सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

ग्राम पंचायत के साथ निहित। हम इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकते। सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि के लिए आरक्षित किया गया था प्रेसेंटी में और भविष्य में ग्राम समुदाय की आवश्यकता। यदि भूमि का उपयोग समेकन के तुरंत बाद और/या उसके बाद किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है, तो इसे बचत भूमि नहीं कहा जा सकता है। भूमि का द्रव्यमान बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन लोगों की आवश्यकता और ग्रामीण समुदाय की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं।

और इस प्रकार मांगे गए मालिकों के बीच पुनर्विभाजन के उद्देश्य के लिए खुला है। 69. बचत भूमि शब्द का उपयोग पहली बार उच्च न्यायालय द्वारा गुरदियाल सिंह बनाम में किया गया था। हरियाणा राज्य "जिसमें, पंचायत थी

850 मानक कनाल और 15 मार्ला के मालिक। एकीकरण से पहले पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि और ग्राम पंचायत के साथ आने वाली भूमि, प्रबंधन और नियंत्रण पर विचार करने के बाद, यह पाया गया कि 48 मानक कनाल और 14 मरला का उपयोग वास्तव में विभिन्न सामान्य उद्देश्यों के लिए किया गया था और शेष 112 मानक कनाल और 7 मरला को अधिकारधारकों के बीच अनुपात के आधार पर पुनर्वितरित करने का आदेश दिया गया था।

सहायक निदेशक द्वारा 1948 के अधिनियम की धारा 42, होल्डिंग्स का समेकन। सहायक निदेशक समेकन के भूमि के पुनर्वितरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

70. बग्गा सिंह बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में। आयुक्त, फिरोजपुर मंडल, फिरोजपुर 1 1, पंचायत ने एक आवेदन दायर किया

रिट याचिकाकर्ता को बाहर निकालने के लिए निष्कासन। यह दावा किया गया था कि वह मालिक के रूप में कब्जे में है। 2 सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित 50 कनालों में से कनालों का उपयोग मार्गों के लिए किया गया था और शेष 48 कनालों को रिट याचिकाकर्ता द्वारा बचत भूमि के रूप में छोड़ दिया गया था। विद्वत एकल पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में गाँव के स्वामित्व निकाय के नाम पर दर्ज की गई है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि यह गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि शुरू में भूमि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित थी, लेकिन चूंकि इसका उपयोग कभी भी ऐसे किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, इसलिए यह बचत भूमि है जिसका अर्थ है कि क्षेत्र का उपयोग नहीं किया गया है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 4. 1976 के अधिनियम के तहत किसी भी भूमि को सामान्य उद्देश्यों के लिए बनाने के लिए, दो शर्तों को पूरा करना होगा कि इसे धारा 18 के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया था और इसका प्रबंधन और नियंत्रण निहित है।

और जामबंदी में निहित शर्तों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विवादित भूमि हालांकि शुरू में गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित थी, लेकिन कभी भी इस तरह के किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की गई थी और गाँव के स्वामित्व निकाय के नाम पर बचत भूमि दर्ज की गई थी, जिसका अर्थ है कि क्षेत्र का उपयोग नहीं किया गया था। पंचायत, इसलिए, विवादित भूमि के प्रबंधन और नियंत्रण का हकदार नहीं था और इस तरह से नीचे दिए गए अधिकारियों के पास आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

निष्कासन अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता को बाहर निकालना।

71. ग्राम पंचायत के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य फैसले में, गुनिया माजरी बनाम। निदेशक, होल्डिंग्स और ओआरएस 42 का समेकन। , विद्वान

एकल पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यदि सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि ऐसे प्रत्येक उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि के उपयोग से संतुष्ट होती है, तो शेष भूमि को मालिकों को वापस वितरित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

41 (1984) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 384 4 2 (1990) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 823 द स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

" सटीक रूप से, निदेशक/अतिरिक्त निर्देश, होल्डिंग्स के समेकन द्वारा वर्तमान रिट याचिकाओं में यही दृष्टिकोण लिया गया है और मामलों को समेकन अधिकारियों को मूल मालिकों को भूमि के पुनः वितरण के लिए निर्देश जारी करके प्रेषित किया गया है, जिनसे यह अधिकार धारकों के शेयरों को परिभाषित करके समेकन अनुपात के दौरान लिया गया था। इन आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी जानी चाहिए कि हसब जैसी प्रविष्टियाँ

इस भूमि पर दावा करने का अधिकार-धारक एक बार जब इसे सामान्य उद्देश्यों के लिए निर्धारित और आरक्षित किया गया था। ग्राम द्वारा ली गई याचिका पंचायत की पंचायतें और पट्टेदार पूरी तरह से बिना किसी प्रावधान के हैं।

उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए आधार।

पंचायत, ग्राम भेडपुरा बनाम। अतिरिक्त निदेशक, समेकन, पंजाब ", डिवीजन बेंच के समक्ष फिर से एक तर्क उठाया गया कि बची हुई भूमि जिसे बचाट भूमि के रूप में जाना जाता है, को सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग करने के बाद पुनर्वितरित किया जाना चाहिए। 73. मालिकों के वरिष्ठ वकील श्री मनोज स्वरूप ने गुरजंत सिंह बनाम मामले में उच्च न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख किया।

आयुक्त, फिरोजपुर प्रभाग, जिसमें कई अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए लिया गया था, प्रमुख निर्णय 1992 का एल. पी. ए. सं. 868 था। उक्त एल. पी. ए. 1991 की रिट याचिका संख्या 18016 से उत्पन्न हुआ था, जिसमें एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें आयुक्त, फिरोजपुर डिवीजन द्वारा 06.08.1991 पर बेदखली के सामान्य आदेश की पुष्टि की गई थी। पंचायत ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं को अनधिकृत रहने वाले के रूप में बेदखल करने की मांग की थी। विद्वान जिला विकास और पंचायत अधिकारी

कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया। बेदखली के इस तरह के आदेश की पुष्टि फिरोजपुर डिवीजन के आयुक्त ने की थी। उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में यह अनुरोध किया गया था कि अन्य भूमि के साथ विवादित भूमि को समेकन के दौरान और सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने के बाद सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया था। विवादित भूमि बचाट भूमि के रूप में बनी रही और इसका उपयोग किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है। विद्वान एकल पीठ ने आदेश में बलवंत सिंह बनाम के रूप में रिपोर्ट किया। पंजाब राज्य ने "रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया क्योंकि

43 (1992) 1 पीएलआर 10 44 (1997) 1 पीएलआर 391 45 (2000) एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 56 46 (1992) एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 570 [2022] 10 एस. सी. आर.

यह नहीं उठाया गया था कि बचत भूमि को निहित करने के लिए नहीं रखा जा सकता था

हयात। गुरजंत सिंह के मामले में जो तर्क दिया गया वह इस प्रकार थाः

" 4. श्री चोपड़ा, अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील

जोरदार तर्क देता है कि भूमि को बचाट (अधिशेष) के बाद मिला

सामान्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना, संभवतः निहित नहीं हो सकता है

ग्राम पंचायत और यह सटीक प्रश्न एकीकरण के लिए नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक उदाहरणों की एक कड़ी द्वारा ऐसा माना गया था

और यह न्यायालय।

XXX

XXX

XXX

16. माननीय सर्वोच्च द्वारा अपनाए गए सुसंगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए

समय-समय पर न्यायालय और इस न्यायालय में आयोजित करना संभव नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के साथ तालमेल बिठाना और,

इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि बचाट भूमि यानी भूमि जो

सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने के बाद अप्रयुक्त रहता है

इस प्रकार समेकन योजना के तहत निहित

मालिकों के साथ और ग्राम पंचायत के साथ नहीं। जैसे-जैसे वहाँ

क्या मामले के अभिलेखों पर कोई सामग्री नहीं लाई गई है जो दिखाती है कि कैसे उत्परिवर्तन के साथ ग्राम पंचायत के पक्ष में प्रवेश किया गया

भूमि के संबंध में जो लगातार अभिलेखों में दिखाई गई थी स्वामियों से संबंधित अधिकार, पक्ष में उत्परिवर्तन प्रविष्टि

ग्राम पंचायत को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख किया जा सकता है

कि यह दृष्टिकोण उसी माननीय न्यायाधीश द्वारा भी लिया गया था

डी. बी. जिन्होंने वर्तमान को जन्म देने वाली रिट याचिकाओं का फैसला किया पेटेंट अपील पत्र। यह स्पष्ट है कि के प्रावधान

ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और रोकथाम) विखंडन) अधिनियम, 1948 और वे निर्णय जिनका उल्लेख किया गया है

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 18016,18018 और 18049 में न्यायाधीश इस प्रकार, टिक नहीं सकते।

17. इससे पहले कि हम इस आदेश से अलग हों, हम इसका उल्लेख करना चाहेंगे।

कि इस तरह के कई मामले लगभग हर दिन दर्ज किए जा रहे हैं

जैसा कि हमें प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा भी सूचित किया जाता है

पार्टियाँ। हमें ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत भले ही

इस तथ्य से अवगत कि ऐसी भूमि संभवतः इसकी नहीं हो सकती है

इस मुद्दे को मुख्य रूप से इस कारण से उठाया जाता है कि कुछ लोग बचाट भूमि पर कब्जा कर लिया है।

वर्तमान मामला सरकार को सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य का भी प्रावधान करता है। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

ऐसा एक उदाहरण। इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है और जिसके बारे में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि सामान्य उद्देश्यों के लिए चिह्नित भूमि का उपयोग करने के बाद अप्रयुक्त भूमि को मालिकों के बीच उस हिस्से के अनुसार पुनर्वितरित किया जाना चाहिए जिसमें उन्होंने सामान्य उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि का योगदान दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कवायद पूरे पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का हिस्सा बनने वाले गांवों में नहीं की गई है, हालांकि ऐसा करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है। हम पहले ही अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं जिनमें बदले में शामिल हैं -

पुनः विभाजन का प्रावधान। वैधानिक प्रावधान के इस गैर-प्रयोग के कारण पंजाब और पंजाब दोनों राज्यों में व्यापक मुकदमेबाजी हुई है।

हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का हिस्सा बनने वाले गांव। इस अनावश्यक और टालने योग्य मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के साथ-साथ उन मालिकों के सामान्य हित और लाभ को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि का योगदान दिया था,

हम न केवल इस मामले में निर्देश देते हैं कि अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों को मालिकों के बीच बचत भूमि का पुनर्वितरण करना चाहिए।

उनके शेयरों के अनुसार लेकिन यह कवायद पूरे पंजाब और हरियाणा राज्यों और गाँवों में की जानी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। इस प्रकार, इस आदेश की एक प्रति पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों, नागरिक सचिवालय, चंडीगढ़ और प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के सलाहकार को इस निर्देश के साथ भेजी जाए कि क़ानून के तहत संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाएं कि वे अपने शेयरों के अनुसार मालिकों के बीच बचत भूमि का पुनर्वितरण/पुनर्विभाजन करें। यह अभ्यास जितनी जल्दी हो सके किया जाना चाहिए और

अधिमानतः पुनः विभाजन के लिए छह महीने के भीतर शुरू होना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आवेदन करने की स्वतंत्रता, ऊपर उल्लेख किया गया है "।

74. इस प्रकार तर्क यह था कि ऐसी भूमि जो मालिकों के स्वामित्व वाली भूमि के आधार पर बनाई गई है, मालिकों का ऐसी भूमि पर मालिकों के शेयरों के अनुपात में अधिकार है, यदि उसका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है। सिविल अपील सं। 5709-5714 गुरजंत सिंह में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 2001 का निर्णय 27.8.2001 पर लिया गया था। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित तर्क न केवल इस न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क है, बल्कि इसे अभिलिखित तर्क [2022] 10 एस. सी. आर. भी माना जाएगा।

इस न्यायालय द्वारा। पंजाब राज्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश। गुरजंत सिंह इस प्रकार पढ़ते हैं:

" छुट्टी दे दी गई।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री हरीश एन. साल्वे ने कहा कि पंजाब राज्य केवल विवादित फैसले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों के संबंध में आपत्ति लेता है:

" ऐसा प्रतीत होता है कि यह अभ्यास पूरे पंजाब और हरियाणा राज्य और गाँवों में नहीं किया गया है।

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ भले ही एक विशिष्ट क्षेत्र है

ऐसा करने के लिए प्रावधान। यह कवायद जितनी जल्दी हो सके की जानी चाहिए और पुनः विभाजन की कार्यवाही छह महीने के भीतर शुरू होनी चाहिए। ऊपर उल्लिखित निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आवेदन करने की स्वतंत्रता।

प्रत्यर्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें आक्षेपित से उपरोक्त भागों को हटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

निर्णय। हम इन अपीलों को हटाने की सीमा तक अनुमति देते हैं

आक्षेपित निर्णय से उपरोक्त अंश।

इन अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

इस न्यायालय द्वारा और हम उच्च न्यायालय के निर्णय से बाध्य हैं। उन्होंने कुन्हयमद बनाम के फैसले पर भरोसा किया। केरल राज्य 47 और वी. एम. सलगांवकर एंड ब्रदर्स मामले में भी निर्णय। प्रा. लिमिटेड वी. आय कर आयुक्त 48. दूसरी ओर, श्री कांत ने एस. षण्मुगवेल नादर बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। राज्य टी. एन. 9 49.

76. हम पाते हैं कि श्री स्वरूप द्वारा निर्दिष्ट कुन्हयमद का निर्णय उठाए गए तर्क के लिए सहायक नहीं है। वास्तव में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 12. विलय के सिद्धांत में अंतर्निहित तर्क यह है कि एक ही समय पर एक ही विषय-वस्तु को नियंत्रित करने वाले एक से अधिक आदेश या संचालन आदेश नहीं हो सकते हैं। जब एक आदेश

47 (2000) 6 एस. सी. सी. 359 48 (2000) 5 एस. सी. सी. 373 49 (2002) 8 एस. सी. सी. 361 सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

या किसी निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को एक उच्च मंच के समक्ष कानून के तहत उपलब्ध उपचार के अधीन किया गया था, हालांकि चुनौती के तहत डिक्री या आदेश प्रभावी और बाध्यकारी बना हुआ है, फिर भी इसकी अंतिमता को रखा गया है।

खतरे में डाल दिया। एक बार जब उच्च न्यायालय किसी भी तरह से अपने समक्ष याचिका का निपटारा कर देता है-चाहे अपील के तहत डिक्री या आदेश निर्धारित किया गया हो। एक तरफ या संशोधित या बस पुष्टि की गई, यह उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की डिक्री या आदेश है जो अंतिम, बाध्यकारी और परिचालन डिक्री या आदेश है जिसमें अदालत, न्यायाधिकरण या नीचे दिए गए प्राधिकरण द्वारा पारित डिक्री या आदेश का विलय होता है। हालाँकि, यह सिद्धांत सार्वभौमिक या असीमित अनुप्रयोग का नहीं है। वरिष्ठ मंच द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति और विषय या विषय-वस्तु को चुनौती दी जा सकती थी या जिसे रखा जा सकता था।

इसे ध्यान में रखना होगा "।

77. वी. एम. सलगांवकर में, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ बनाए गए कानून के प्रश्न का उत्तर दिया गया था।

राजस्व के संदर्भ में दीवानी अपील को बिना किसी बोलने के आदेश के खारिज कर दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पिछली कार्यवाही बाध्यकारी पूर्ववर्ती के रूप में काम करेगी कि एक बार इस न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है, उच्च न्यायालय बाद के मूल्यांकन वर्ष में एक अलग दृष्टिकोण नहीं ले सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपरोक्त निर्णय 10.04.2000 पर दिया गया था जबकि कुन्हयमद को 19.07.2000 में एक बड़ी पीठ द्वारा दिया गया था।

78. एस. षण्मुगवेल नादर के मामले में, इस न्यायालय ने वैधता की जांच करते हुए वी. एम. सलगांवकर के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है।

मद्रास शहर किरायेदार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1994। उच्च न्यायालय द्वारा पहले दौर में संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। विशेष अनुमति याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि तमिलनाडु राज्य को पक्षकार नहीं बनाया गया था। इस न्यायालय ने संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता की जांच नहीं की थी। संशोधन अधिनियम की चुनौती पर विचार करते हुए पूर्ण पीठ के समक्ष एक बाद के दौर में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ को इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में उद्धृत किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब वरिष्ठ मंच के किसी आदेश के परिणामस्वरूप आदेश की पुष्टि, प्रत्यावर्तन या संशोधन होता है, तो जो उभरता है वह केवल परिचालन भाग बाध्यकारी है, अर्थात न्यायालय द्वारा जारी आदेश या डिक्री जो सकारात्मक या नकारात्मक रूप में व्यक्त की गई है। इस न्यायालय ने यह भी जांच की कि विशेष अनुमति याचिका को खारिज किया जा सकता है

या तो इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत न्यायिक या एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती हो जाता है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 10. सबसे पहले, विलय का सिद्धांत। यद्यपि शिथिल रूप से किसी न्यायालय या मंच के निर्णय, आदेश या निर्णय का अभिव्यक्ति में विलय

एक वरिष्ठ मंच के निर्णय, आदेश या निर्णय को अक्सर एक सामान्य नियम के रूप में नियोजित किया जाता है, निर्णय या आदेश को एक वरिष्ठ मंच द्वारा निपटाया गया है और जिसके परिणामस्वरूप पुष्टि, उलट या संशोधन हुआ है, जो विलय कार्यात्मक भाग है अर्थात अदालत द्वारा जारी जनादेश या डिक्री जिसे सकारात्मक या नकारात्मक रूप में व्यक्त किया गया हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे मामले को लें जहां अधीनस्थ मंच एक आदेश पारित करता है और एक उच्चतर मंच द्वारा निपटाए जाने के बाद, अधीनस्थ मंच द्वारा सौंपे गए कारण से अलग कारणों से इसकी पुष्टि की जाती है, जो उच्चतर मंच के क्रम में विलय होगा वह आदेश का परिचालन भाग है न कि अधीनस्थ मंच का तर्क; अन्यथा एक स्पष्ट विरोधाभास होगा। लेकिन निश्चित रूप से

मामलों में, निर्णय के कारणों को उच्च न्यायालय के आदेश में विलय भी कहा जा सकता है यदि उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय या आदेश तैयार करते समय या तो अपनाया है या दोहराया है।

तर्क, या तर्क का एक स्पष्ट अनुमोदन दर्ज किया गया है, जिसे अधीनस्थ मंच के निर्णय या आदेश में शामिल किया गया है।

XXX

XXX

XXX

12. तीसरा, जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, मुकदमे के वर्तमान दौर में, एम. वरदराजा पिल्लई मामले [85 एल. डब्ल्यू. 760] में निर्णय को केवल एक मिसाल के रूप में उद्धृत किया गया था, न कि न्यायिक निर्णय के रूप में। इस मुद्दे की जांच संविधान के अनुच्छेद 141 के आलोक में पूर्ण पीठ द्वारा की जानी चाहिए थी, न कि विलय के सिद्धांत को लागू करके। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा की बात करता है। कानून की घोषणा के लिए एक भाषण यानी बोलने का आदेश होना चाहिए। कृष्ण कुमार बनाम। भारत संघ [(1990) 4

एससीसी 207: 1991 एससीसी (एल एंड एस) 112: (1990) 14 ए. टी. सी. 846] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पूर्ववर्ती सिद्धांत, जो पिछले निर्णय से बाध्य है, निर्णय तक ही सीमित है और इसमें क्या आवश्यक रूप से शामिल है। यू. पी. राज्य बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड [(1991) 4 एस. सी. सी. 139] आर. एम. सहाय, जे. (पैरा 41 के माध्यम से) ने उप-मौन के नियम के आलोक में इस मुद्दे को निपटाया। पूछा गया सवाल यह थाः क्या किसी अपीलीय न्यायालय के निर्णय को कानून के निष्कर्ष पर अपीलीय न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय के रूप में माना जा सकता है जो न तो उठाया गया था और न ही किसी विचार से पहले या दूसरे शब्दों में ऐसे निष्कर्षों को सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य माना जा सकता है।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

कानून की घोषणा? उनके प्रभु का मानना था कि उप-मौन का नियम है

पूर्ववर्ती नियम के लिए एक अपवाद "। एक निर्णय उप पारित करता है मौन, तकनीकी अर्थ में जो इससे जुड़ा हुआ है

वाक्यांश, जब निर्णय में शामिल कानून का विशेष बिंदु है

अदालत द्वारा महसूस नहीं किया गया या उसके दिमाग में प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत नहीं है।

पहले के किसी निर्णय से बाध्य अगर इसे बिना किसी निर्णय के प्रस्तुत किया गया था।

मुद्दों पर विचार, घोषित कानून नहीं माना जा सकता है, एक बाध्यकारी प्रभाव होना जैसा कि अनुच्छेद 141 द्वारा विचार किया गया है। बिनि।

लॉर्डशिप ने बी. शमा राव बनाम के अवलोकन को उद्धृत किया। संघ

पांडिचेरी क्षेत्र [ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1480: (1967) 2 एससीआर 650]

" यह कहना तुच्छ है कि कोई निर्णय बाध्यकारी है न कि इसके कारण

निष्कर्ष लेकिन इसके अनुपात और सिद्धांतों के संबंध में, निर्धारित

उसमें "। उनके प्रभु ने ज्ञान की सलाह दी-"संयम"।

असहमति या अतिनिर्णय में स्थिरता और एकरूपता के लिए है

लेकिन उचित सीमाओं से परे कठोरता के विकास के लिए हानिकारक है कानून "। (एस. सी. सी पी. 163, पैरा 41)

X

XX

XXX

XXX

14. यह इस न्यायालय के कई फैसलों की समीक्षा के बाद आया है।

कि यह भाषण, व्यक्त या आवश्यक रूप से निहित है, जो केवल है

अनुच्छेद के अर्थ में इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा

141 संविधान "।

79. एस. षण्मुगवेल नादर में, पीठ को लाभ था

कुन्हयमद और वी. एम. सलगांवकर पर विचार करते हुए। उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि यदि विशेष अनुमति याचिका में अनुमति दी जाती है, तो अपीलीय आदेश परिचालन और निष्पादन योग्य आदेश बन जाता है। लेकिन वरिष्ठ मंच द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति और रखी गई चुनौती या रखी जा सकने वाली विषय वस्तु की सामग्री को ध्यान में रखा जाना था।

80. हाल के एक फैसले में कैखोस्रो (चिक) कावासजी के रूप में रिपोर्ट किया गया फ्रामजी वी। भारत संघ और एक अन्य, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 53. हमारे विचार में, विलय का सिद्धांत काफी अच्छी तरह से तय है। के लिए विलय को संचालित करने के लिए, उच्च न्यायालय को गुण-दोष में जाना चाहिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किए गए मुद्दे और रिकॉर्ड निष्कर्ष (ओं)

एक या दूसरे तरीके से इसके गुणों पर। यदि यह वरिष्ठ द्वारा नहीं किया जाता है

अदालत, विलय की याचिका का ऐसे मामले में कोई आवेदन नहीं है और

(एस. षण्मुगवेल नादर बनाम देखें। टी. एन. का राज्य)। " 81. आय आयुक्त के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य फैसले में

कर, बॉम्बे बनाम। एम/एस। अमृतलाल भोगीलाल और Co.5[1], एक आदेश के खिलाफ अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष एक अपील दायर की गई थी

पास हो गया।

आयकर अधिकारी द्वारा। हालांकि, आयकर अधिकारी ने दो मूल्यांकन वर्षों 1947-48 और 1948-49 के लिए फर्म को पंजीकरण देने से इनकार करते हुए एक आदेश पारित किया। एक तर्क दिया गया कि चूंकि मूल्यांकन अधिकारी के आदेश की अपील में पुष्टि की गई है, इसलिए फर्म के गैर-पंजीकरण को भी अपीलार्थी सहायक के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

कमिश्नर। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि विभाग ने नहीं किया है

फर्म को पंजीकृत करने से इनकार करने या फर्म के पंजीकरण को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकार में प्रदान किया गया है। इस न्यायालय ने इस तरह के तर्क पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 13. ....इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। धारा 31 के तहत अपीलीय सहायक आयुक्त पर। यह है।

यह भी स्पष्ट करें कि, अपीलीय प्राधिकरण के प्रयोग करने से पहले

शक्तियाँ, वह आयकर अधिकारी या उसकी बात सुनने के लिए बाध्य है

प्रतिनिधि। यह श्री अय्यंगार द्वारा हमारे सामने आग्रह किया गया है

प्रत्यर्थी की ओर से कि ये प्रावधान इंगित करते हैं कि,

अपीलीय सहायक आयुक्त अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हुए

एक उचित मामले में, आयकर अधिकारी या उसकी बात सुनने के बाद

प्रतिनिधि, द्वारा पारित पंजीकरण के आदेश को अलग रखें

आयकर अधिकारी। हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तथापि, अपीलीय सहायक आयुक्त की शक्तियाँ

व्यापक, है, हम सोचते हैं, मामलों के संबंध में प्रयोग किया जाना है

जिन्हें धारा 30 (1) के तहत विशेष रूप से अपील योग्य बनाया गया है।

अधिनियम। यदि कोई आदेश जानबूझकर छोड़ दिया गया है

अपीलीय सहायक आयुक्त का अधिकार क्षेत्र यह नहीं होगा

के बारे में एक याचिका पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के लिए खुला रहें

ऐसे आदेश की शुद्धता, औचित्य या वैधता। ..... यह सच है।

कि, के आदेश के खिलाफ निर्धारिती की अपील से निपटने में

मूल्यांकन, अपीलीय सहायक आयुक्त संशोधित कर सकते हैं

निर्धारण, इसे उलट दें या आगे की जांच के लिए वापस भेज दें; लेकिन

कोई भी आदेश जो अपीलीय सहायक आयुक्त कर सकता है

51 ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 868 हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

अपील में उसके समक्ष लाए गए किसी भी मामले के संबंध में आयकर अधिकारी द्वारा किए गए पंजीकरण के आदेश को प्रभावित नहीं करेगा और न ही कर सकता है। यदि यह सही स्थिति है, तो पंजीकरण का क्रम

आयकर अधिकारी द्वारा पारित किया गया अधिनियम अपीलीय सहायक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह सख्ती से अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। अपील पर निर्णय लेने के बाद भी और इसके परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश ही एकमात्र आदेश है जो कानून में वैध और लागू करने योग्य है, अपीलीय आदेश में जो मिल जाता है वह अपील के तहत आयकर अधिकारी का आदेश है न कि उसके पंजीकरण का आदेश जो अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील का विषय नहीं था और कभी नहीं बन सकता था। यह सिद्धांत कि न्यायाधिकरण का आदेश अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में विलय हो जाता है, इसलिए वर्तमान में आयकर अधिकारी द्वारा पारित पंजीकरण के आदेश पर लागू नहीं हो सकता है।

मामला "।

82. इस प्रकार, विलय का सिद्धांत यह होगा कि

उच्च न्यायालय परिचालन आदेश बन जाता है न कि वह आदेश जिसके खिलाफ अपील की गई थी और जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

83. गुरजंत सिंह के फैसले के खिलाफ अपील में, इस अदालत के समक्ष केवल भूमि के पुनः विभाजन के लिए समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश के संबंध में शिकायत की गई थी। यह वह निर्देश था जिसे आदेश से हटा दिया गया था। अपील में अधिकारिता के इस तरह के प्रयोग से, उच्च न्यायालय के तर्क को इस न्यायालय का तर्क नहीं माना जाता है। इस तरह के तर्क वास्तव में अजीब परिणामों को जन्म देंगे क्योंकि उच्च न्यायालय के तर्क को सर्वोच्च न्यायालय के तर्क के रूप में स्वीकार करना होगा। इससे अधिक बेतुका तर्क नहीं हो सकता। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एस. षण्मुगवेल नादर में अभिनिर्धारित किया गया है, केवल एक ही कार्यकारी निर्णय/आदेश हो सकता है। एक बार जब यह न्यायालय पुनः विभाजन को पूरा करने की समय सीमा को हटा देता है, तो उच्च न्यायालय का परिचालन आदेश बना रहता है कि बचत भूमि को विभाजित किया जा सकता है, यानी आदेश का परिचालन भाग। हालाँकि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तर्क की इस न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। यह अकेले उच्च न्यायालय का निर्णय होगा जिसे अन्य मामलों में एक मिसाल के रूप में उद्धृत किया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय के आदेश के रूप में नहीं। नतीजतन, हम इस तरह से उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। वास्तव में, विलय के सिद्धांत को लागू करने से, इस न्यायालय का आदेश परिचालन आदेश बन जाता है, लेकिन चूंकि आदेश केवल एक निर्देश को हटाने का है, इसलिए प्रभाव यह होगा कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

84. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि को [2022] 10 एस. सी. आर. के बीच फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता है।

स्वामी केवल इसलिए कि किसी विशेष समय पर इस प्रकार आरक्षित भूमि का सामान्य उपयोग नहीं किया गया है। पक्षकारों के विद्वान वकील किसी विशेष समय-सीमा को इंगित नहीं कर सके जिसके दौरान सामान्य उद्देश्यों को पूरा किया जाना है। चूंकि 'सामान्य उद्देश्य' एक गतिशील अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह समाज की आवश्यकता में बदलाव और बीतते समय के कारण बदलती रहती है, इसलिए एक बार भूमि को सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित कर दिया गया है, तो इसे मालिकों को वापस नहीं किया जा सकता है।

पुनर्वितरण। इसलिए, निष्कर्ष सं। (iii) उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निर्णय अलग रखा गया है क्योंकि अप्रयुक्त भूमि मालिकों के बीच पुनर्वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। विभिन्न पीठों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष उच्च न्यायालय के निर्णय स्पष्ट रूप से गलत हैं और टिकाऊ नहीं हैं। इस प्रकार, जय सिंह द्वितीय मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष संख्या (iii) को दरकिनार कर दिया गया है।

सिविल अपील सं। 1679 2022 का नागरिक आवेदन सं।

1678 2022 का और नागरिक आवेदन संख्या। 1680 2022 का

85. उपर्युक्त अपीलों में, मालिकों की ओर से हरियाणा नगर निगम (संशोधन) के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या 17) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 2 (52 ए) और धारा 161 (1) (जी) अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि उक्त अधिनियम मालिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह कृषि सुधारों की ओर निर्देशित नहीं है। भूमि मालिकों ने यह निर्देश देने की मांग की है कि भूमि उन्हें वापस कर दी जाए। संशोधनों के आधार पर, शमिलात देह को नगर पालिकाओं के पास निहित करना था। इन संशोधनों को अनुच्छेद 13,14,31-ए और संविधान के अनुच्छेद 300-ए का भी उल्लंघन बताया गया था।

86. 2022 की सिविल अपील संख्या 1679 में, अपीलार्थी ने 6.4625 एकड़ (51 कनाल 14 मार्लास) की भूमि खरीदी है।

पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से पूर्ववर्ती मालिक। अपीलार्थी को स्वामी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह एक कंपनी है जबकि अपीलार्थी के विक्रेता स्वामी हो सकते हैं लेकिन तथ्य रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हैं। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कामत ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 199452 में संशोधन करते हुए हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रावधानों को चुनौती दी है, लेकिन राज्य ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका से उत्पन्न फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है। यह तर्क दिया गया था कि संशोधन अधिनियमों के प्रावधान,

52 1994 निगम सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य का कार्य करता है। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 197353 या 1994 का निगम अधिनियम, जिसमें 'शमिलात भूमि' को नगरपालिका में निहित किया गया है, कृषि सुधारों का हिस्सा नहीं हैं और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 31 ए के तहत संरक्षण नहीं है।

इसलिए, यह शहरी स्थानीय निकाय द्वारा एक अधिग्रहण है और मालिकों की संपत्ति केवल मुआवजे के रूप में प्राप्त की जा सकती है। चूँकि संशोधनकारी कानूनों के तहत किसी मुआवजे पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए ऐसे संशोधन पूरी तरह से असंवैधानिक हैं। उक्त मुद्दे पर पहले ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा राजेंद्र प्रसाद और अन्य मामलों में निर्णय लिया जा चुका है। वी. हरियाणा राज्य & Ors.54। 87. राजेंद्र प्रसाद मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने हरियाणा नगरपालिका सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 197455 को असंवैधानिकता के दुष्प्रभाव से ग्रस्त बताते हुए खारिज कर दिया था। यह पाया गया कि उक्त अधिनियम कृषि सुधारों का एक उपाय नहीं था, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 31 ए (1) (ए) द्वारा परिकल्पित संरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता था।

88. सूरज भान मामले में उच्च न्यायालय ने 1973 के नगरपालिका अधिनियम और 1994 में संशोधन करने वाले कानूनों के प्रावधानों को रद्द कर दिया।

निगम अधिनियम राजेंद्र प्रसाद में पूर्ण पीठ के निर्णय पर निर्भर करता है। 2022 की सिविल अपील संख्या 1679 में अपीलार्थी राज्य की कार्रवाई को अधिग्रहण के रूप में मानते हुए मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश के खिलाफ व्यथित है और यह अभिनिर्धारित करता है कि मालिक संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत मुआवजे के हकदार हैं। 89. सूरज भान के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि मालिकों को 'जुमला मुश्तरक मलकान' में उनके स्वामित्व अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है या

53 1973 नगरपालिका अधिनियम 54 ए. आई. आर. 1980 पी एंड एच 37 55 संक्षेप में, '1974 अधिनियम' 56 (1995) 5 एस. सी. सी. 317 57 (1996) 8 एससीसी 324 [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंजाब ग्राम पंचायत नियम, 1965 के नियम 3 के संदर्भ में भूमि मालिकों को भूमि वापस करने के प्रभाव के लिए। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 207. नगरपालिका समिति में, सरहिंद बनाम। परशोतम दास (ऊपर)

और अधिसूचित क्षेत्र समिति v. देस राज (ऊपर), मुद्दा

भूमि मालिकों को भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रभाव तक सीमित था

पंजाब ग्राम पंचायत नियमों के नियम 3 के संदर्भ में,

1965 और मूल मालिकों को दावा करने का अधिकार नहीं था

उक्त नियम के संदर्भ में विचाराधीन संपत्ति। इसके अलावा, अधिसूचना में क्षेत्र समिति v. देस राज (ऊपर), नियम 3 का परंतुक

पंजाब ग्राम पंचायत नियम, 1965 को लागू नहीं माना गया था। जैसे ही भूमि संबंधित पंचायत में निहित हो गई

वी. सी. एल. अधिनियम 1953 का संचालन जिसके तहत ग्राम पंचायत

अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और उक्त वी. सी. एल. अधिनियम 1953 को निरस्त कर दिया था

यह कहा गया था कि वी. सी. एल. अधिनियम 1961 किसी भी तरह से अधिकार को प्रभावित नहीं करता है।

जिसे ग्राम पंचायत ने भूमि पर अधिग्रहित किया था।

XX

XX

X

X

211. वर्तमान मामले में, जब भूमि एक द्वारा ली जा रही है नगरपालिका और, इस प्रकार, एक शहरी की विशेषताओं होगा

क्षेत्र, यह नहीं कहा जा सकता है कि वही प्रभाव देने के लिए है

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत या कृषि सुधारों के लिए।

बल्कि वे सामान्य उद्देश्य जिनके लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा था

'गाँव के निवासियों' द्वारा बंद हो जाएगा। इसके अलावा यह भी

जिनका नगरपालिकाओं में विलय किया जाता है, वे इसके हकदार नहीं होंगे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में सुनवाई

उनका विलय।

90. श्री प्रदीप कांत, विद्वान वरिष्ठ वकील

नगरपालिका या छावनी में शामिल क्षेत्र, ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और संपत्ति और देनदारियां नगरपालिका के पास निहित होंगी।

58 संक्षेप में, 1994 का अधिनियम 'द स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट'। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

91. श्री कामत ने तर्क दिया है कि राज्य का रुख है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए संशोधन की आवश्यकता थी

सामान्य प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि अधिभोग योग्य नहीं है। यह बताया गया कि इस तरह के उद्देश्य के लिए, हरियाणा सामान्य उद्देश्य भूमि बेदखली और किराया वसूली अधिनियम, 19855 9 को 1948 अधिनियम के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि को सार्वजनिक परिसर के रूप में मानने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त पहलू पर सूरज भान की पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के लिए विचार किया गया है कि 1961 के अधिनियम और 1985 के अधिनियम के तहत दोनों कार्यवाहियां समानांतर कार्यवाहियां हैं और यह किसी भी विकल्प को चुनने के लिए खुला है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 83. यह उचित रूप से ध्यान दिया जा सकता है कि हरियाणा राज्य ने हरियाणा सामान्य उद्देश्य भूमि बेदखली और किराया वसूली अधिनियम, 1985 भी बनाया है। उक्त अधिनियम आम लोगों के लिए आरक्षित भूमि से अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने का प्रावधान करता है।

समेकन अधिनियम, 1948 के अधीन उद्देश्य। धारा 2 के संदर्भ में

उक्त अधिनियम के 'सामान्य उद्देश्य भूमि' को समेकन अधिनियम 1948 की धारा 18 के तहत एक गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है, प्रबंधन और नियंत्रण

जिसका निहित राज्य सरकार या पंचायत में उक्त 16-02-2022 (89 का पृष्ठ 31) की धारा 23-ए के तहत निहित है।

डब्ल्यू. डब्ल्यू. मनुपात्रा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पुस्तकालय

समेकन अधिनियम 1948। हरियाणा सामान्य प्रयोजन भूमि बेदखली और किराया वसूली अधिनियम, 1985 की धारा 3 हरियाणा सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1972 को सामान्य उद्देश्यों के लिए लागू करने का प्रावधान करती है। यह प्रदान किया जाता है

कि उस समय लागू किसी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, हरियाणा सार्वजनिक परिसर के प्रावधान और भूमि
(बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1972, सामान्य उद्देश्य वाली भूमि पर लागू होगा जिसे सार्वजनिक माना जाएगा।

उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए परिसर। हालाँकि, वी. सी. एल. अधिनियम 1961 के प्रावधान अधिक व्यापक हैं और इसके विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में पक्षों के बीच विवादों के साथ-साथ अन्य विवादों से निपटते हैं, जैसा कि ऊपर देखा गया है। वी. सी. एल. अधिनियम 1961 के प्रावधान प्रदान की गई प्रक्रिया के अतिरिक्त होंगे।

समेकन अधिनियम 1948 के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि से अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए। तथापि, वी. सी. एल. अधिनियम 1961 के प्रावधानों का धारा 13-डी को ध्यान में रखते हुए प्रबल प्रभाव होगा। इसके अलावा, के प्रावधान

59 इसके बाद '1985 अधिनियम' [2022] 10 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित किया गया।

वी. सी. एल. अधिनियम 1961 को ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा के अधिकारियों द्वारा लागू और प्रशासित किया जाता है। उक्त विभाग के अधिकारियों को वी. सी. एल. अधिनियम 1961 के तहत कलेक्टर, आयुक्त और वित्तीय आयुक्त की शक्तियों के साथ निवेश किया गया है। सरपंचा और

ग्राम पंचायतों के पंच प्रखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ अपने दिन-प्रतिदिन के व्यवहार में अधिक परिचित हैं। इसलिए, पंचायतों में निहित भूमि के विवादों के समाधान के लिए एक अतिरिक्त मंच होना या उसका प्रबंधन और नियंत्रण पंचायतों के पास है। इसके अलावा, यदि पंचायत या पंचायत के प्रबंधन में निहित भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों को बेदखल करने के लिए दो प्रक्रियाएं प्रदान की जाती हैं और

नियंत्रण अवैध या अनुचित नहीं होगा।

92. सुश्री अग्रवाल ने 1961 के अधिनियम की धारा 5 का उल्लेख करते हुए कहा कि शमिलात भूमि एक ही गाँव के निवासियों के लाभ के लिए है, लेकिन यदि एक से अधिक गाँव के लिए सामान्य लाभ है, तो भूमि का उपयोग उस गाँव के निवासियों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए, न कि दूसरे गाँव के। यह आगे तर्क दिया गया कि शमिलात देह भूमि ग्रामीण क्षेत्रों की एक अवधारणा है और शहरी नगरपालिका कानूनों में इसका आयात राज्य विधानमंडल द्वारा पूरी तरह से गलत निर्माण है। नगरपालिका निकायों को ऐसी भूमि का हस्तांतरण ग्रामीणों के लिए नुकसानदेह होगा और इसलिए यह कानूनन गलत होगा। नगरपालिका निकायों को भूमि सौंपना एक कृषि सुधार नहीं है और इसलिए, अनुच्छेद 31 द्वारा संरक्षित नहीं है। 93. आगे यह तर्क दिया गया कि शमिलात भूमि ग्राम पंचायत की संपत्ति नहीं है और इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के पास केवल उस गाँव के ग्रामीणों के लाभ के लिए एक सीमित उद्देश्य के लिए 1948 के अधिनियम के तहत समेकन के दौरान बनाई गई भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण है। इस तरह का निहित होना पंचायत के साथ बनाया गया एक न्यास है और इसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्थानांतरित या निहित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत केवल उतना ही अधिकार हस्तांतरित कर सकती है जितना उसका था, इसलिए, शमिलात भूमि को नगर पालिका को हस्तांतरित करने से मालिकों और इसलिए, किसी भी मामले में मालिकों के हितों का विनिवेश हो जाता है।

समुदाय के लाभ के लिए इस प्रकार आरक्षित भूमि का उपयोग करना जारी रखा होगा।

94. हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि चूंकि राज्य ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका में आदेशों को चुनौती नहीं दी है, इसलिए हरियाणा राज्य ने सचिव के माध्यम से सरकार को चुनौती दी है।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

इसलिए राज्य सूरज भान में पूर्ण पीठ के फैसले को चुनौती नहीं दे सकता है। राज्य सूरज भान में पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए पूरे फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है। 1994 के निगम अधिनियम में संशोधन करने वाले प्रावधान 1973 के नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने वाले प्रावधानों के समान हैं। इसलिए, यह तर्क कि राज्य ने रिट याचिका में पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की है, किसी भी विचार के योग्य नहीं है क्योंकि पूरा निर्णय अपील में है।

95. तथ्य यह है कि पंजाब और हरियाणा की पूर्ण पीठ

राजेन्द्र प्रसाद के मामले में उच्च न्यायालय ने हरियाणा नगरपालिका सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1974 को इस आधार पर असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है कि ऐसा अधिनियम कृषि सुधार का उपाय नहीं है। राजेंद्र प्रसाद में उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई दुर्बलताएँ 1973 के नगर निगम अधिनियम और 1994 के निगम अधिनियम में संशोधन करने वाले कानूनों पर बहुत अच्छी तरह से लागू होती हैं। इसलिए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि करने में कोई संकोच नहीं है कि 1973 के नगर निगम अधिनियम और 1994 के निगम अधिनियम में संशोधन करने वाले कानून भी असंवैधानिक हैं क्योंकि वे कृषि सुधारों का हिस्सा नहीं हैं।

96. हालाँकि, हम श्री प्रदीप कांत द्वारा उठाए गए तर्क में योग्यता पाते हैं कि यदि पूरा या पंचायत क्षेत्र का कुछ हिस्सा पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

नगरपालिका सीमाएँ, और पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, भूमि नगरपालिका के पास निहित होगी और मालिकों को वापस नहीं की जाएगी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

" 7. सभा क्षेत्र का सीमांकन-(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, पाँच सौ से कम की आबादी वाले किसी भी गाँव या गाँव के एक हिस्से या आस-पास के गाँवों के समूह को घोषित कर सकती है।

एक या अधिक सभा क्षेत्रों का गठन करना:

बशर्ते कि सरकार अपवादात्मक मामलों में,

लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए 500 की जनसंख्या की सीमा में ढील दें:

बशर्ते कि न तो पूरा और न ही किसी का कोई हिस्सा

(क) हरियाणा नगरपालिका के अंतर्गत गठित नगरपालिका

अधिनियम, 1973;

(ख) छावनी;

सभा क्षेत्र में तब तक शामिल किया जाएगा जब तक कि किसी नगरपालिका में अधिकांश मतदाता ग्राम पंचायत की स्थापना नहीं चाहते हैं।
जिस स्थिति में नगरपालिका की परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, यदि कोई हों, [2022] 10 एस. सी. आर.

ग्राम पंचायत में निहित होगा और नगरपालिका समाप्त हो जाएगी अस्तित्व में होना।

(2) जनसंख्या का निर्धारण अंतिम आधार पर किया जाएगा।

पूर्ववर्ती दशकीय जनगणना जिसमें से प्रासंगिक आंकड़े हैं

प्रकाशित किया गया।

(3) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को शामिल कर सकती है या

सभा क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र को बाहर कर दें।

(4) यदि पूरा सभा क्षेत्र नगरपालिका में शामिल है

या एक छावनी, ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और

इसकी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ नगरपालिका में निहित होंगी या छावनी, जैसा भी मामला हो।

(5) यदि पूरा सभा क्षेत्र फरीदाबाद में शामिल है।

फरीदाबाद परिसर के तहत परिसर (विनियमन और

विकास) अधिनियम, 1971, ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और इसकी संपत्तियाँ और देनदारियाँ फरीदाबाद परिसर में निहित होंगी।

97. 1973 के नगरपालिका अधिनियम की धारा 2-ए वर्गीकरण से संबंधित है।

और पचास हजार से कम आबादी वाले संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पालिका समिति, पचास से अधिक आबादी वाले छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद जैसी नगर पालिकाओं का गठन।

एक हजार लेकिन तीन लाख से कम और तीन लाख या उससे अधिक की आबादी वाले बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम। खंड 3 राज्य सरकार को 1973 के नगरपालिका अधिनियम के तहत किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाने का प्रस्ताव देने का अधिकार है। धारा 4 राज्य सरकार को नगरपालिका की सीमाओं को बदलने का अधिकार देती है जबकि धारा 5 राज्य सरकार को किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका की सीमाओं से बाहर रखने का अधिकार देती है।

नगरपालिका। 1973 के नगरपालिका अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 3. नगरपालिका घोषित करने की प्रक्रिया। — (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी स्थानीय क्षेत्र का प्रस्ताव कर सकती है

इस अधिनियम के तहत नगरपालिका।

(2) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करेगी।

जिससे यह संबंधित है।

XX

XX

XX

(10) एक समिति ऐसे समय पर अस्तित्व में आएगी जब -

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियुक्ति कर सकती है।

60 2002 के हरियाणा अधिनियम संख्या 11 द्वारा सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा राज्य में संशोधन किया गया। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

4. नगरपालिका की सीमाओं के बाद के इरादे की अधिसूचना। (1) द.

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और इस तरह के अन्य तरीके से जैसा कि यह निर्धारित कर सकता है, एक के भीतर शामिल करने के अपने इरादे की घोषणा करें

नगरपालिका उसी के आसपास का कोई भी स्थानीय क्षेत्र और परिभाषित अधिसूचना में।

(2) एक्सएक्स

XX

XX

(4) जब किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका के अंतर्गत शामिल किया गया हो। उप-धारा (3), यह अधिनियम, और, राज्य सरकार के रूप में छोड़कर

5. स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका से बाहर करने के इरादे की अधिसूचना। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसे अन्य मामलों में

जिस तरह से वह उचित समझे, एक से बाहर करने के अपने इरादे की घोषणा करें

नगरपालिका में शामिल और परिभाषित कोई भी स्थानीय क्षेत्र अधिसूचना "।

98. अधिसूचित क्षेत्र समिति में एक तर्क उठाया गया था

पंजाब अधिनियम के तहत एक बार पंचायत के पास निहित भूमि

उक्त अधिनियम की धारा 3 (ए) के पक्ष में परिवर्तन किया जाएगा

1974 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद। जैसा कि उक्त अधिनियम था

लाल शून्य, यह मालिकों के साथ संशोधित है। इस तरह के तर्क को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया, हालांकि उच्च न्यायालय ने इस तरह के तर्क को स्वीकार कर लिया था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

संबंधित ग्राम पंचायत में 1953 के अधिनियम के अनुसार, हम सभी यह तय करना आवश्यक है कि क्या वादी-उत्तरदाताओं का रुख है

कि जो किया गया है उसके अनुसार उन्हें वापस कर दिया गया है

उपरोक्त परंतुक में उल्लिखित सही है या नहीं।

4. उपरोक्त प्रश्न का निर्णय करने के लिए, पंजाब ग्राम के नियम 3 को जाने दें। पंचायत नियम, 1965 का उल्लेख किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैः

3. “ यदि पूरा सभा क्षेत्र नगर पालिका में शामिल है,

छावनी या अधिसूचित क्षेत्र सभी अधिकार, दायित्व, संपत्ति,

परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ यदि कोई हों, चाहे वे किसी अनुबंध से उत्पन्न हों

या अन्यथा नगरपालिका समिति, छावनी में निहित होगा। बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति, जैसा भी मामला हो, हो सकता हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि भूमि, जो पंचायत में निहित है,

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 या

पूर्वी पंजाब एकीकरण और रोकथाम के तहत पंचायत विखंडन अधिनियम, 1948, सह-भागीदारों के पास वापस आ जाएगा और

उनके मालिक।

5. प्रत्यर्थी का पहला तर्क है कि अपीलार्थी के लिए -

पूरा सभा क्षेत्र इसमें शामिल किया गया होगा। तब यह आग्रह किया कि भले ही आवश्यकता के इस हिस्से को संतुष्ट किया जाए,

उपरोक्त परंतुक में जो कहा गया है, उसके कारण भूमि

उन्हें वापस कर दिया। इस तर्क का अगला पन्ना यह है कि

22 दिसंबर, 1976 की अधिसूचना द्वारा परंतुक का लोप गाँव गुढ़ा के क्षेत्र के रूप में स्थिति को बदल नहीं सकते, में

जो भूमि स्वीकार्य रूप से स्थित है, उसे हिस्सा घोषित किया गया था

6-10-75 पर अधिसूचित क्षेत्र का; और इसलिए, इसके द्वारा संचालित परंतुक

पंचायत की धारा 8 की उप-धारा (2) में कहा गया है। अधिनियम, जो निम्नलिखित भाषा में हैः

XXX

XXX

यह दर्शाता है कि समग्र के गैर-समावेशन का एकमात्र प्रभाव

ग्राम पंचायत का क्षेत्र यह है कि संबंधित का अधिकार क्षेत्र

अधिसूचित क्षेत्र समिति कम हो जाएगी और सीमित हो जाएगी। शामिल हिस्से के लिए। जैसा कि वर्तमान मामले में कुछ भी नहीं है

दिखाएँ कि ग्राम पंचायत का वह भाग जिसमें सूट की भूमि है

स्थिति को अपीलार्थी के क्षेत्रीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था

समिति, की ओर से पहला विवाद आगे बढ़ाया गया प्रत्यर्थी, जिसे निम्नलिखित न्यायालयों में स्वीकृति मिली थी,

इसे कानूनी रूप से सही नहीं माना जा सकता है। ”

99. नगरपालिका समिति, सरहिंद में, वादी ने एक मुकदमा दायर किया

एक घोषणा के लिए नगरपालिका समिति कि विषय वस्तु

वाद भूमि स्वामी के रूप में वादी की संपत्ति है। नगरपालिका

सरहिंद नगरपालिका का विस्तार किया गया, जिसमें नगर पंचायत की ग्राम सभा का एक हिस्सा शामिल था और विवादित क्षेत्र सरकार के सचिव के माध्यम से हरियाणा के नगरपालिका राज्य के अंतर्गत आया।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

एस. जिस तर्क का उच्च न्यायालय ने समर्थन किया वह यह था कि

सभा क्षेत्र की पूरी भूमि एक शहरी संपदा में शामिल है।

पंजाब नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों में कोई निहित नहीं हो सकता है।

नगरपालिका के साथ सभा क्षेत्र। इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया गया।

न्यायालय को 'संपूर्ण' के रूप में एक 'भाग' सहित कहा गया था। और भी आगे,

मालिकों का अनुमान कि शमिलात संपत्ति खड़ी होगी

मालिकों को पत्र स्वीकार नहीं किया गया था। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 7. लेकिन एक विवाद आगे बढ़ाया गया है जिसका समर्थन किया गया है

उसके नीचे की अदालतें जब तक कि सभा क्षेत्र की पूरी भूमि नहीं है

पंजाब के प्रावधानों के तहत एक शहरी संपत्ति में शामिल

नगरपालिका अधिनियम, तब सभा क्षेत्र को निहित नहीं किया जा सकता है नगरपालिका के साथ। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

चूंकि धारा 4 की उप-धारा (3) में 'संपूर्ण' अभिव्यक्ति

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम को एक 'भाग' के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

और इसलिए यदि सभा क्षेत्र का एक हिस्सा इसके भीतर शामिल है

नगरपालिका और यह ग्राम पंचायत का हिस्सा नहीं रह जाता है। ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 8 को हटा दिया गया।

वर्ष 1962 में ग्राम पंचायत अधिनियम। धारा 4 (3) निकाली गई

उपरोक्त को पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम में प्रभावी रूप से जोड़ा गया था

14-7-1978 से। पंजाब ग्राम पंचायत नियम, 1965 पंजाब की धारा 101 के तहत शक्ति के प्रयोग में तैयार किया गया

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत अधिनियम। नियम 3 नियम है

ग्राम सभा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान के लिए। उक्त नियम

यह प्रावधान करता है कि यदि पूरा सभा क्षेत्र एक में शामिल है

नगरपालिका, छावनी शहर, शहरी संपदा या अधिसूचित क्षेत्र, अधिकार,

दायित्व, संपत्ति, परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, यदि कोई हों, चाहे वे उत्पन्न हों। किसी अनुबंध से या अन्यथा नगर निगम में निहित होगा।

समिति, छावनी बोर्ड, (नगर निगम, प्रमुख)

प्रशासक या अधिसूचित क्षेत्र समिति, जैसा भी मामला हो)।

XX

XX

XX

10. ग्राम के उपरोक्त प्रावधानों का एक संयुक्त पठन

पंचायत अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियम और पंजाब नगरपालिका अधिनियम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि तारीख को और उसके बाद से

एक से अधिक नगरपालिका सीमाओं का विस्तार करने वाली अधिसूचना जारी करना सभा क्षेत्र का वह भाग जो सभा क्षेत्र का एक भाग है

नगरपालिका और यह नगरपालिका है जिसमें अधिकार, शीर्षक और

क्षेत्र पर ब्याज निहित है। तर्क [2022] 10 एस. सी. आर. को स्वीकार करना मुश्किल है।

उसके नीचे की अदालतों द्वारा केवल तभी आगे बढ़ाया जाता है जब पूरी सभा क्षेत्र नगरपालिका सीमा के भीतर आता है तो संपत्ति निहित होती है

और अन्यथा नहीं। हमारी सुविचारित राय में अभिव्यक्ति 'संपूर्ण' है।

ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 4 (3) अपने दायरे में लाती है।

ब्राह्मण माजरा गाँव को नगरपालिका सीमा में शामिल किया गया है सरहिंद नगर पालिका की अधिसूचना दिनांक 18-9-1968 द्वारा, यह है

नीचे की अदालतों द्वारा। उच्च न्यायालय सहित निम्न न्यायालय ग्राम की धारा 4 (3) की व्याख्या करने में न केवल गलती की गई है

पंचायत अधिनियम लेकिन परंतुक पर भरोसा करने में भी गलती की

ग्राम पंचायत नियमों के नियम 3 को उस तारीख से जब

सरहिंद की नगरपालिका सीमा का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी ग्राम पंचायत की धारा 4 (3) पर नगरपालिका

अधिनियम लागू नहीं था और इसलिए नियम 3 लागू नहीं हो सकता था। पर। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 56

और ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 4 विधायी बनाती है इरादा स्पष्ट है कि जब सभा क्षेत्र का एक हिस्सा शामिल हो जाता है

किसी भी नगरपालिका की नगरपालिका सीमा के भीतर संपत्ति

जिसमें नगर समिति निहित होती है। इसमें मामले का दृष्टिकोण वादी जो मूल खेवातदार थे

विचाराधीन संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते हैं और यह नगरपालिका है

जो विवादित संपत्ति का मालिक बना हुआ है।

XX

XX

XX

12. धारा 3 की उप-धारा (2) केवल तभी आकर्षित की जाएगी जब

नगरपालिका समिति, सरहिंद में निहित भूमि को बाहर रखा गया है

धारा 2 के खंड (छ) में परिभाषित "शामलात देह" से

अधिनियम ने कहा। धारा 2 (जी) में 9 अपवर्जन खंड हैं लेकिन एक नहीं है

अभिलेख पर सामग्री का अंश और वास्तव में हाथ में मामला नहीं है

यह स्थापित करने के लिए उस कोण से जांच की गई कि विवादित संपत्ति को किसी के संचालन द्वारा "शामलात देह" से बाहर रखा गया था

उपखंड जो "शामलात" की परिभाषा से बाहर हैं

धारा 2 (जी) में "देह"। मामले के उस दृष्टिकोण में का विवाद

श्री माधव रेड्डी को कायम नहीं रखा जा सकता है।

100. 1994 के अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) में विचार किया गया है

यदि पूरा सभा क्षेत्र एक नगरपालिका में शामिल है, तो हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से।

हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि दूसरी ओर, 1973 का नगरपालिका अधिनियम स्थानीय क्षेत्र के एक हिस्से को नगरपालिका में शामिल करने पर विचार करता है। वास्तव में, धारा 7 (4) पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 4 (3) के समान है, जिसे 1973 के नगर निगम द्वारा निरस्त किया गया था।

एक्ट करें।

101. यदि पूरा सभा क्षेत्र नगरपालिका में शामिल किया जाता है तो पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत को समाप्त करने पर विचार करता है, जबकि 1973 के नगरपालिका अधिनियम में विचार किया गया है कि स्थानीय क्षेत्र जो ग्राम पंचायत क्षेत्र का हिस्सा हो सकता है उसे नगरपालिका में शामिल किया जा सकता है। यहां तक कि नगरपालिका सीमा से एक क्षेत्र को भी नगरपालिका सीमा से बाहर रखा जा सकता है। आत्म राम में इस न्यायालय ने इस उक्ति की भी जांच की कि ओम्ने माजुस ने से माइनस (जितना बड़ा होता है उतना कम होता है) को जारी रखा। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 12. इसी तर्क की एक अन्य शाखा यह थी कि यदि संविधान निर्माता अनुच्छेद 31 ए के दायरे में न केवल पूरी संपदा बल्कि उसके कुछ हिस्सों को भी शामिल करने का इरादा रखते हैं, तो शब्दों में ऐसा कहने से ज्यादा आसान कुछ नहीं होता और "संपत्ति के कुछ हिस्सों" का कोई विशिष्ट उल्लेख न होने पर, हमें उस लेख को "संपत्ति के कुछ हिस्सों" को भी शामिल करने के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। हमारी राय में, इस विवाद में कोई सार नहीं है, क्योंकि उन्हें इस कानूनी उक्ति का पूरा ज्ञान दिया जाना चाहिए कि "जितना बड़ा उतना कम होता है"-ओम्ने माजुस से माइनस में कहते हैं। ..... इस प्रकार पूर्ण पीठ ने विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया कि संविधान का अनुच्छेद 31 ए संपदाओं के कुछ हिस्सों पर भी समान रूप से लागू होता है। पूर्ण पीठ 6 1 के इस निर्णय के बाद एक खंड पीठ ने उसी उच्च न्यायालय में, जिसमें भंडारी सी. जे. और जे. दुलत शामिल हैं, हुकुम सिंह बनाम के मामले में। पंजाब राज्य, 57 पीएलआर 359: (एयर

1955 पंजाब 220)। उस पीठ का संबंध था कि

एक अन्य अधिनियम के प्रावधान-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1954। उस मामले में, डिवीजन बेंच ने स्वाभाविक रूप से पूर्ण बेंच के फैसले का पालन किया, जहाँ तक उसने फैसला दिया था।

कि 'संपूर्ण' में वह भाग शामिल है, और जहां एक अधिनियम एक संपत्ति में अधिकारों का प्रावधान करता है, यह एक संपत्ति के एक हिस्से में भी अधिकारों का प्रावधान करता है। ..... हमारी राय में, पूर्ववर्ती पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश, जो एक ही प्रश्न पर दोनों परस्पर विरोधी विचारों के पक्षकार थे, ने अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए अपने स्वयं के कारणों का संकेत नहीं दिया है। पूर्ण बेंच

उसने इस कानूनी उक्ति के बल को स्वीकार किया है कि अधिक में कम होता है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, लेकिन यह नहीं है, यह उस अच्छी तरह से स्थापित उक्ति से हटने के किसी भी अच्छे कारण को देखते हुए पूरे सम्मान के साथ कहा जाना चाहिए। . ...

102. यह संदर्भ पंजाब उच्च न्यायालय के बाद के पूर्ण पीठ के फैसले के लिए दिया गया था, जिसे पंजाब राज्य बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया था। एस. केहर सिंह 62 और इससे पहले पूर्ण पीठ ने भागीरथ के रूप में रिपोर्ट किया। यहां तक कि उच्च न्यायालय की बाद की पूर्ण पीठ में भी मेसर्स के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में। हरि राम पारस राम बनाम। हरियाणा राज्य "3, अभिव्यक्ति 'संपूर्ण' में भाग शामिल होगा, को स्वीकार कर लिया गया है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 19. श्री मित्तल ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत पूरी आवश्यक वस्तु की कीमत केवल उसके एक हिस्से के विपरीत हो सकती है।

ठीक हो गया। उनके अनुसार, कीमत पर आंशिक नियंत्रण जैसी कोई चीज नहीं है। मुझे इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नजर नहीं आती। यदि आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता, जो समय के साथ बढ़ती है,

जाँच की जानी चाहिए, फिर बुराई को अंकुर में काटा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कम कठोर कार्रवाई करके आपूर्ति की स्थिति में सुधार किया जा सकता है, तो राज्य सरकार को समस्या को हाथ से निकलने देने के बजाय उस कार्रवाई को करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि श्री मित्तल द्वारा सुझाई गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अधिनियम के तहत अधिकारियों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि आवश्यक वस्तुएं इतनी महंगी और दुर्लभ नहीं हो जाती हैं कि कीमतों पर पूर्ण नियंत्रण एकमात्र अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा, से माइनस में एक कानूनी उक्ति ऑम्ने माजस कॉन्टिनेंट है- जितना बड़ा होगा उतना कम होगा। इस उक्ति को आत्मा राम v में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1959 सुप्रीम कोर्ट 519-यदि राज्य सरकार के पास पूरी यात्रा करने की इच्छा और अधिकार है।

दूरी, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि इसे आगे जाने का आदेश क्यों दिया जाना चाहिए

यदि यह बीच में रुकने के विकल्प का प्रयोग करता है।

103. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7 (4) को 1973 के नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना है। हालांकि, दोनों

भाग IX को शामिल करने के बाद कानूनों में व्यापक परिवर्तन हुए थे।

और संविधान में IX A लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को सशक्त बनाता है। पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत की संपत्ति को नगर पालिका को सौंपने पर विचार करता है। , जबकि नगरपालिका अधिनियम 62 ए. आई. आर. 1959 पी एंड एच 8; 1958 एस. सी. सी. ऑनलाइन पुंज 89 लेता है।

63 आई. एल. आर. (1982) 1 पंजाब और हरियाणा 317 हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

इसके दायरे में वे संपत्तियाँ जो पंचायत के पास निहित थीं। 1973 के नगरपालिका अधिनियम में विचार किया गया है कि भले ही ग्राम पंचायत की संपत्ति का एक हिस्सा नगरपालिका सीमा में शामिल हो, लेकिन यह नगरपालिका के पास निहित होगा। इस प्रकार, पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 (4) में आने वाले 'संपूर्ण' शब्द में नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र का हिस्सा शामिल है। यह वही दृष्टिकोण है जो इस न्यायालय द्वारा एक अधिसूचित क्षेत्र समिति, सरहिंद में लिया गया था।

104. इस प्रकार, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र का पूरा या हिस्सा नगरपालिका सीमा में शामिल है, तो भूमि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित है -

कृषि सुधार नगरपालिका के पास निहित होंगे। इस तरह का निहित होना कृषि सुधारों का हिस्सा नहीं है, बल्कि नगरपालिका सीमाओं के विस्तार के कारण होगा। जब नगरपालिका सीमा का विस्तार किया जाता है, तो पंचायत के निवासी भी नगरपालिका के निवासी बन जाते हैं। नगरपालिका के विस्तार से पहले ग्राम समुदाय के सामान्य उद्देश्य सीमा को सामान्य उद्देश्य माना जाएगा जिसके लिए नगरपालिका द्वारा भूमि का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि का इस तरह से निहित होना पहली बार अधिग्रहण नहीं है, बल्कि

परिवर्तित परिदृश्य में सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि जब भूमि नगरपालिका के पास निहित होती है।

105. मालिकों का यह तर्क कि यदि पूरा सभा क्षेत्र नगरपालिका के साथ मिल जाता है, तभी सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि को नगरपालिका के साथ निहित किया जा सकता है, असमर्थनीय है। इस तरह के तर्क से विसंगत परिणाम मिलेंगे। संपत्ति के स्वामित्व, अधिकार और हित को स्थगित नहीं किया जा सकता है। 1948 के अधिनियम के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि पर निरंतर नियंत्रण और प्रबंधन होना चाहिए। इसलिए, भले ही सभा क्षेत्र के एक हिस्से को नगरपालिका में मिला दिया जाता है, नगरपालिका का उस भूमि पर नियंत्रण होगा जो पूर्ववर्ती ग्राम समुदाय के लिए आरक्षित थी जो अब शहरी क्षेत्र का हिस्सा बनेगी। इसे ध्यान में रखते हुए, हम मालिकों की ओर से उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और राज्य की अपीलों को स्वीकार करते हुए उनके द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं।

106. मालिकों का तर्क है कि वह भूमि जो किसी राज्य के निवासियों के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में सक्षम नहीं है।

किसी विशेष गाँव को मालिकों को वापस कर दिया जाएगा जो अस्थिर और अस्थिर है। प्रो अप्लाई करके जमीन को कॉमन पूल में डाल दिया गया है। राटा काट लें। एक बार आनुपातिक कटौती लागू हो जाने के बाद, ऐसी भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण पंचायत के पास होता है। जमीन को मालिकों को वापस करने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वह भूमि जो [2022] 10 एस. सी. आर. नहीं है।

भूमि सीमा कानूनों के तहत अनुमेय सीमाओं का एक हिस्सा अर्जित किया गया है और रंजीत सिंह में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में पंचायत के पास निहित है। हालांकि, भूमि सीमा कानूनों के तहत मालिक की अनुमेय सीमाओं का हिस्सा बनने वाली भूमि के संबंध में, प्रबंधन और नियंत्रण पंचायत के पास निहित है। न तो 1961 के अधिनियम और न ही 1948 के अधिनियम में मालिकों को भूमि के पुनर्वितरण पर विचार किया गया है। यह एक अपरिवर्तनीय कार्य है जिसे वापस नहीं किया जा सकता है। इसलिए, एक बार पंचायत के साथ भूमि निहित होने के बाद, इसका उपयोग समुदाय के सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और कभी नहीं किया जाएगा।

मालिकों को लौटें।

107. हम पाते हैं कि 1985 के अधिनियम और 1961 के अधिनियम के तहत दो प्रावधानों का दायरा अलग और अलग है। 1985 के अधिनियम के तहत,

ग्राम पंचायत अनाधिकृत अधिभोगियों से बेदखल करने की मांग कर सकती है, सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण, जो ग्राम पंचायत में संक्षिप्त रूप से निहित है, जहां अधिभोगकर्ता का कब्जा अनाधिकृत था। लेकिन यदि अधिभोगकर्ता या पंचायत द्वारा कब्जे की प्रकृति के संबंध में विवाद है, तो अकेले 1961 के अधिनियम के तहत प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है क्योंकि 1961 के अधिनियम की धारा 13 ए कलेक्टर को किसी भी भूमि या अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित के सवाल पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से किसी भी भूमि में अधिकार, स्वामित्व या हित के बारे में विवाद के मामले में, केवल 1961 के अधिनियम के तहत उपचार का उपयोग किया जा सकता है। यह होगा।

108. नतीजतन, हम मानते हैं कि 1992 का अधिनियम संख्या 9, संशोधन अधिनियम वैध है और संवैधानिक दुर्बलता के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है। अनुपात में कटौती लागू करके आम उद्देश्यों के लिए पूरी भूमि आरक्षित की गई

ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम समुदाय की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए उपयोग किया जाना था और भूमि के किसी भी हिस्से को मालिकों के बीच फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता था।

109. उपरोक्त चर्चा और निष्कर्षों के साथ, दायर की गई अपीलें

राज्य और पंचायतों द्वारा अनुमति दी जाती है और मालिकों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। नतीजतन, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाएं भी खारिज हो जाएंगी।

उन्होंने सचिव के माध्यम से सरकार को हरियाणा का राज्य बताया। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

न्यायनिर्णायकमे प्रयुक्त शब्दसभक विवरण

प्रयुक्त शब्द

अर्थ।

नहीं।

भूमि जो किसी घर, आवास या आवास का स्थान हो।

1 . अबादी

इमारत।

गाँव के घरों के लिए आरक्षित भूमि

2 . अबादी देह

समुदाय। लालडोरा (लाल रेखा) के भीतर स्थित है। आम तौर पर एक खेवात और एक खसरा सौंपा जाता है।

नहीं। कोई भूमि राजस्व नहीं लिया जाता है।

छोड़ दी गई भूमि जिसे लागू करके तराशा गया था

3 . बचाट लैंड

मालिकों पर कटौती जो आरक्षित थे समेकन के दौरान सामान्य उद्देश्य।

भूमि के प्रकार

4 .

बंजर जादिद

पुराना परती जिसकी खेती नहीं की गई है

(अ)

चार फसल लेकिन अभी भी लाए जा सकते हैं

खेती-बाड़ी

पुराना परती जिसकी खेती नहीं की गई है

(ख)

बंजर कादिम

आठ फसल लेकिन अभी भी लाए जा सकते हैं

खेती करते हैं।

((ग)

भूमि जो अब खेती के लिए उपयोग करने में सक्षम नहीं है क्योंकि यह एक घर, इमारत का स्थान है,

गैर मुम्किन लैंड

सड़क, नहर, नदी आदि

((घ)

नहर द्वारा सिंचित भूमि

नेहरी भूमि

बारिश से भरा पानी

(ई)

बरानी

कुओं या ट्यूबवेल से सिंचित

(1)

चाइ।

नहर या कुएँ के अलावा अन्य साधनों से सिंचित

(छ) आबि

जमीन।

5 . देह

राजस्व अधिकारी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज़

6 . फरद। 7 . पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स की धारा 31 के तहत अधिकार अभिलेखों का हिस्सा बनने वाले दस्तावेज।

अधिनियम, 1887

भूमि मालिकों, किरायेदारों या अन्य लोगों के नाम दर्ज करें।

(अ)

जामबंदी

संपत्ति में भूमि राजस्व के समनुदेशकों या जो संपत्ति के किराए, लाभ या उपज प्राप्त करने या उसमें भूमि पर कब्जा करने के हकदार हैं।

प्रथाओं द्वारा अधिकारों का सम्मान करने का कथन और

वाजिब-उल-अरज़

(ख)

या शरत वाजिब-उल-अरज़

संपत्ति में देनदारियाँ और इसमें अधिकार भी शामिल हैं
गाँव की आम भूमि में मालिकों और गैर-मालिकों की। इसे गाँव भी कहा जाता है।

प्रशासन पत्र।

शाजरा किश्तवाड़

संपत्ति का नक्शा

((ग)

(शाजरा किश्तवार (गाँव का नक्शा) तैयार किया जाता है।

लथा नामक एक मजबूत कपड़े पर

मानचित्र की एक प्रति को अक्ष शाजरा कहा जाता है)।

आम भूमि में मालिक का हिस्सा। के अनुसार

9 .

हसब रसद ज़ारे खेवत

उसकी स्वामित्व हिस्सेदारी पर मूल्यांकन किए गए राजस्व को।
साझा उद्देश्य के लिए बनाई गई भूमि

10 . जुमला मुश्तारका मलकान

मालिकों का स्वामित्व, नियंत्रण और जिसका प्रबंधन पंचायत के पास निहित है।

11 . जुमला मुश्तारका मलकान वा

भूमि में हिस्से के अनुसार स्वामित्व निकाय और अन्य अधिकार धारकों की संयुक्त स्वामित्व ने योगदान दिया

दिगार हक़्क़दारन अराज़ी हसब रसद रक्बा

आनुपातिक आधार पर समेकन के दौरान। ऐसी भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण पंचायतों में निहित है। उसकी भूमि के मालिक को दी गई संख्या है

12 . खेवट संख्या

धारण करें। केवल एक जमींदार को सौंपा जाएगा
केवट संख्या।

गाँव में भूमि/हिस्से का धारक।

13 . खेवातदार

कब्जे वाले व्यक्ति का नाम दर्ज करें

14 . खतौनी

वह व्यक्ति जो एक पर निर्धारित राजस्व का भुगतान करता है

15. माल गुज़ार्स

संपत्ति

गाँव का स्वामित्व निकाय।

16. मलिकन देह

स्व-खेती में मालिक

17. मलिकन मकबूजा खुर्द

सभी मालिकों का संयुक्त स्वामित्व

18. मुश्तारका मलकान

गाँव की बस्ती के चारों ओर का मार्ग अर्थात

19 . फिरनी

अबादी देह के आसपास गाँव का रास्ता

20. शमिलात

सामान्य उद्देश्य

भूमि आरक्षित और सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है।

21 . शमिलात देह 22। तर्राफ, पट्टी, पन्ना और तोला गाँव में रहने वाले व्यक्तियों की जाति, धर्म, व्यवसाय आदि के आधार पर गाँव को विभिन्न पट्टियों/वर्गों में विभाजित किया गया था। पट्टी को गाँव में अलग-अलग हिस्सों या पट्टियों में भूमि के विभाजन के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए, पट्टी मूल रूप से गाँव का एक छोटा सा भाग है। 'तरफ', 'पन्ना' और 'तोला' शब्द अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन वे पट्टी के समान हैं और अलग-अलग रहने वाले ग्रामीणों के समुदाय से भी संबंधित हैं।

हरियाणा राज्य सरकार के सचिव के माध्यम से। हरियाणा बनाम। जय सिंह और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

30.25 स्क्वायर। याड्र्स

23 . मार्ला

20 मार्लास = 605 वर्ग कि. मी. याड्र्स

24 . कनाल

160 मार्लास = 4840 वर्ग कि. मी. याड्र्स

25 . एकड़।

पुख्ता

कच्चा

7.5625 स्क्वायर। याड्र्स

2. 521 स्क्वायर। याड्र्स

26 . बिसवानी

151.25 स्क्वायर। याड्र्स

50 .42 स्क्वायर। याड्र्स

27 . बिस्बा

1008. 33 स्क्वायर। याड्र्स

3025 स्क्वायर। याड्र्स

28 . बीघा

5 बीघा 12 विश्व

4 बीघा 75 बिस्बा

एकड़।

गाँव या राजस्व संपदा की सीमा। प्रत्येक

30 . हसबैंड।

हैडबास्ट नंबर।

जमीन को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है।

31 . आयताकार/मुश्तातिल

आयताकार/मुश्तातिल। आयत है

संख्या

खसरा संख्या भूमि के एक विशिष्ट टुकड़े को दी जाती है।

32. खसरा संख्या

गाँव में। एक या अधिक खसरा एक खतौनी बनाते हैं, एक या अधिक खतौनी एक खेवात बनाते हैं। खतौनी में खसरा संख्याएँ हो सकती हैं या हो सकती हैं

क्रमिक रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है।

माम

लों का निपटारा किया गया।

बिभूति भूषण बोस (सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)